तृतीय माला, खंड 47, अंक 3
Third Series, Vol. XLVII, No. 3

शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1965/14 कार्तिक, 1887 (शक)
Friday, November 5, 1965/Kartika 14, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3—शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1965/14 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 3—Friday, November 5, 1965/Kartika, 14 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
60	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पटरी पर विस्फोट	Explosion on N. F. Rail Track .	171–74
61	चौथी योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य	Steel Production Target for Fourth Plan	174–78
62	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank . .	178–82
63	आयात का युक्तिकरण तथा आयात प्रतिस्थापन समिति	Import Rationalisation and Import Substitution Committee . .	182–83
64	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	183–86
65	कपड़ा मिलों में कपड़े का जमा हो जाना	Accumulation of Cloth with Textile Mills	186–89
66	रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना	Increase in Speed of Trains . .	189–91

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
67	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore .	191
68	सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cement . .	192
69	टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य	Prices of Tyres and Tubes	192
70	मोटरकारों के खरीदने के लिये पंजीकरण	Registration of Cars	193
71	निर्यात संवर्धन	Export Promotion . . .	193–94
72	आयात लाइसेंस	Import Licences	194
73	दुर्लभ माल का आयात	Import of Scarce Materials .	194
74	यात्री तथा माल यातायात का सर्वेक्षण	Surety of Passenger and Goods Traffic	195
75	मुगलहाट और बिरल (पूर्वी पाकिस्तान) पर गाड़ियों का रोका जाना	Detention of Trains at Mogalhat and Birla (East Pakistan) . .	195
76	म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	Muir Mills Ltd. Kanpur . .	196

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
77	लुगदी, कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने	Pulp, Paper and Newsprint Plants	196
78	जापान को लौह अयस्क निर्यात	Export of Iron Ore to Japan .	196–97
79	उदयपुर के निकट जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant near Udaipur .	197
80	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd.	197–98
81	तीसरी योजना में कोयले का लक्ष्य	Coal targets in Third Plan .	198
82	कांगड़े की चाय का निर्यात	Export of Kangra Tea .	199
83	अलौह धातुओं का सम्भरण	Supply of Non-ferrous Metals	199
85	पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan	199–200
86	भारत पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये रेलवे कर्मचारी	Rly. Employees killed during Indo Pak. conflict	200
87	छोटी कार परियोजना	Small Car Project	201
88	चौथी योजना में कोयले का उत्पादन	Coal Production in the Fourth Plan	201–02
89	पलाना में लिग्नाइट आधारित तापीय बिजली घर	Thermal Power Station based on Lignite at Palana . . .	202
अंता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
143	गोरखपुर स्टेशन पर रेल के एक डिब्बे में एक शव का पाया जाना	Dead Body in Railway Compartment at Gorakhpur Station. .	202
144	कच्चे लोहे का	Export of Pig Iron	203
145	कियूल स्टेशन के प्लेटफार्म पर शैड	Sheds on Platform of Kiul Station	203
146	रेलवे की वर्दियां	Railway Uniforms . . .	203–04
147	झांसी डिवीजन में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals in Jhansi . .	204–05
148	रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals	205
149	दांतेवाडा भद्राचलम लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Dantewara-Bhadrachalam	205
150	कोयले का सम्भरण	Supply of Coal	205–06
151	केरल में नारियल जटा उद्योग	Coir Industry in Kerala . .	206
152	केरल में हथकरघा उद्योग	Handloom Industry in Kerala .	206
153	रेलवे परिचालक-वर्ग (रनिंग स्टाफ)	Railway Running Staff . .	207
154	रेलवे के वाणिज्यिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Commercial Employees of Railways . . .	207

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
155	मैसूर में चामराजनगर के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Express Train from Mysore to Chamarajanagar . . .	208
156	मैसूर में रेशम कीटक पालन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Mysore	208
157	रूई का आयात	Import of Cotton . . .	209
158	कारखानों में उत्पादन	Production in Factories . .	209
159	बड़ोदा हाउस में आग	Fire in Baroda House . . .	209
160	रेलवे में सतर्कता संगठन	Vigilance Organisations on Railways	210
161	रेलवे भंडारों का नियन्त्रक	Vigilance Officers so as to improve the working of the Department	210
162	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production . . .	210–11
163	कपड़ा मिल	Textile Mills	211
164	मैसूर में बिजली के सामान का कारखाना	Electrical Factory in Mysore .	211
165	ग्वालियर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Gwalior . .	211–12
166	रायपुर रेलवे वैगन फैक्टरी	Raipur Railway Wagon Factory	212
167	रेलवे पटरियों पर विस्फोट	Explosions at Railway Tracks .	212–13
168	सीमेंट के कारखाने	Cement Factories . . .	213
169	कानपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Kanpur . .	213
170	कम तापमान कार्बनीकरण सन्यत्र (लो टैम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्लांट)	Low Temperature Carbonisation Plant	213–14
171	उर्वरक तथा रासायनिक उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Fertilizer and Chemical Equipment . .	214
172	दिल्ली क्षेत्र में यात्रियों के लिये सुविधायें	Passenger Amenities in Delhi Area .	214
173	धमन भट्टी के मैल से सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement from Blast Furnance Slag	215
174	रेलवे गाड़ी के लिए परिचालन भत्ता	Running Allowances to Railway Guards	215–16
175	पूना-मिराज मीटर गेज को बड़ी लाईन में बदलना	Conversion of Poona-Miraj M. G. into B. G.	216
176	छपाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machines .	216–17
177	लीपजिग मेला	Leipzig Fair	217–18
178	मैसूर में ग्रामोद्योग परियोजना	Rural Industries Project in Mysore	218
179	बोकारो कोयला क्षेत्रों में कोयला खानों का विकास	Development of Collieries in Bokaro Coalfield	218

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
180	नेवेली तापीय बिजलीघर	Neyveli Thermal Power Station . .	219
181	कटक-भुवनेश्वर शोटल गाड़ी	Cuttack-Bhubaneswar Shuttle Train	219
182	सीमेंट के कारखाने	Cement Plants	220
183	अनुज्ञिप्त (लाइसेंसड) औद्योगिक क्षमता का प्रयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Licensed Industrial capacity	220
184	पटेल-रोड दिल्ली पर ऊपर का पुल	Over-bridge on Patel Road, Delhi	221
185	सेहल रेलवे स्टेशन पर धावा	Raid on Sehal Railway Station .	221
186	अलीगढ़ रेलवे स्टेशन	Aligarh Railway Station . .	221–22
187	पंजाब में इस्पात कारखाना	Steel Plant in Punjab . . .	222
188	विभिन्न इस्पात सन्यत्रों का विस्तार	Expansion of various Steel Plants .	222–23
189	रेलवे योजनायें	Railway Schemes . . .	223
190	हसन-मंगलोर रेलवे लाइन	Hassan-Mangalore Rail Line .	224
191	उत्तर प्रदेश में विशेष मिश्रित इस्पात सन्यत्र	Special Alloy Steel Plant in U. P.	224
192	रेलवे में अस्थायी सिविल इंजिनियर तथा यातायात अधिकारी	Civil Engineers on Railways .	224
193	रेलवे अधिकारी	Railway Officers	224–25
194	जंगली जानवरों का निर्यात	Export of Wild Animals . .	225–26
195	काजू का निर्यात	Export of Cashew Karnels . .	226
196	इस्पात कारखानों में श्रमिक	Labourers in Steel Plants . .	227
197	मध्य प्रदेश का वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial Survey in M. P. . .	227
198	मध्य प्रदेश में कोयले तथा लोहे के निक्षेप	Coal and Iron Deposits in Madhya Pradesh	227–28
199	रेलवे डाक्टर	Railway Doctors	228
200	फल परिष्करण उद्योग	Fruit Processing Industries . .	228
201	तिरूर में ऊपरी पुल	Tirur Over-Bridge	228
202	पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Plant in Punjab . .	228–29
203	नंगल में बिजली के भारी सामान का कारखाना	Heavy Electrical Unit at Nangal . .	229
204	पंजाब में आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय	Office of the Chief Controller of Imports and Exports in Punjab	229
205	उत्पादित वर्ष	Productivity Year	229–30
206	हावड़ा-कालका मेल के लिए बिजली के इंजन	Electric Locomotive for Howrah-Kalka Mail	230

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
207	उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखा विभाग	Northern Rly. Headquarters Construction Accounts Department	230
208	उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क	Clerks (Grade I) in Northern Railway Accounts Deptt.	230–31
209	झांसी रेलवे स्टेशन पर पाया गया हथगोला	Hand Grenades Found at Jhansi Railway Station . . .	231
210	मैसूर राज्य को आवंटित तकुवे "स्पिंडल"	Spindleage Allotted to Mysore State	231–32
211	बंगाल तथा बिहार की कोयला पट्टी का विद्युतीकरण	Electrification of Coal-Belt of Bengal and Bihar	232
212	ब्रिटेन को चाय का निर्यात	Export of Tea to U. K. . .	232
213	अलोह धातुओं का उत्पादन	Production of Non-Ferrous Metals	233
214	जोनपुर रेलवे स्टेशन पर शव	Dead Body at Jaunpur Rly. Station	234
216	भद्रावती में मिश्रित इस्पात का कारखाना	Steel Alloy Plant at Bhadravati .	234
217	सुडान के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Sudan .	234–35
218	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चोरियां	Thefts at Delhi Railway Station .	235
219	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर केलों का रेलगाड़ी से उतारा जाना	Unloading of Banana Consignment in Delhi Rly. Station .	235
220	केरल में अल्युमिनियम का कारखाना	Aluminium Plant in Kerala . .	236
221	अटारी रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर	Station Master, Attari Railway Station	236
222	रेलवे की वर्दियां	Railway Uniform . . .	236–37
223	गोरखपुर स्टेशन के बाहरी सिग्नल पर रेलगाड़ियों का रोका जाना	Stopping of Trains at outer signal of Gorakhpur Station . . .	237
224	रेलवे के हेड क्लर्कों के वेतनमान-क्रम	Pay Scales of Head Clerks on Railways	238
225	दिल्ली में उत्तर रेलवे के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति	Northern Railway Class I Officers posted in Delhi . . .	238
226	हथकरघा वस्तुओं का निर्यात	Export of Handloom Goods . .	238–39

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— / Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना तथा पटसन, चाय आदि का जब्त किया जाना— / Impounding of Indian Ships and confiscation of Jute, Tea etc. by Pakistan—

श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	239
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur .	239

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं क बारे में (प्रश्न)	Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices (Query)	240
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	241–43
सभा का कार्य	Business of the House . . .	243–46
आपातकाल की दृष्टिसे योजना के पुनर्मूल्यांकन के बारे में वक्तव्य	Statement re : Reappraisal of the Plan in the Light of the Emergency—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat . .	246–47
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
चालीसवां प्रतिवेदन	Fortieth Report . . .	247
केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा को लागू रख जाने के बारे में संकल्प—	Resolution re : Continuance of Proclamation in respect of Kerala—	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	248–49
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . .	249
श्री सेझियान	Shri Sezhian . . .	249–50
श्री प० गो० मेनन	,, P G. Menon . . .	251–52
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	252–53
श्री हाथी	Shri Hathi	253–54
भारतीय तार-यंत्र (संशोधन) विधेयक (धारा 5 का संशोधन)—पुरःस्थापित	Indian Telegraphs (Amendment) Bill—(Amendment of reaction 5) Introduced by	
[श्री यशपाल सिंह का]	Shri Yashpal Singh . .	254
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन) वापिस लिया गया [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]	Constitution (Amendment) Bill—(Amendmet of Articles 1, 2, 3, 4 etc.) Withdrawn by Shri Prakash Vir Shastri	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	255
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh . . .	255–56
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur.	256
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	256–57
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit . . .	257
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	258
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi . .	258
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	258–59
श्री श्याम लाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	259
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	259
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	259–60
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	26061
भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Indo-Pakistan Relations—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री	Shri Lal Bahadur Shastri	261, 63, 66

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 5 नवम्बर, 1965/14 कार्तिक, 1887 (शक)
Friday, November 5, 1965/Kartika 14, 1887 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पटरी पर विस्फोट

\+
*60. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की पटरी पर आसाम में ढेकियाजूली और वेलसीरी स्टेशनों के बीच एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या यह सिद्ध हो गया है कि यह घटना शत्रु के एजन्टों द्वारा की गयी तोड़-फोड़ की घटना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि यह पहला अवसर नहीं है जब कि इस रेलवे पटरी पर इस प्रकार की दुःखद घटना हुई है और चीनी आक्रमण के दौरान भी उसी मार्ग पर इस प्रकार की तीन दुःखद घटनाएं हुई थीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस विशिष्ट घटना की प्रारम्भिक जांच करवाई है और क्या सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही हो सकती है ?

डा० राम सुभग सिंह : देश पर चीन के आक्रमण तथा हाल ही के पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं घटीं हैं उन से मैं पूरी तरह अवगत हूं । परन्तु इन घटनाओं के बावजूद और कहीं

कोई गाड़ी नहीं रोकी गई। इस की जांच की गई है। और हमारा विचार है कि हम इस दूरस्थ स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये वेतन ले जा रहे थे, इसलिये कुछ दुरात्मा लोगों ने इस को लूटने की बात सोची होगी और इस घटना का कदाचित् इस प्रकार का ही कोई कारण रहा होगा।

श्री हेम बरुआ : जब भी बाहर से आक्रमण होता है तो इस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस विशिष्ट रेल पटरी की सुरक्षा के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी रेलों पर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम ने काफी प्रबंध कर रखे हैं।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, यह कोई उत्तर नहीं है। वह बार बार एक ही तर्क का आश्रय लेते हैं कि किसी ने कोई गाड़ी नहीं रोकी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सब संभव कदम उठाये हैं।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने यह कहा है कि कोई हमारी रेलों पर आक्रमण नहीं कर सकता।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने सुना नहीं है।

श्री हेम बरुआ : पहले तीन चार बार हमारी रेलों पर आक्रमण हो चुका है।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : तोड़-फोड़ की इन घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार ने इस रेल पटरी पर पुलों की सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : वहां जितने भी पुल हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र पुल, लुमडिंग–बदरपुर की ओर के पुल या पाण्डू से डिब्रूगढ़ और उस से आगे लखपानी तक के सभी पुलों की रक्षा की जा रही है और उन पर रक्षक दल तैनात कर दिये गये हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जहां कहीं भी बियास आदि मुख्य पुल हैं, वहां विमान भेदी तोपें लगा दी गई हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of persons arrested in this connection ?

Dr. Ram Subbag Singh : That is entirely a forest terrain. Two bombs were found there without any markings on them. One of them exploded and as a result thereof a trolly was overturned causing death of two persons. Our armed police guards fired in the forest but none was found there.

Shri Sheo Narain : May I know as to what safety measures have been taken on the North East Frontier Railway where these explosive have occurred and what compensation has been awarded to the dependents of the diseased ?

Dr. Ram Subhag Singh : Rs. 500 were given on the spot to the dependents of those killed in the accident. There was no dependent of one person there, so we shall remit this compensation to his home town. The persons who had sustained minor injuries were paid compensation on the spot.

Shri P. Sharma : They had perhaps, attacked the train with the intention of looting the railway treasury. May I know why steps have not been taken so far for providing armed police guards for its protection ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not that armed guards are not provided when necessary two armed guards were going along with that trolly and in future also, as the hon. member has suggested, wherever it is considered necessary, armed guards will be provided.

श्री स्वैल : जैसा कि श्री बरुआ ने कहा है क्या बाह्य आक्रमणों का इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि से कोई सम्बन्ध है ? क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और पता लगाया है कि क्या इस घटना का कोई विशेष कारण है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं नहीं कह सकता कि ऐसी घटनाओं का कोई विशिष्ट कारण था। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, हालांकि वास्तव में चीन के साथ लड़ाई नहीं हो रही थी। हमें ऐसी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिये और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये हमें आवश्यक कार्यवाही करनी है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know whether this accident took place in day time or at night and after how long the information regarding the persons killed was received by the Govt.

Dr. Ram Subhag Singh : We came to know about the killed persons at that very moment, because the other trolly was only fifty feet behind. This accident took place during the day time, because the rail track between Rangapara and Monkongrlara runs mostly through the jungle and we came to know of this accident immediately thereafter.

Mr. Speaker : What was the time then ?

Dr. Ram Subhag Singh : It was 12 noon.

Shri Rameshwara Nand : The hon. Minister has just now stated that there was no specific reason behind that incident which took place in the jungle. The rounds were fired but no person died. May I know the reasons for opening fire when there were no persons ? May I know whether anti-aircraft guns have been installed for safeguarding important bridges ?

Mr. Speaker : Second part of the question has already been answered.

Shri Rameshwara Nand : On whom was the fire opened, when there was nobody ?

Dr. Ram Subhag Singh : The rail track runs through thick forests and that was the reason why fire was opened. When the trolly was overturned the armed guards got their fingers injured and they were feeling severe pain. Still they thought that somebody might be boiling nearby. Therefore they opened fire in the jungle. In the circumstances, it was necessary for them to do so.

Shri Rameshwara Nand : The second part of my question has not been answered.

Mr. Speaker : That has already been answered. Perhaps Swamiji was not attentive at that time.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Three or four days back a hand grenade was found on the Jumna railway bridge. May I know whether government propose to take some more strict steps for the protection of such important

railway bridges, on which there is always heavy traffic and whether the government is also considering to provide arms to the guards accompanying railway trains ?

Mr. Speaker : Second part of the question may be answered.

Dr. Ram Subhag Singh : I cannot answer it.

Shri Vishram Prasad : I gather from newspapers that apart from men, Pakistan has, also sent women to various places in India. It is feared that they might drop bombs on trains and bridges etc. May I know what steps have been taken by the Govt. to check that type of thing to happen ?

Mr. Speaker : This is regarding general question of infiltrators. The present question relates to one particular incident.

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री ने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि एक ही रेलवे पटरी पर दो बम रखे थे, जिन में से एक के फटने से यह दुर्घटना हुई। परन्तु उन्होंने बताया है कि बम के फटने के बाद हमारे लोगों ने गोली चलाई। ये दोनों वक्तव्य एक साथ कैसे दे सकते हैं, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। बम वहां पर थे और वे फटे। बम कब वहां पर रखे गये थे, इसका समय वह नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : गोली पेड़ों की ओर चलाई गयी थी कि शायद वहां कोई छुपा हुआ हो।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इन बमों और फटे हुए बम के भागों को प्रयोगशाला में परीक्षण के के लिये भेज दिया गया है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं। क्या ये बम विदेशों में बने हुए थे या भारत में बने हुए थे ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जहां पहले बम फटा था और वह घटना हुई थी, उस स्थान से थोड़ा आगे जो बम पाया गया था, वह सब प्रयोजनों के लिये जांच हेतु नहीं भेजा गया। परन्तु उस पर कोई चिन्ह अंकित नहीं था। हमें जांच अधिकारी से यही सूचना मिली थी। परन्तु उसी किस्म के बम ने पहले दुःखद घटना की थी।

चौथी योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

+

*61. **श्री बासप्पा :** | **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह : | **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : | **श्री काजरोलकर :**
श्री दी० चं० शर्मा : | **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : | **श्री बृजराज सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ : | **श्री गोकरन प्रसाद :**
श्री रामेश्वर टांटिया : | **श्री दे० द० पुरी :**
श्री हिमतसिंहका : | **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री सेझियान : | **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : | **श्री मलाइछामी :**
श्रीमती मैमुना सुल्तान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के इस्पात-उत्पादन का लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इसको किस प्रकार पूरा करना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन के लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति के उपायों पर आजकल योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

श्री बासप्पा : चूंकि पांचवां इस्पात कारखाना लगाने के स्थान के बारे में योजना आयोग और मंत्रालय में मतभेद है, क्या सरकार पांचवें इस्पात कारखाने के लिये हास्पेत के दावे को और इस बात को कि ही एक क्षेत्र में अधिक इस्पात कारखाने न लग जायें, और कि इन को दक्षिण में भी लगाया जाये, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पांचवें इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में शीघ्र कोई निर्णय करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : सारा मामला मंत्रिमंडल के सम्मुख है और मंत्रिमण्डल इस पर यथाशीघ्र निर्णय करेगा ।

श्री बासप्पा : प्रतिरक्षा संबंध हमारी आवश्यकताओं के लिये बढ़िया किस्म के कुल कितने इस्पात की आवश्यकता है और इस में से कितने इस्पात का देश में ही उत्पादन होता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि कितना इस्पात आयात किया जाता है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है । क्या विदेशी मुद्रा के इस व्यय को बचाने के लिये भद्रावती जैसे उच्च श्रेणी के इस्पात के कारखानों का विस्तार किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : एक ही प्रश्न में अनेक प्रश्न कर दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी एक का उत्तर दीजिए ।

श्री प्र० चं० सेठी : 1970-71 में 173 लाख टन नर्म इस्पात की आवश्यकता होगी । इस में लगभग 10 लाख टन इस्पात निर्यात के लिये शामिल होगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know how much steel will be produced in the private and public sectors in the Fourth Five Year Plan ?

Shri P. C. Sethi : At present there are only two plants in the private sectors *i.e.* TISCO & I.I.S.C.O. They have been granted permission for expansion. On receipt of their progress report it will be known as to what extent they should be expanded.

श्री लिंग रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लक्ष्य में अनेक इस्पात कारखानों के विस्तार का कार्यक्रम शामिल किया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हां, श्रीमान् । इस में विस्तार कार्यक्रम भी शामिल है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान योजना में कितनी कमी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय लगभग दस लाख टन की कमी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पांचवें, छटे तथा अन्य इस्पात कारखानों के लिये विदेशी द्रा की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जायेगा ? क्या मन्त्रालय तथा योजना आयोग ने इस पर ध्यान दिया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : जब तक हम प्रारम्भिक रिपोर्ट मंजूर नहीं कर लेते और उसके बारे में उन्हें संकेत नहीं कर देते तब तक हम सार्थ-संघ के साथ विदेशी मुद्रा की समस्याओं के बारे में बातचीत नहीं कर सकते । इसलिये सर्वप्रथम तो मन्त्रिमंडल स्थान के बारे में निर्णय करेगा और इसके बाद ही हम बातचीत आरम्भ करेंगे । मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि हम यह कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी विदेशी मुद्रा से हम अपने यहां ही धमन भट्टियां और कोक ओवन बैटरियां किस प्रकार बना सकते हैं ।

हम इस बात की जांच कर रहे हैं और आशा है कि अगले कुछ महीनों में हम कुछ निर्णय कर सकेंगे । इस में विदेशी मुद्रा का व्यय बहुत कम हो जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि इस्पात का लक्ष्य निर्धारित करने का मामला भारत सरकार और योजना आयोग के विचाराधीन है तो क्या पहले स्वीकार किये गये अनुमानित लक्ष्य में कोई परिवर्तन किये जाने की संभावना है ? यदि नहीं तो क्या इस्पात के उत्पादन के लिये अन्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात्, विद्युत्, परिवहन आदि के लिये समेकित कार्यक्रम बनाने का विचार किया जाएगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मंत्रालय ने चौथी योजना में 165 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । इसलिये स्वाभाविक है कि इसके लिये आवश्यक धन की व्यवस्था की जाए । इसलिये यह प्रश्न योजना आयोग के समक्ष है । जब तक हम कम से कम यह लक्ष्य प्राप्त न कर लें, इसमें पांचवीं योजना में पुनः इसकी कमी रहेगी, इसलिये यह सारा प्रश्न विचाराधीन है । अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि अन्तिम रूप क्या होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि चौथी योजना में इस्पात की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देशी इस्पात किस अनुपात में उपलब्ध होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे विचार से हम मिश्रित इस्पात की आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे, क्योंकि हम न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी मिश्रित इस्पात के उत्पादन पर विशेष जोर दे रहे ह ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि चाथी योजना में 1.5 लाख टन विशेष अथवा मिश्रित इस्पात के उत्पादन की क्षमता पहले ही निजी क्षेत्र के कुछ कारखानों के लिये निर्धारित कर दी गई है, और यदि हां, तो वे कारखाने कौन कौन से हैं और इस संबंध में, कि वे पहले की अपेक्षा अच्छा कार्य करेंगे, क्या सरकार को कोई आश्वासन दिया गया है, यदि हां, तो क्या ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां । 'महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा', टाटा और कई अन्य निर्माताओं को अतिरिक्त उत्पादन करने की स्वीकृति दी गई है । सभी नाम तो बिना पूर्वसूचना के मैं बता नहीं सकूँगा । इस के साथ ही सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विस्तार करने के लिये सरकार पग उठा रही है, अर्थात् दुर्गापुर मिश्रित इस्पात तथा मैसूर मिश्रित इस्पात कारखाने । इस प्रकार हम केवल निजी क्षत्र पर ही नहीं, परन्तु सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं पर भी निर्भर करते हैं ।

श्री मा० ना० तिवारी : विशेष इस्पात के उत्पादन पर इस प्रकार बल देने से नर्म इस्पात के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या नर्म इस्पात के उत्पादन में कमी हो जाएगी, और यदि हां, तो इसे किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

श्री संजीव रेड्डी : नर्म इस्पात के उत्पादन में कमी होने का कोई प्रश्न नहीं है। खपत भी तो बढ़ जाती है। जब हम 40 से 50 लाख टन का उत्पादन करते थे तो हमें 10 लाख टन की कमी थी, अब जब कि हम 165 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं तब भी इस्पात में कमी हो रही है। इसका कारण औद्योगिक विकास तथा बढ़ती हुई मांग है।

श्री काजरोलकर : क्या प्रतिरक्षा संबंधी नई आवश्यकताओं को देखते हुए कोई नया लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : प्रतिरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए क्या सरकार का विचार बढ़िया किस्म के खनिज लोहे के निर्यात कार्यक्रम में पुनरीक्षण अथवा इस पर पुनर्विचार करने का है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। क्योंकि इसका प्रतिरक्षा संबंधी उत्पादन से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरक्षा संबंधी विशेष तथा मिश्रित इस्पात की आवश्यकताओं को तो हमें देश में ही पूरा करना होगा। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में खनिज लोहे का निर्यात बाधक नहीं होगा।

श्री मलाइधामी : मिश्रित इस्पात की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से क्या चौथी योजना के दौरान सलेम इस्पात संयंत्र में मिश्रित इस्पात का उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ?

श्री संजीव रेड्डी : हम न केवल दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये पग उठा रहे हैं, अपितु भद्रावती कारखाने को मिश्रित इस्पात कारखाने में परिवर्तित किया जा रहा है। सलेम संयंत्र की जांच जापानी विशेषज्ञ कर रहे हैं और वे अपनी रिपोर्ट आगामी दो मास में पेश कर देंगे।

डा० मा० श्री० अणे : प्रतिरक्षा पर सरकार द्वारा किये जाने वाले असाधारण व्यय को देखते हुए क्या सरकार विशष वस्तुओं पर अधिक व्यय करने की बजाय उन पर कम व्यय करने का विचार कर रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : इस्पात पर होने वाला व्यय अन्य वस्तुओं पर होने वाले व्यय से भिन्न है। देश की प्रगति और सुरक्षा दोनों विशेष तथा मिश्रित इस्पात पर निर्भर करती है, इसलिये हम इन पर किये जाने वाले व्यय में कटौती नहीं कर सकते।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि हमारे कुछ इस्पात संयंत्रों ने प्रतिरक्षा संबंधी प्रायः सब विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने की पेशकश की है ? चूंकि हमारे इस्पात कारखाने साधारणतया नर्म इस्पात का निर्माण करते हैं, इसलिये प्रतिरक्षा के लिये उत्पादन करने का अर्थ होगा बेलन कार्यक्रम तथा गरम करने के उपकरणों में परिवर्तन करना। क्या सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन आरंभ करने की संभावना और देश में साधारण इस्पात के उत्पादन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम प्रतिरक्षा मंत्रालय से लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं और जिस प्रकार का बेलित माल वे चाहते हैं हम उन्हें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें विशेष तथा मिश्रित इस्पात की आवश्यकता है और हम इसके उत्पादन के लिये प्रयत्नशील हैं। आशा है चौथी योजना में हमें इसमें सफलता मिलेगी।

श्री राम सहाय पाण्डेय : चौथी योजना में परिकल्पित इस्पात के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए क्या हम इस अतिरिक्त उत्पादन की सहायता से इस्पात का निर्यात कर सकेंगे अथवा कम से कम आयात को पूर्णतया बन्द कर सकेंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : निर्यात तो हम अब भी कर रहे हैं। गत वर्ष ही हमने एक लाख टन से अधिक निर्यात किया था। इस वर्ष 3 लाख टन निर्यात का विचार है। स्वाभाविक है कि हम निर्यात थोड़ा और बढ़ा कर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहेंगे।

श्री राम सहाय पाण्डेय : आयात बन्द करने का क्या हुआ ?

श्री संजीव रेड्डी : आयात बन्द नहीं होगा।

Shri Brij Behari Mehrotra : Has the permission been accorded to a Kanpur firm to produce alloy steel? If so, the progress made in this connection ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

एशियाई विकास बैंक

\+
*62. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्री नारायण दास : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री काजरोलकर :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एशियाई विकास बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है;

(ग) बैंक के सही सही उद्देश्य तथा कृत्य क्या हैं; और

(घ) इसमें भारत किस रूप में भाग लेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : इस प्रस्ताव पर कुछ दिनों से विचार हो रहा था और मनीला में 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1965 तक एशियाई आर्थिक सहयोग पर होने वाले द्वितीय मंत्री सम्मेलन में और भी विचार किया जायगा। उसी समय एशियाई विकास बैंक के उद्देश्यों और कार्यों के रूप का ठीक ठीक निर्धारण होने की सम्भावना है और तभी अन्तिम निश्चय किये जायगे।

भारत इस सुझाव के प्रस्तावकों में से एक था और भारत ने इस प्रस्ताव का सिद्धान्तरूप से समर्थन किया है परन्तु इसमें भारत किस रूप में भाग लेगा यह द्वितीय मंत्री सम्मेलन के बाद ही तय किया जायगा। प्रस्तावित बैंक के उद्देश्यपत्र का सारांश सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5074/65।**] ये सब अस्थायी प्रस्ताव हैं और इन पर 29 नवम्बर, 1965 को मनीला में होने वाली 'इकेफे' मिनिस्टीरियल कान्फ्रेंस में विचार किया जाएगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यागत (ईक्विटी) अंश अधिकतर जापान और अमरीका के होंगे अर्थात् 100 करोड़ डालर में से 40 करोड़ डालर और अन्य यूरोपीय देशों तथा आस्ट्रेलिया आदि की सहायता से यह 70 करोड़ डालर हो जायेगा। मैं जानना चाहती हूं कि हम 9.3 करोड़ डालर की ही व्यवस्था क्यों कर रहे हैं और इस एशियाई विकास

बैंक की नीतियों पर हम कितना नियंत्रण रखने की आशा करते हैं, क्योंकि यह बैंक अफ्रीकी विकास बैंक जैसा नहीं है, जिसकी समस्त पूंजी की व्यवस्था अफ्रीकी देश करते हैं।

श्री मनुभाई शाह : शायद मा० सदस्य ने इसे संक्षेप से पढ़ा है। अमरीका 20 करोड़ डालर से अधिक नहीं देगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैंने तो जापान तथा अमरीका दोनों का उल्लेख किया था

श्री मनुभाई शाह : सब से पहले तो मैं एशियाई और गैर-एशियाई सदस्यों में अन्तर मान रहा हूं। जापान एशियाई सदस्य है और एशिया सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग का पूरा भागीदार है। दूसरे, 20 करोड़ डालर अमरीका द्वारा दिये जाने से भिन्न, हमने भाग लिये जाने का आधार निश्चित किया है, अर्थात् देश का 70 प्रतिशत कुल शद्ध उत्पादन उसकी जनसंख्या में से, 15 प्रतिशत निर्यात में से, और शेष 15 प्रतिशत कर राजस्व में से रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ विवरण में बताया जा चुका है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मनुभाई शाह : चुंकि ये थोड़ी तकनीकी बातें हैं, इसलिये आपकी अनुमति से मैं इन्हें स्पष्ट करना चाहूंगा, ताकि माननीय सदस्य कुछ और न समझने लगें। गवर्नरों के बोर्ड में, 10 में से 7 सदस्य एशियाई होंगे, इस प्रकार गैर-एशियाई अल्पसंख्यक में होंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं तो यह बताना चाहती थी कि जापान और अमरीका के बीच सहयोग ही एकमात्र एशियाई पहलू है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ बतानें के स्थान पर प्रश्न पूछने चाहियें।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मुझे मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहियें। जेनेवा में शुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौतें की वार्ताओं में जापान द्वारा अपनायें गये दृष्टिकोण विषयक हमारे पिछले अनुभव के अनुसार क्या माननीय मंत्री गम्भीरतापूर्वक यह बताने का यत्न करेंगे कि क्या इस बैंक से हमें कोई लाभ होगा? क्या पश्चिमी गुट इसपर पूरा अधिकार नहीं कर लेगा?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में पश्चिमी गुट का यहां कोई काम नहीं है। आपके निष्कर्ष में बहुत सी गलत बातें मिली हुई हैं। प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते के समक्ष विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में जापान ने एशिया तथा सुदूरसूर्व आर्थिक आयोग के एशियाई देशों की सदा सहायता की है। और मैं यदि इस कारण से जापान की निन्दा करूंगा तो मेरे लिये ठीक नहीं होगा। इसके विपरीत उद्योग सम्पन्न देशों के साथ हमारे सारे संघर्ष के दौरान जापान हमारे मुख्य समर्थकों में से एक था। इसके अतिरिक्त एशियाई देशों को एशियाई विकास बैंक में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता। मतदान के अधिकार का अंश रखने से कोई संबंध नहीं है और हम, एशिया में मुख्य भागीदार होने के नाते तथा 9.3 करोड़ डालर लगाने के कारण डायरक्टरों के बोर्ड के प्रायः स्थायी सदस्य होंगे।

Shri Yashpal Singh : What would be the distinction between this Bank and the World Bank and what would be India's contribution ?

Shri Manubhai Shah : World Bank finances gigantic project having international importance, whereas the Asian Development Bank utilises its money only amoung Asian countries and world finances only these projects for different people in different Countries in Asia alone.

Shri Yashpal Singh : What would be India's share ?

Shri Manubhai Shah : 93 million dollars out of 1,000 million dollars.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे देश की हाल ही में हुए दुखद अनुभव की दृष्टि से क्या सरकार इस प्रस्तावित बैंक के उद्देश्य पत्र और नियमों में कुछ प्रत्याभूतियां शामिल करवाने के प्रयत्नों पर विचार कर रही है ताकि पाकिस्तान, जो इसका एक सदस्य भी है, विकास के नाम पर ऋण न ले सके जिसे बाद में वह हमारे विरुद्ध युद्ध की तैयारी पर व्यय करे ?

श्री मनुभाई शाह : इसका सदा ध्यान रखा जाएगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार भी कहीं उत्तर दिया जाता है । हम बैंक की कार्यविधि के बारे में कुछ नहीं जानते ।

श्री मनुभाई शाह : मैंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, हम सदा यह ध्यान रखेंगे वह ऋण के लिये जिस किसी परियोजना का प्रस्ताव रखेगा उसकी आवश्यकता अनुसार ही उसकी उचित जांच हो । किसी भी परियोजना का अनुमोदन भारत जैसे किसी मुख्य सदस्य की सहमति के बिना नहीं होगा ।

श्री काजरोलकर : क्या इस प्रकार का कोई प्रयत्न किया गया है ताकि इस बैंक का मुख्यालय कलकत्ता, बम्बई, नई दिल्ली अथवा यहीं कहीं और स्थापित किया जाए ?

श्री मनुभाई शाह : अभी वह स्थिति नहीं आई ।

श्री रंगा : हाल ही में विश्व बैंक को अर्पित किये गये धन को जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किया गया उससे उत्पन्न संदेहों की दृष्टि से क्या सरकार मंत्रियों के स्तर पर होने वाली आगामी सम्मेलन में यह सुनिश्चित करेगी कि नियम आदि बना लिये जाएं और यह किया जाए कि धन केवल विकास प्रयोजनों के लिये ही दिया जाएगा और इसपर देखरेख करने की भी व्यवस्था होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि इस धन का सैनिक कार्यों के लिये दुरोपयोग तो नहीं हो रहा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, सभी विकास परियोजनाएं इसी धन से चलायी जायेंगी । हम स्वयं अपने देश में ही विदेशी देखरेख के विरुद्ध हैं । मुख्य रूप से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परियोजना बहुउद्देशीय अथवा सैनिक तथा विकास संबंधी तो नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जायेगा कि चीन जैसे देश बैंक के कार्यों में प्रवेश न कर पाये और यह कि यदि वे ऐसा करने में सफल हो भी जायें, तो वे हमारे जैसे देशों के विरुद्ध आक्रामक प्रयोजनों पर बैंक के साधनों का प्रयोग न कर सकें ?

श्री मनुभाई शाह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है और उन देशों के लिये इस बैंक की सदस्यता का प्रश्न ही नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : परन्तु उनके इस बैंक में भाग लेने के विरुद्ध कैसे आश्वासन दिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : वैसे ही जैसे उन्होंने अपने उत्तर में कहा है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : अब तक कितने एशियाई देशों ने इस बैंक में अपनी पूंजी लगाना मान लिया है ?

श्री मनुभाई शाह : थाईलेण्ड, फिलिपाइन्स, कम्बोडिया, लाओस, जापान, और भारत । श्री लंका अभी इस पर विचार कर रहा है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : भारत को इस बैंक से कितनी मात्रा में सहायता मिलने की संभावना है?

श्री मनुभाई शाह : इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

श्री वारियर : विवरण में कहा गया है कि :

"कुल मतों का 20 प्रतिशत भाग बैंक के सभी सदस्य देशों में बराबर बांटा जाएगा। शेष 80 प्रतिशत दी गयी शेयर पूंजी के अनुपात के अनुसार आंवटित किया जाएगा।"

इस तथ्य की दृष्टि से कि अमरीका ने 20 करोड़ डालर देने का वचन दिया है, क्या इस से उसके मतदान के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : 20 करोड़ डालर कुल एकत्र होने वाली पूंजी का दसवाँ भाग है तो सब से अधिक उसका 10 में से एक मत होगा। वहां 7 एशियाई और 3 गैर-एशियाई सदस्य होंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या रूस को भी इस बैंक में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया जायेगा?

श्री मनुभाई शाह : हमने रूस को भी आमंत्रित किया है और मनीला में होने वाली चर्चा का केन्द्र भी यही विषय होगा ।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has stated that no country would be able to make use of these finances for military purposes. I want to know whether production of military equipment is not part of development ? Or the word 'development' has some other limited scope.

Shri Manubhai Shah : If the countries of the world were to link defence and development together the development will totally stop. But it will be assured that no project might get through which has direct military impact.

Shri Rameshwaranand : In development,....

Mr. Speaker : He has replied as best as he could.

Shri Kashi Ram Gupta : Would non-member countries also be eligible for loans for this Bank ? Whether Formosa would also be able to become its member ?

Shri Manubhai Shah : As I have already stated, the criterion for membership is that any country who is a member of the U.N. and E.C.A.F.E. can automatically become a Member of this bank. As to which countries would become members, this would be known only after the receipt of replies to the Charter and their Governments' acceptance thereof.

Shri Kashi Ram Gupta : Would non-members also get loans?

Shri Manubhai Shah : No Sir, she would not get.

श्रीमती सावित्री निगम : क्योंकि बड़ी बड़ी राशियां दी जायेंगी, इसलिये क्या इसका उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या कोई देखरेख टुकड़ी की स्थापना के लिये किसी प्रयोजन का सूत्रपात किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

2—45 L. Sabha/65

श्री हेम बारुआ : क्या एशियाई बैंक, विश्व बैंक का ही नमूना होगा और यदि नहीं तो इस बैंक से क्या विषेश लाभ होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : विश्व नीति में ऐसा हुआ है कि कभी कभी विश्व बैंक एशिया के प्रगतिशील देशों की उपेक्षा करता रहा है जो इस बैंक की सहायता पाने के लिये अत्याधिक संख्या में है, इसलिये अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने अफ्रीकी बैंक, लेटिन अमरीका के देशों ने अन्तर-अमरीकी बैंक खोलने का निश्चय किया है और इसीलिये हम ने एशियाई बैंक खोलने का निश्चय किया है ।

Import Rationalisation and Import Substitution Committee

+

***63. Shri P. C. Borooah :**
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :
Shri Heda :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 716 on the 17th September, 1965 and state :

(a) whether the Committee on Import Rationalisation and Import Substitution has submitted its interim report to Government ; and

(b) if so, the main recommendations thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b). The Committee is holding discussions with trade and industry and other concerned interests. The Interim Report has not yet been submitted to Government.

श्री प्र० चं० बरुआ : तृतीय योजना के लिये मशीनों और पुर्जों की कुल आवश्यकता क्या होगी ? इनमें से देश में ही कितने तैयार होंगे और कितने आयात करने पड़ेंगे। प्रथम और द्वितीय योजना की तुलना में इनकी स्थिति कैसे रहेगी ?

श्री मनुभाई शाह : तृतीय योजना के वर्तमान वर्ष में यह 986 करोड़ रुपये के होंगे। चौथी योजना में यह 1200 से 1300 करोड़ रुपये तक के होने की संभावना है । हम कोशिश कर रहे हैं कि समिति शीघ्र ही अधिकाधिक पुर्जों को देश में ही बनाने की सिफारिश करे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या आयात किये जाने वाले पुर्ज़ों के अपेक्षा देश में ही बने पुर्ज़े घटिया और महंगे होते हैं ?

श्री मनुभाई शाह: यह बात मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भारतीय वस्तुएं विदेशी वस्तुओं से घटिया हैं ।

Shri Yashpal Singh : What steps are being taken to achieve self sufficiency?

Shri Manubhai Shah : The difference is that previously we stopped imports half-heartedly but now we enforce it very rigorously.

श्री रंगा : सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है कि आयात प्रतिस्थापन के पूरी तरह विकसित होने तक देश के उद्योगों को हानि न हो जैसे रेयन उद्योग को कच्चे माल के अभाव के कारण हानि हो रही है ।

श्री मनुभाई शाह : मैं आश्वासन देता हूं कि यह नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री मुथिया : क्या सरकार आयात किये जाने वाले पुर्जों आदि के स्थान पर उन्हें देश में ही बनाने पर विचार करने के लिये प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का एक दल नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारी यही कोशिश रही है कि अधिक सामान देश में तैयार किया जाये । और अब हम इसे अधिक जोर से करेंगे ।

बोकारो इस्पात कारखाना

+

*64. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती बिमला देवी :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिंमतसिंहका :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दल ने जो बोकारो इस्पात कारखाने की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिये मास्को गया था अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बोकारो योजना की क्रियान्विती में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : जैसा कि 27 अगस्त, 1965 को अतारांकित प्रश्न संख्या 891 के उत्तर में कहा गया था 12 भारतीय इंजीनियरों का एक दल बोकारो इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तयार करने के काम में भाग लेने के लिये जून, 1965 में रूस भेजा गया था । यह विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन अब तैयार हो चुका है और रूस से भारत को प्रषित किया जा रहा है । इस परिस्थिति में प्रतिवेदन के यहां प्राप्त होने पर ही उसकी मुख्य 2 बातें बतानी संभव होगी ।

प्रायोजना के लिये लगभग 36,830 एकड़ आवश्यक भूमि में से 12,675 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है । हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० ने जो सरकारी क्षेत्र की एक उपक्रम है स्थल तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है । सहायक सुविधाओं जैसे जल की पूर्ति के लिये तेनुघाट और गार्ग बांध बनाने, बस्ती अस्पताल और कार्यलय भवन निर्माण करने के कार्य किये जा रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार पूरा काम एक ही भारतीय फर्म को सौंपना चाहती है और यह बात विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के विरूद्ध है ; यदि हां, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमने सोवियत संघ से करार किया है । अत: हमें उसकी रिपोर्ट और सलाह ध्यान में रखनी होगी । और कोई बीच में नहीं आयेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वतमान संघर्ष के कारण परियोजना की स्थापना में विलम्ब होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं, बल्कि हम तो इसे शीघ्रता से करने की कोशिश कर रहे है ।

डा० सरोजिनी महिषी : बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में रूस भेजे गय इंजीनियरों के इस दल ने वहां पर ढ़िज़ाई सम्बन्धी कार्य के भाति और क्या काम किया ?

श्री प्र० चं० सेठी : उन्हें वहाँ पर परियोजना की रिपोर्ट की तैयारी में भाग लेने तथा डिज़ाई कार्य का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था। उन में सात वापिस आ गये हैं और शेष 6 अभी वहां आगे अध्ययन कार्य कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपात कालीन स्थिति का ध्यान रखते हुए बोकारो में मिश्रित तथा विशेष प्रकार का इस्पात बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात के लिये विस्तार का प्रस्ताव है। सेलम में भी मिश्रित इस्पात के उत्पादन करने पर विचार हो रहा है। मैसूर में भद्रावतीमें भी यह कार्य करने का विचार है।

श्री रामेश्वर टांटिया : प्रथम चरण में कितना व्यय होगा तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय मैं ठीक ब्यौरा नहीं दे सकता। लगभग 35 से 40 प्रतिशत भारतीय भाग होगा। रूस 10 करोड़ रुबल की विदेशी मुद्रा लगायगा और 10 करोड़ रुपये लगेंगे।

श्री नाथ पाई : भारतीय सलाहकारों के बारे में सरकार की नीति अस्थिर है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय सलाहकारों को क्या काम दिया जायेगा और क्या मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय के पश्चात् भी कोई रुकावट खड़ी हो गई है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं आशा करता था कि यह प्रश्न पूछा जायेगा। हम कुछ छोटे से मतभेदों को समाप्त कर रहे हैं। भारतीय सलाहकारों के साथ दो बार बातचीत हो चुकी है। हम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद रूसी तथा भारतीय सलाहकारों के हितों का ध्यान रखते हुए हम ऐसा सिद्धान्त बना रहे है जिससे सलाहकारों को अतिरिक्त कार्य दिया जायेगा। सामान्य बातों पर सलाहकारों और सरकार के बीच सहमति है।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है परन्तु मेरा प्रश्न और था यह ठीक है कि भारतीय तथा रूसी सलाहकारों के बीच कोई मतभेद नहीं है परन्तु हमें पता चला है भारतीय इस्पात कार्पोरेशन तथा भारतीय सलाहकारों के बीच प्रबन्धकों के स्तर पर मतभेद है। क्या माननीय इसपर प्रकाश डाल सकते है ?

श्री संजीव रेड्डी : ठीक इसी बात पर दो बार विचार व मर्श हो चुका है। उस समय भारत सरकार तथा इस्पात निगम के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : इस परियोजना के निर्माण कार्य में भारतीय तथा रूसी तकनीशनों की प्रतिशत क्या होगी।

श्री संजीव रेड्डी : कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के अतिरिक्त सभी भारतीय लोग होंगे

श्री स० चं० सामन्त : क्या योजना के काम के लिये समय समय पर भारतीय इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों को काम के लिये रूस भेजा जायेगा और क्या भारतीय सलाहकारों से सलाह की जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : हमने भारत में भी कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब आवश्यकता हुई तो कुछ लोगों को रूस भी भेजा जायेगा। भिलाई का कारखाना रूस की सहायता से बना है वहां बहुत से व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है उन्हें बोकारो ले जाया जायेगा।

श्री रंगा : सार्वजनिक उपक्रम समिति के ध्यान में यह बात आई है कि इन उपक्रमों ने बहुत अधिक भूमि अर्जित कर रखी है। क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है ताकि अधिक अनाज

उपजाओं आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? बोकारों के लिये 36,000 एकड़ भूमि लेने का विचार है और 12,000 एकड़ पहले ही ले ली गई है ?

श्री संजीव रेड्डी : जब भविष्य में विस्तार के काम के बारे सोचते तो अतिरिक्त भूमि लेना आवश्यक है । उदाहरण के लिये रूड़केला को लीजिये । वहां पर आरंभ में कम भूमि ली गई थी, इस लिये अब विस्तार कार्य में कठिनाई हो रही है । यदि और भूमि होती तो उत्पादन 40 लाख टन तक हो जाता जो कि अब 2500 लाख टन है एसी बात को घ्यान में रखते हुए ही अधिक भूमि ली जाती है । हम किसानों को भी भूमि से वंचित नहीं करना चाहते ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : बोकारो कारखाने का कार्यालय कलकत्ता में ही रखने का क्या कारण है और इसे कारखाने के स्थान पर क्यों नहीं लाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह कई बार पूछा गया है ।

श्री संजीव रेड्डी : यह इसी महीने स्थानांतरित किया जा रहा है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : यह समाचार आया था कि हज़ारों कर्मचारी जिनमें इंजीनीयर भी थे फालतु हो गये है । क्या इन को कार्य उपलब्ध किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : हां, भिलाई में लगभग 18000 मज़दूर फालतू हो गये हैं । उनमें से कुछ बोकारों में लगा लिये जायेंगे । हम कोशिश करेंगे ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार ने प्रबन्धकों को आदेश दिया है कि स्थानीय लोगों को जिन की भूमि ले ली गई है रोज़गार देने में प्राथमिकता दी जाये ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, फालतू घोषित किये गये मजदूरों तथा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री नाथ पाई को उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा है कि भारतीय इंजीनियरों को अतिरिक्त कार्य दिया जायेगा । यह कार्य क्या होगा ? क्या उन्हें मुख्य कारखाने के निर्माण कार्य से सम्बद्ध किया जायेगा या बाग आदि लगाने के कार्य में लगाया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय किया जायेगा ।

श्री बासप्पा : इस कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : इसकी 45 लाख टन होने की आशा है ।

श्री मुहमद इलियास : बोकारों के लिये निर्माण कार्य के लिये कितने ठेकेदार नियुक्त किये गये हैं और क्या टैन्डर मांगे गये थे ।

श्री संजीव रेड्डी : अभी तो कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन जो सरकारी उपक्रम है निर्माण कार्य कर रही है । उनके पास पूरा सामान नहीं इसलिये ठेकेदार नियुक्त करने पड़ेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि मास्को जाने वाले दल ने परियोजना की सभी बातों के बारे में अध्ययन नहीं किया । इसके क्या कारण है ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे विचार में उन का आरंभिक स्थिति में कार्य में भाग लेना भविष्य के लिये लाभदायक रहेगा ।

श्री दे० जी० नायक : अर्जित की गई भूमि के फ़लस्वरूप बहुत से किसानों को विस्थापित कर दिया गया है । इन लोगों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या बोकारो में खर्च के इस को शामिल कर लिया गया है?

श्री संजीव रेड्डी : प्रतिकर उदारता से दिया जा रहा है। विस्थापित परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार दिया जायेगा । हम कहां तक सफल होंगे यह नहीं कहा जा सकता ।

कपड़ा मिलों में कपड़े का जमा हो जाना

\+
***65. श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सं० मो० बनर्जी :
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों में कपड़े और सूत का बहुत बड़ा स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मिलों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कई टैक्सटाइल मिलों में थोड़ा स्टाक इकट्ठा हो गया है । इसका कारण देश में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के आपत्काल के कारण कपड़े की कुल खरीद और उपभोग में काफी कमी हो जाना है । मिलों द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उनके पास इन स्टाकों को रखने के लिये पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं है । 4.3 लाख गांठ का यह स्टाक लगभग छः सप्ताह का उत्पादन है और इसमें से नियन्त्रित कपड़ा (जो उत्पादन का 50 प्र० शत है) केवल 1.9 लाख गांठ ही है और 2.4 लाख गांठे अनियंत्रित किस्म की हैं ।

एकत्रित स्टाक निकालने और कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये नीचे दिये कदम उठाये गये हैं:—

(1) मिलों को कुछ अतिरिक्त ऋण सुविधायें देने के लिये रिजर्व बैंक ने पहले ही आदेश दे दिये हैं ।

(2) उपयुक्त मामलों में, मिलों को बैंकों से ऋण, सरकारी गारण्टी के अन्तर्गत प्राप्त कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(3) मिलों को तीन माह की अवधि के लिये यह सुविधा स्वीकृत की गयी है कि वे धागे की बिक्री बीम-साइज में अथवा किसी भी अन्य रूप में बगैर किसी प्रतिबन्ध के करें ।

(4) हथकरघा वस्त्र की चार सप्ताह तक विशेष बिक्री छूट स्वीकृत की गयी है ।

Shri Yashpal Singh : The statement shows that the mill owners have shown artificial scarcity. What steps have been taken by Government in this connection.

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : There is no question of artificial scarcity in the statement. It has been asked that what are the reasons of accumulation of cloth in the mills and answer has given in the statement.

Shri Yashpal Singh : On the one hand it is said that cloth is accumulating and on the other there is scarcity in the villages. What remedy Government has got for this?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कपड़े की कोई कमी नहीं है बल्कि स्टाक उठाये नहीं गये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस जमाव के कारण दरों में वृद्धि करने की मांग की गई है; यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सें० वें० रामस्वामी : स्टाक न उठाने के कुछ कारण हैं । लड़ाई के समय में सीमावर्ती राज्य माल नहीं उठा रहे । यही कारण है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या कोर्स और मध्यम दर्जे के इकट्ठा होने के कारण कई मिलों के विशेष रूप से कानपुर में बन्द होने का भय है? और एक तो बन्द हो भी गई है? इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : देश की कुल 566 मिलों में से 293 मिलें कम्पोज़ट और 273 स्पिनिंग मिलें हैं : केवल 20 मिलों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से एक कानपुर में है । हम 40 लाख रुपये का एक विस्तार ऋण दे रहे है । यह विषय शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष आनेवाला है और शीघ्रही निर्णय घोषित कर दिया जायेगा ।

श्री रंगा : कोयम्बतुर मिल्ज़ के बारे में क्या है ?

श्री वारियर : यहां कहा गया है कि स्टाक जमा हो जाने के कारण मिलें बन्द हो रही है परन्तु वास्तव में मिल मालिक मज़दूरों को धोखा देने के लिये और मिलें बन्द करने के लिये और तरीके अपना रहे हैं ।

श्री मनुभाई शाह : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि यह कहां पर हो रहा है ?

श्री नाथ पाई : क्या बम्बई की इन्दु (आई० एन० डी० यु०) मिलों में जहां पर 19000 मज़दूर काम करते है भी गम्भीर स्थिति खड़ी हो गई है ? इस बारे में सरकार क्या कायवाही कर रही है और क्या यह गड़बड़ माल इकट्ठा हो जाने के कारण है या मिलों के कुप्रबन्ध के कारण ?

श्री मनुभाई शाह : इन मिलों में कुप्रबन्ध, वित्त का अभाव आदि कारण हैं । पन्द्रह दिन हुए जांच के लिये हमने बेडेकर समिति नियुक्त की है । इसकी रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु इन मिलों का इतिहास देखते हुए मेरा विचार है कि हमें इन का अधिकृत नियन्त्रण अपने हाथ में लेना पड़ेगा ।

श्री शिवाजी शं० देशमुख : क्या बड़े बड़े मिल मालिक कपड़े के जमा होने के कारण रूई के दर में कमी तो नहीं कर देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : इस के विपरित रूई के दर बढ़ते जा रहे हैं और अधिकतम सीमा से ऊपर हो गये हैं ।

डा० रानेन सेन : कुछ वर्ष हुए पहले मजूरी बोर्ड की नियुक्ति से पहले भी ऐसे ही हुआ था और मंडियों में कपडा जमा हो गया था । इस बार भी दूसरे कपड़ा मजूरी बोर्ड की घोषणा होने के समय वसी ही तथा कथित गम्भीर स्थिति खड़ी हो गई है । क्या सरकार ने वास्तविक स्थिति के बारे में जांच की है ?

श्री मनुभाई शाह : कोई गम्भीर स्थिति नहीं है परन्तु अधिक स्टाक होने के कारण कुछ कठिनाई ख ी हो गई है । हमने जाँच की है और जैसा मेरे माननीय सहयो ी ने बताया है छ: सप्ताहों के 4.3 लाख गांठ इकटे हो गये हैं । आजकल वित्त की स्थिति ठीक नहीं और पाकिस्तान के साथ संघर्ष भी है । कपड़े का भी दूसरी उप ोक्ता वस्तुओं की भान्ति उठाया जाना आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब तथा हिमाचल के पश्चिमी भाग के लिये कम हो गया है । इन सब कारण कठिनाई हो गई है । हम प्रत्येक मिल के मामले को अलग अलग ले रहे है और ऐसे मामले 20 से अधिक नहीं हैं ।

Shri Bade : You have reported in the statement the following :

"......हाल ही से भारत-पाकिस्तान संघर्ष के उत्पन्न आपात कालीन स्थिति से देश में कपडे की खपत तथा खरीद कम हो गई हैं।"

May I know whether the above statement is correct ? My information is that the stocks of cloth increased in the mills during the months of May and June. May I know whether it is due to the fact that the cloth is being exported in less quantity now and the Government is applying more control on cloth.

श्री सें० वे० रामस्वामी : नियंत्रण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । सामान्यतया चार सप्ताह तक का स्टाक जमा रहता है परन्तु संघर्ष के कारण यह स्टाक बढ़ कर छ: सप्ताह तक का हो गया था । निश्चय ही यह स्टाक संघर्ष होने तथा सीमावर्ती छः राज्यों द्वारा माल न खरीदे जाने के कारण बढ़ा है ।

श्री बड़े : यह कपड़े के मूल्य पर नियंत्रण लगाये जाने के कारण हुआ है...........

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बार-बार वही तर्क नहीं दे सकते ।

श्री हनुमन्तैय्या : माननीय मंत्री ने कहा था कि उदाहरण दिये जायें । क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि कृष्णाराजेन्द्र मिल में स्टाक जमा हो जाने के कारण तथा बैंक सुविधायें न मिलने के कारण 800 कर्मचारियों की छंटनी की है?

श्री मनुभाई शाह : हमारे उत्तर में भी यही कहा गया है कि, जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा, संघर्ष तथा बैंकों से कपड़ा उद्योग को ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी कम ऋण मिलने के कारण कठिनाई हुई है । मैसूर के मुख्य मंत्री ने मुझे उस मिल के बारे में लिखा था और हमने अग्रीम धन देने का प्रयत्न किया था । परन्तु छंटनी का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था कि स्टाक जमा हो गये है ; वास्तव में उनके पास कर्मचारी अत्यधिक संख्या में थे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसके बावजूद भी कि कपड़े तथा धागे का स्टाक जमा हो गया है, पांच या छ: नये कारखानों को धागे बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं और एक बड़े कारखाने के लिये भी लाइसेंस दिया जा रहा है ।

श्री मनुभाई शाह : यह एक प्रगतिशील देश है और इस समय के छोटे से संकट से इस प्रगति में बाधा नहीं पड़ सकती । हम इस उद्योग का विकास करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को कपड़ा उपलब्ध करा सकें तथा निर्यात कर सकें ।

श्री प्रभात कार : क्या कपड़े का मूल्य अधिक होने तथा लोगों में कपड़ा खरीदने की कम शक्ति होने के कारण स्टाक जमा हो गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : मेरे विचार में माननीय सदस्य को हमारा वार्षिक प्रतिवेदन देखना चाहिये था । तीनों क्षत्रों में अर्थात् हथकरघा उद्योग, विद्युतचालित करघा उद्योग तथा कपड़ा कारखानों में

निरन्तर उत्पादन बढ़ रहा है और इससे पता लगता है कि मांग भी बढ़ रही है। यह कठिनाई थोड़े समय के लिये है और हमें आशा है कि यह दो या तीन महीनों में दूर हो जायेगी।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र ने यह कहा है कि यह कठिनाई 4 या छः सप्ताह की है ; इस दृष्टि से तथा इस आधार पर भी कि सरकार ने यह आवश्यक समझा कि वह दक्षिण भारत तथा अन्य क्षेत्रों से कपड़ा कारखानों के स्वामियों के शिष्टमण्डल दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों तथा संसार के अन्य भागों में भज ताकि वे वहां विक्री बढ़ा सकें, क्या सरकार ने उद्योग की इस माँग पर विचार किया है कि बैंकों द्वारा ऋण-सम्बन्धी रोक हटाई जाये तथा उन्हें यह परामर्श दिया जाये कि वे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऋण दें ताकि वे स्टाक जमा होने के बारे में चिन्ता न करें ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमने "सी० टी० सी० वी०" तथा कपड़ा उद्योग परामर्श बोर्ड की बैठक ली थी। इस बठक में हमने रिज़र्व बैंक को कुछ सुझाव दिये थ कि यदि चार हफ्तों से अधिक अवधि तक का स्टाक जमा हो जाये तो तीन सप्ताह तक के अतिरिक्त स्टाक के लिये ऋण दिया जाना चाहिये और यह कि यह ऋण तीन महीनों के लिये होना चाहिये। परन्तु रिज़र्व बक ने हमारा परामर्श स्वीकार करना उचित नहीं समझा और जो ऋण दिया गया, वह पर्याप्त नहीं था। व्यापार बोर्ड की हाल ही की बैठक में भी हमने यह कहा कि कपड़ा मिलों को तथा सामान्य रूप से कपड़ा उद्योगों को अधिक रियायतें दी जानी चाहियें।

रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

+

*66. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बासप्पा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डाक एक्सप्रेस तथा यात्री रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी गयी है तथा 1 अक्तूबर, 1965 से कुछ नई गाड़ियां चलाई गई हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जिन रेलगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई गयी है उनका तथा जो नई रेलगाड़ियां चलाई गयी हैं, उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें सवारी ले जाने वाली उन गाड़ियों का विवरण दिया गया है जिनकी यात्रा में लगने वाले समय में 1-10-1965 से 15 मिनट और इससे अधिक 4 घंटे 25 मिनट तक की कमी की गयी है और इसी तारीख से जो गाड़ियां नयी चलायी गयी हैं या जिनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया है और जो प्रति दिन 6663 किलोमीटर दूरी तै करती हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5069/65।]**

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे प्रसन्नता है कि 185 यात्री, डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी रेलवे की परम्परा के अनुसार यह भी हुआ है कि अधिकाधिक गाड़ियां अब समय पर नहीं चलती तथा समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचती ?

डा० राम सुभग सिंह : इसमें भी सुधार हुआ है और मैं माननीय सदस्य का कथन शत प्रति शत स्वीकार नहीं करता।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से पता चलता है कि सरकार ने डीज़ल तेल से चलने वाली कुछ गाड़ियां चलाई हैं। सरकार ऐसी गाड़ियां किस आधार पर चलाती है और क्या रेलवे के सभी खण्डों में ऐसी गाड़ियां चलाई जायेंगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने इस विवरण में कहा है कि हावड़ा से मद्रास तक चलने वाली गाड़ियां डीज़ल तेल से चलाई जायेंगी। इसका आधार यह है कि जहां यात्री अधिक संख्या में होते हैं हम ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं क्योंकि इनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लड़ाई के दौरान भी, जब गाड़ियों की भारी मांग की और हमने यहां से पठानकोट तथा अन्य स्थानों को सामान ले जाना था, हमने डीज़ल गाड़ियों का प्रयोग किया और उनकी उपलब्धता के अनुसार हम उन्हें प्रयोग करते रहेंगे।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या मंत्री महोदय ऐसा विवरण भी सभा-पटल पर रखेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि कौन-कौन सी गाड़ियां ठीक रफ्तार से नहीं चलती हैं और उन्हें प्रायः देर हो जाती है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह पुरानी बात है और मेरे विचार में ठीक नहीं है। जहां-जहां डीज़ल तेल तथा बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाई गई हैं वहां गाड़ियों का देर से पहुंचना वस्तुतः समाप्त हो गया है। जिन खण्डों में सामान लाने ले जाने के लिये डीज़ल गाड़ियों के साथ-साथ स्टीम-गाड़ियां भी चल रही हैं वहां स्टीम से चलने वाली गाड़ियों, चाहे वे डाक गाड़ियां हों अथवा एक्सप्रेस, के स्थान पर डिज़ल गाड़ियां चलाई जायेंगी और इसीलिये इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether the hon. Minister is aware of the inconvenience caused to the passengers going from Delhi to Patna and whether some steps are proposed to be taken to remove this inconvenience ?

Dr. Ram Subhag Singh : If the hon. member goes through the Statement, he will find that now the Assam Mail arrives earlier at Patna Station and similar is the case with the Lucknow bound train.

श्री बासप्पा : छोटी लाइन होने के कारण बंगलोर से गुंटाकल तथा बंगलोर-मैसूर से हरिहर तक चलने वाली गाड़ियां लगभग कम रफ्तार से चलती हैं इसलिये क्या इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कुछ उपाय किये जायेंगे ताकि रफ्तार बढ़ाई जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : उस क्षेत्र मे गुटाकल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसे बड़ी लाइन द्वारा मद्रास से मिलाया जा रहा है। हम मंगलूर पत्तन के लिये तथा हसन और मंगलूर के बीच भी एक लाइन बना रहे हैं। यह सब बहुत ध्यानपूर्वक किया जा रहा है।

श्री हनुमन्तैया : इसे बड़ी लाइन बनाइये... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government has considered this point also that the speed could not be increased because the drivers have now become two old to operate the trains ; if so, whether some provision will be made for the retirement of these drivers after they have rendered ten years' Service as the Pilots also retire after five years' Service ? Only then the speed of the railways would increase.

Dr. Ram Subhag Singh : It will be of no special use if the drivers are given pension after ten years.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : संसार में तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां अब 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इस दृष्टि से मैं जान सकता हूं कि क्या जिन 185 गाड़ियों का माननीय मंत्री ने हवाला दिया है, उनमें से कोई गाड़ी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे भी विदेशों का कुछ अनुभव है । संसार में किसी भी स्थान पर 120 मील प्रति घंटे का औसत नहीं है । जापान में एक गाड़ी है (**अन्तर्बाधा**) जो 160 मील प्रति घंटा चलती है परन्तु वह केवल टोकियो तथा ओसाका के बीच चलती है । यह हमारी तेज़ रफ्तार गाड़ियां औसत रूप में 60 मील प्रति घंटा चलती हैं । यदि हम चाहें तो हम यह रफ्तार थोड़ी बढ़ा सकते हैं परन्तु हमें अपने यात्रियों, रेल मार्ग तथा लाइन की क्षमता को भी ध्यान में रखना है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लौह अयस्क का निर्यात

*67. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 में लौह अयस्क के निर्यात में सरकार को बहुत घाटा हुआ ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति वर्ष घाटा बढ़ता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में घाटे को रोकने के लिये कोई प्रयास किये गये हैं तथा वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । 17.54 लाख रु० का शुद्ध घाटा हुआ है जोकि कुल बिक्री का 0.77 प्रतिशत है ।

(ख) जी, नहीं । 1963–64 में 73.27 रु० का घाटा हुआ था जोकि उस वर्ष हुई बिक्री का 3.75 प्रतिशत था ।

(ग) घाटे के मुख्य कारण ये हैं—

1. विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा का बढ़ जाना जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिर गये ।
2. भारत में परिवहन और उठाने धरने की लागत उंची रहना ।
3. मज़दूरी चढ़ जाने के कारण देश में अयस्क की लागत बढ़ जाना ।

(घ) लागत घटाने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) खान से माल बाहर निकालने में पड़ने वाली लागत घटाने के लिए खानों का मशीनीकरण करना ।

(2) माल को भेजने की युक्तियुक्त व्यवस्था करना जिससे अनावश्यक रेल भाड़ा घट जाय ।

(3) सड़कों द्वारा लम्बी ढुलाई बचाने के लिए नई रेल लाइनें बनाना ।

(4) बन्दरगाहों में अयस्क को उठाने धरने आदि के उपकरणों का मशीनीकरण करना ।

(5) अयस्क को प्राप्त करने के लिए बड़े परिमाण पर समविदा करना ।

(6) भाड़े में कुछ रियायतें और अन्य रूप से सहायता देना ।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना

*68. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लेने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख): प्रधान मंत्री ने इस सदन में 26 अगस्त, 1965 को सीमेंट से नियंत्रण हटा लेने के बारे में सिद्धान्त रूप से सरकार के निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी थी। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

Prices of Tyres and Tubes

***69. Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of cycle and scooter tyres and tubes are controlled ;

(b) if so, whether it is also a fact that they are not available in the market at controlled prices and are being sold in black-market; and

(c) the steps being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) There is no statutory control over the prices of cycle and scooter tyres and tubes.

(b) Scooter tyres, bicycle tyres and tubes are available to genuine consumers at the Companies' recommended retail prices. No complaints have been received of the charging of higher prices.

(c) Government have advised manufacturing companies to ensure that their dealers do not sell these items at prices higher than those recommended by them. In addition to twelve units already manufacturing bicycle tyres and tubes in the country, nine schemes for manufacturing these items have been approved recently to meet the future demand. Sufficient capacity already exists for the manufacture of scooter tyres and tubes to meet the demand.

मोटरकारों के खरीदने के लिये पंजीकरण

*70. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री काजरोलकर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि मोटरकार खरीदने के लिए नाम लिखाते समय डाकघर बचत बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा कराना अनिवार्य होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से बोगस पंजीकरण कहां तक समाप्त हुआ है ;

(ग) क्या उचित अवधि में 'फिएट' मोटरकार मिलने की संभावना बढ़ गई है ;

(घ) चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में मोटरकारों की कितनी मांग हो जाने का अनुमान है; और

(ङ) उसकी पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस आदेश से तीन किस्म की कारों के पंजीकरण में निम्नलिखित प्रकार से कमी हो गई है :—

एम्बासेडर . . .	35 प्रतिशत के लगभग
फिएट	15 प्रतिशत के लगभग
स्टैंडर्ड हेराल्ड . . .	38 प्रतिशत के लगभग

(ग) फिएट कारों के पंजीकरण कराने की संख्या में कमी हो जाने की दृष्टि से इस मेक की कार दी जाने की स्थिति में कुछ थोड़ा सा सुधार हुआ है ।

(घ) चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कारों की अनुमानित मांग 80,000 प्रति वर्ष हो जायेगी ।

(ङ) विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्पन्न सीमितताओं के अन्दर ही कारों का उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है ।

निर्यात संवर्धन

*71. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई बुनियादी नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी, मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह नीति निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होती है अथवा केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम की मूल नीति इस संस्था की अन्तर्नियमावाली के घोषणापत्र में दी गई है और निगम इसके अनुसरण में निर्यात का विकास करने ; नयी और कठिनाई से बिकने-वाली वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और नये बाजारों की खोज करने के प्रयास करना है जिससे कि निर्यात व्यापार विविध प्रकार का और विस्तृत हो जाये । उसने विदेशों में कार्यालय और डिपो भी खोले हैं जिससे कि व्यापार संवर्द्धन में सुविधा हो और संविदाएं शीघ्रता से

की जा सकें । इनका विवरण "राज्य व्यापार निगम के आठ वर्ष" में दिया गया है, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी हुई हैं ।

(ग) यह नीति सभी वस्तुओं के लिये एक समान है, परन्तु वास्तव में कठिनाई-से-बिकने-वाली उन वस्तुओं के लिये अधिक प्रयास किये जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में राज्य व्यापार के अतिरिक्त और किसी प्रकार से उल्लेखनीय परिणाम न निकल सकें ।

आयात लाइसेंस

*72. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई मामलों में वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये गये आयात लाइसेन्स बेच कर या आयातित कच्चे माल को चोर बाजार में बेच कर उनका दुरुपयोग किया जाता है ; और

(ख) क्या आयात लाइसेन्सों के आवेदन पत्रों पर सिफारिश करने से पहले उनकी पूरी तरह जांच पड़ताल की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस में सन्देह नहीं कि वास्तविक उपयोक्ता माल के दुरुपयोग के कुल मामले देखने में आये हैं परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि वास्तविक उपयोक्ता लाइसेन्सों का दुरुपयोग बहुत से मामलों में होता है ।

(ख) लाइसेन्सो के आवेदन-पत्रों पर सिफारिश करने से पूर्व विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारी जैसे कि उद्योगों के राज्य निदेशक, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक आदि को इन की ध्यानपूर्वक जांच करनी पड़ती है । इन सामग्रियों का आयात करने के बाद सम्बन्धित मन्त्रालय तथा राज्य सरकारों के विभाग इनके उपयोग पर निगरानी रखते हैं ।

दुर्लभ माल का आयात

*73. **श्री भानु प्रकाश सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युक्ति संगत आधार पर दुर्लभ माल के आयात की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : दुर्लभ कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि करने सम्बन्धी समस्या की विस्तृत जांच कर ली गयी है और इस दिशा में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, 14 सितम्बर, 1965 को जारी हुआ दुर्लभ औद्योगिक माल (नियन्त्रण) आदेश, 1965, जिसके अन्तर्गत कुछ दुर्लभ औद्योगिक मालों के आयात तथा वितरण को कुछ अनुशासन-बद्ध किया गया है । इस प्रकार के माल का संभरण और उचित वितरण करने के लिये अधिकारियों की एक समिति आवश्यक कदमों का बराबर पुनरीक्षण करती रहती है ।

Survey of Passenger and Goods Traffic

***74. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted of the increasing passenger and goods traffic on the roads running parallel to the Railway lines ;

(b) whether competition by road traffic is increasing thus affecting the railway revenues, both in passenger and goods traffic;

(c) whether this is due to lack of proper arrangements in the railway trains in respect of the capacity, speed and safety travel ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Diversion of traffic has been mostly due to certain inherent advantages of road transport, and the rates structure of the Railways. In the case of passenger traffic, lack of capacity and slower speed of trains have also been responsible for diversion of such traffic to road.

(d) The question of evolving a national transportation policy and the best mechanism for achieving rail-road coordination is already under expert examination by a high level Committee. Requisite rail capacity is being built up. Railways have also been taking various steps to improve the quality of service. These include provision of more amenities at stations and in trains, introduction of additional trains and strengthening of the existing ones, increasing line capacity wherever justified, changing traction from steam to diesel/electric, acceleration of passenger train timings, introduction of quick transit services and super express goods services, etc.

मुगलाहट और विराल (पूर्वी पाकिस्तान) पर गाड़ियों का रोका जाना

***75. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० पु० ना० खां :

क्या रेलवे मंत्री मुगलहाट और विराल (पूर्व पाकिस्तान) पर गाड़ियों को रोके जाने के बारे में 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 823 तथा 825 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों रेल गाड़ियां कर्मचारियों तथा सामान सहित वापिस आ गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो पाकिस्तान सरकार ने इसके क्या कारण बताये है; और

(ग) सरकार इस मामले में और क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : राजनयिक स्तर पर और भारत में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति के माध्यम से पाकिस्तान में रोके गये भारतीय रेल कर्मचारियों को वापस लाने के प्रयास किये जा रहे है । अभी तक इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है ।

म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर

*76. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूर मिल्स लिमिटेड, कानपुर चालू हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता के रूप में 40 लाख रुपये दिये हैं; और

(ग) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है और ऋण स्वीकृत हो जाने पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

लुगदी, कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने

*77. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विद्याचरण शुक्ल : **श्री चांडक :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री दाजी :**
श्री पाराशर : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में लुगदी, कागज तथा अखबारी कागज के कारखाने स्थापित करने संबंधी प्रतिवेदनों की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*78. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री चांडक :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
श्री पाराशर : **श्रीमती मिनीमाता :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री दाजी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क की ढुलाई के लिये उपयोग की जा रही रेलवे लाइन का उपयोग विशाखापटनम में इस्पात कारखाने के लिये लौह अयस्क की ढुलाई के लिय भी किया जाता है तो जापान को लौह अयस्क के निर्यात के कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात पर प्रतिकल प्रभाव को रोकने के लिए दूसरी क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख): अगला इस्पात संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाय यह प्रश्न अब भी सरकार के विचाराधीन है, परन्तु जो भी निश्चय होगा उसके बाद भी लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम को अक्षुण और सुरक्षित रखने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

उदयपुर के निकट जस्ता पिघलाने का कारखाना

*79. **श्री बसुमतारी :**
श्रीमती मैमूना सुल्ताना :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री हेडा :
डा० सरोजिनी महिषी :
श्री काजरोलकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उदयपुर के निकट एक गैर-सरकारी समवाय द्वारा स्थापित किये जा रहे जस्ता पिघलाने वाले कारखाने को अपने हाथ में लेने का है और, यदि हां, तो किन परिस्थितियों में;

(ख) क्या यह भी सच है कि समवाय ने वे कुछ ऋण नहीं चुकाये हैं जो उसे दिये जा चुके हैं; और

(ग) कारखाने को किन शर्तों पर हाथ में लिया जायेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सरकार ने मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को निकाय को धातु निगम (निकाय अवाप्ति) अध्यादेश 1965 राष्ट्रपति द्वारा लागू करके 22–10–65 को हाथ में ले लिया है ।

(ख) हां ।

(ग) अध्यादेश में दिये गये नियमों के अनुसार कम्पनी को प्रतिकर देय है ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

* 80. **श्री अ० शं० आल्वा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को अपने विदेशी सहयोग-कर्ताओं के साथ कोई कठिनाई हो रही है और क्या उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य तिथि में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या सहयोग फ्रांस की किसी गैर-सरकारी फर्म द्वारा दिया जा रहा है अथवा फ्रांस की सरकार द्वारा; और

(ग) उत्पादन संभवतः कब आरम्भ होगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : विदेशी सहयोगी मैसर्स बाउशे एट साई, फ्रांस (एक प्राइवेट फर्म) है । करार के अनुसार कारखाने के सभी सेक्शनों में 1963 के अन्त से उत्पादन शुरू हो जाना था । किन्तु दोनों पार्टियों द्वारा शीघ्र ही यह जान लिया गया था कि निश्चित की गई तारीखें आवास्तविक हैं और नवम्बर, 1962 में पार्टियों के बीच वार्ता हुई और असैनिक निर्माण कार्यों के पूरा करने तथा विभिन्न सेक्शनों में काम शुरू करने के लिये निश्चित की गई तारीखों पर पुनर्विचार किया गया था । मार्च, 1963 में तारीखों में हेरफेर करने के लिये पत्रों का आदान-प्रदान किया गया जिसके अनुसार कारखाने में जून, 1964 से उत्पादन आरम्भ करने के लिये उसे तैयार किया जाना था । इसी बीच सहयोगियों के प्रबन्धक बदल दिये गये तथा 1964 के

उत्तरार्द्ध में नये प्रबन्धकों से हुई बातचीत के फलस्वरूप उत्पादन आरम्भ किये जाने की तारीखों का एक बार फिर से पुनरीक्षण किया गया जिसके अनुसार 'बेस कास्टिंग सेक्शन' में अप्रैल, 1965 से उत्पादन शुरू किया जाना था । दुर्भाग्यवश आयात किये गये 'बस कास्टिंग ड्रम' कुछ हद तक खराब पाये गये और जिनको ठीक किया जाना आवश्यक था । बेस कास्टिंग सेक्शन में दिसम्बर, 1965 से उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है । कन्वर्जन सेक्शन में पहले से ही काम हो रहा है ।

सहयोगियों के प्रबन्धकों से करार को लागू करने के बारे में कुछ मत-विभिन्नता हो गई है किन्तु इस प्रकार की जटिल परियोजना के बारे में ऐसा हो जाना कोई असाधारण बात नहीं है । ऐसा हो ही जाता है और आपसी पत्र-व्यवहार के द्वारा इस मामले को तय किया जा रहा है ।

तीसरी योजना में कोयले का लक्ष्य

* 81. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित कोकिंग तथा गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन के लक्ष्य पूरे किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या कोयले का उत्पादन उप-भोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है और उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में उपभोक्ता उद्योगों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर कोयला उत्पादन के वास्तविक लक्ष्य निश्चित किये गये थे ।

कोयले की मांग की दर बाद में कम हो गई और मांग के स्तर को कोयले के उत्पादन के साथ समायोजित करना पड़ा ।

एक विवरण सदन के सामने रखा जाता है जिसमें 1964-65 में कोयले का वास्तविक उत्पादन और लागत तथा 1965-66 में कोयले की अनुमानित मांग तथा उत्पादन दिया गया है ।

विवरण

लागत वाले क्षेत्र	वास्तविक लागत 1964–65 में	अनुमानित मांग 1965–66 में
	(मिलियन मीटरी टन में)	
1. इस्पात प्लांट तथा कोक भट्ठियां	12.30	15.50
2. रेलवे . .	17.20	17.00
3. विद्युत केन्द्र . .	7.70	7.90
4. अन्य उपभोक्ता .	21.40	25.10
समस्त आवश्यकता	58.60	65.50
	1964–65 के वास्तविक आंकड़े	1965–66 का अनुमान
समस्त उत्पादन	62.80*	67.00

* कोयला खानों द्वारा उनकी लागत, कोक निर्माण में हानि तथा कोयला मुहानों पर संचय की गणना करके उत्पादन तथा लागत का भेद निकाला गया है ।

कांगड़े की चाय का निर्यात

*82. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान और बाद में अमृतसर मंडी से कांगड़े की चाय का निर्यात बन्द कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप चाय उत्पादकों को बहुत कठिनाइ हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई से हवाई अथवा समुद्री जहाजों द्वारा इरान होकर कांगड़ा चाय का अफगानिस्तान को निर्यात करने की सम्भावनाओं की, जैसा कि सम्बन्धित चाय व्यापारियों द्वारा सुझाव दिया गया है, चाय बोर्ड द्वारा छानबीन की जा रही है ।

अलौह धातुओं का सम्भरण

*83. **श्री जं० बं० सिं० बिष्ट :**

श्री बसुमतारी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अलौह धातुओं, विशेष रूप से शीशे तथा जस्ते के संभरण के सीमित साधनों और प्रतिरक्षा उद्योगों के लिये उनके महत्वको ध्यान में रखते हुए उनका संभरण बनाये रखने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख): 14-9-1965 को भारतीय सुरक्षा नियम 1962 के नियम 125 के अन्तर्गत एक आदेश अर्थात् दुष्प्राप्य औद्योगिक वस्तु (नियन्त्रण) आदेश 1965 जारी किया गया था । इस आदेश में अभी तांबा, सिक्का, टीन और जस्ता शामिल हैं । इस आदेश के अनुसार सब व्यक्ति जिनके पास इन धातुओं का संचय है उनको अपने संचयों की घोषणा करनी होगी । इन धातुओं का विक्रय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा प्रयोग करना इस आदेश के अधीन वर्जित है जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में नियुक्त किए गए नियन्त्रक का परमिट जारी न हुआ हो ।

इस आदेश के अनुसार नियन्त्रक को इन धातुओं के संचय की जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसे सुरक्षा तथा अनिवार्य उद्योगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए प्रयोग करने की आज्ञा दी जायेगी ।

Trade with Pakistan

*85. **Shri Bagri :**

Shri Madhu Limaye :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods (i) imported from, and (ii) exported to Pakistan by India during the current year so far;

(b) whether the conflict between the two countries has affected the Indo-Pakistan trade; and

(c) if so, to what extent ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) For the period January—July 1965, the value of goods imported from Pakistan was of the order of Rs. 1,232 lakhs against India's exports to Pakistan totalling Rs. 639 lakhs for the same period.

(b) & (c). Indo-Pakistan trade which was of the order of Rs. 26 crores for 1964-65 has come to a complete stand with effect from 10th September, 1965.

भारत पाकिस्तान संघर्ष में मारे गये रेलवे कर्मचारी

*86. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिमतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब० कु० दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम हरख यादव :
श्री बासप्पा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० न० चतुर्वेदी :
श्री पराशर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राजदेव सिंह :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष में कितने रेलवे कर्मचारी अपना काम करते हुए मारे गये तथा कितनी लागत की रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची ; और

(ख) इन रेलवे कर्मचारियों के परिवारों की सहायता के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) 20 रेल कर्मचारी मरे और 1,45,851 रुपये के मूल्य की रेल-सम्पत्ति को क्षति पहूँची ।

(ख) रेलवे की ड्यूटी पर जिन व्यक्तियों की जानें गयीं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 3,600 रु० से लेकर 7,000 रु० तक का भूगतान किया गया । इसके अलावा प्रत्येक को अनुग्रह के रूप में 500 रुपये और रेल मंत्री के कल्याण एवं सहायता कोष/कर्मचारी हित निधि से सहायता के रुप में 2,000 रु० दिये गये । अन्तिम देय रकम/पारिवारिक पेंशन और रेल कर्मचारियों से दान के रूप में प्राप्त अन्य रमक का भुगतान भी कर दिया गया है । प्रत्येक मामले में भुगतान की रकम 6424 रुपये से लेकर 15953 रुपये तक है । विधवाओं/आश्रितों को रेलवे में उपयुक्त नौकरियां भी दी जा रही हैं ।

छोटी कार परियोजना

*87. श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिमतसिंहका :
श्री सेझियान :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कर्णीसिंहजी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 560 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में छोटी कार परियोजना आरम्भ करने के प्रस्ताव को निश्चित रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी योजना मे कोयले का उत्पादन

*88. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों के परामर्श से चौथी योजना के कोयला उत्पादन लक्ष्यों को अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया है;

(ख) संभाव्य निर्यात को मिला कर गैर-कोकिंग कोयला तथा मिश्रण योग्य (ब्लेंडेबल) कोयला की कुल मांग क्या होगी; और

(ग) घटिया कोयले के उत्सर्जन का विशेष ध्यान रखते हुए कोयला उद्योग को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) चौथी योजना की संभाव्य आवश्यकताओं का कोयला उपभोक्ता उद्योगों तथा अधिक कोयला उपभोक्ताओं के परामर्श से समय समय पर ध्यानपूर्वक अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) चौथी योजना के अंत तक नान-कोकिंग तथा ब्लेंडेबल कोयले की अनुमानित मांग क्रमश: 77 मिलियन मिटरी टन तथा 4 मिलियन मिटरी टन लगाई गई है ।

(ग) निम्न श्रेणी के कोयले की खपत की सुविधा के लिये कई कदम उठाये गए हैं—जैसे इन श्रेणियों पर वितरण नियंत्रण का कम करना, कोटे की रोक-टोक का कम करना, साफ्ट कोक और ईंट पकाने वाले कोयले के डिपो खोलने में उदार नीति अपनाना।

पलाना में लिग्नाइट आधारित तापीय बिजली घर

***89. श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री कर्णीसिंहजी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने पलाना में लिग्नाइट आधारित 100 मैगावाट क्षमता का तापीय बिजली घर स्थापित करने के प्रस्ताव पर पूरी तरह विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पता चला है कि राज्य सरकार पलाना के लिगनाइट निक्षपों के आधार पर एक 100 मैगावाट क्षमता वाला ऊष्म शक्ति केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है परन्तु केन्द्रीय सरकार को अभी तक कोई सुनिश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ?

गोरखपुर स्टेशन पर रेल के एक डिब्बे में एक शव का पाया जाना

143. श्री राम हरख यादव :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1965 को प्रातःकाल गोरखपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर इलाहाबाद एक्सप्रेस गाड़ी के पहुँचने पर उसके तीसरे दर्जे के एक डिब्बे में एक बूढ़े व्यक्ति का शव रज़ाई में लिपटा हुआ पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) शुरू में गोरखपुर की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की गयी थी। शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि लाश वाराणसी निवासी अब्दुल मजीद के पुत्र अब्दुल हाकम की थी। प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि यह हत्या मृतक के भतीजे अब्दुल मतीन द्वारा शहरी इलाके में की गयी थी। लाश को एक रज़ाई में लपेट कर वाराणसी कैंट स्टेशन पर 6 अप इलाहाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में रख दिया गया था। गोरखपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने आगे जांच-पड़ताल के लिए यह मामला वाराणसी की जिला पुलिस को सौंप दिया है।

Export of Pig Iron

144. **Shri Bagri :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the total value of pig iron exported to Japan during 1965-66, so far;

(b) the foreign exchange earned as a result thereof; and

(c) the value of pig iron exported to other countries during the above period ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). No licence for the export of pig iron has been issued during 1965-66 and no export has taken place during this period to any country.

Sheds on Platform of Kiul Station

145. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that passengers are put to a great inconvenience due to lack of sheds on the platform at Kiul Station on the Eastern Railway ; and

(b) If so, whether Government propose to provide some sheds on the platforms at this junction Station for the comfort of the passengers ?

The Ministry of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Several representations in this connection have been received.

Adequate covered shed accommodation already exists at Kiul Station for the present volume of passenger traffic and further improvement is also being made.

Railway Uniforms

146. **Shri Jagdev Singh Siddhanthi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Class II commercial employees (Parcel, Coaching and Goods Clerks) on the Central and Western Railways are not supplied with uniforms like their counterparts on the other Railways;

(b) whether the commercial employees at Mathura Cantt. (N. E. Railway) are given complete uniforms whereas their counterparts at Mathura Junction (Central Railway) are given no uniforms at all;

(c) whether the class IV commercial employees on the Central and Western Railways are supplied with uniforms;

(d) if the replies to the above parts be in the affirmative, the reasons for this kind of discrimination with certain railway employees; and

(e) whether uniform arrangements in regard to the supply of uniforms are likely to be made on all the railways and if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Commercial staff like Booking, Parcel & Goods Clerk on the Central, Western as also on the Southern Railway are not supplied with uniforms.

(b) Commercial staff like Booking, Parcel & Goods Clerk of the N. E. Railway at Mathura Cantt. are given coats only; they are not given uniform at Mathura Jn. (Central Railway).

(c) Yes.

(d) & (e). Uniforms have already been standardised in February 1963 and as a result of this standarisation no uniforms are to be given to the categories mentioned in (a) & (b) above except where the practice of giving uniforms to these categories existed in the past.

Railway Hospitals in Jhansi Division

147. **Shri Jagdav Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one doctor is provided in all the railway hospitals in Jhansi Division (excluding the Jhansi station);

(b) if so, the arrangements made to provide a substitute for him in the Hospital when he goes to work on the line;

(c) the number of doctors working in the hospitals in Allahabad, Moradabad and Lucknow Divisions on the Northern Railway and whether less than two doctors have been provided in all the railway hospitals on the Eastern Railway ; and

(d) the policy of the Railway Board in regard to the appointment of doctors in other hospitals in Jhansi Division ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. There are only 2 Railway Hospitals on the Jhansi Division—one at Jhansi and the other at Bina—and in each of these Hospitals more than one doctor is provided. Of the 10 Health Units on the Division, 4 have more than one doctor each while 6 health Units have only one doctor each.

(b) The doctor-in-charge, Health Unit, arranges his outstation visits in such a way that he is usually available in the normal working hours in the Health Unit. Any emergencies, in his absence, are attended to by the Dispenser, who may call for non-Railway medical help if required and available.

(c) The number of doctors working in the three Railway divisions of the Northern Railway is as follows :—

	In Hospitals	In Health Units
Allahabad . . .	28	20
Moradabad . . .	20	17
Lucknow . . .	21	23

As regards the second part of this sub-question, no Railway Hospital on the Eastern Railway has been provided with less than 2 doctors. In case of Health Units, however, out of a total of 73 regular Health Units, 54 have one doctor each only.

(d) Appointment of doctors to Hospitals and Health Units on the Railways, including those in the Jhansi Division, are governed by the consideration of the local requirements of the place, the expected workload on the medical staff, and the availability of non-Railway medical facilities in the area.

Railway Hospitals

148. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no railway hospitals at several junctions on the various Railways;

(b) if so, the names of those junctions and the number of railway employees working there; and

(c) the criteria for opening railway hospitals on the Railways ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

दांतेवाडा भद्राचलम लाइन का सर्वेक्षण

149. **श्री कोल्ला वेंकैय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दांतेवाड़ा-भद्राचलम रोड रेलवे लाइन के लिये किन्हीं वैकल्पिक संरेखणों के सम्बन्ध में जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक संरेखणों की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या लाइन के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस लाइन को कुल अनुमानित लागत कितनी है और कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) और (ख) : किडेनडूल और हडम्मामुंडा/नकुलनार के बीच वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने और गोदावरी नदी को पार करने के लिए वैकल्पिक स्थान के बारे में जांच-पड़ताल कर ली गयी है ।

(ग) इंजीनियरिंग रिपोर्ट और निर्माण सम्बन्धी खर्च के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

(घ) इस परियोजना पर लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है । इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय तभी किया जा सकता है, जब कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाय और रेलवे बोर्ड द्वारा सभी पहलुओं से उसकी जांच कर ली जाय ।

कोयले का सम्भरण

150. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुण तथा मात्रा की दृष्टि से कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिये विश्व बैंक ने अन्य बातों के साथ साथ ब्लॉक रेकों में ढोये जाने वाले कोयले के रेल किराये को कम करने तथा कोयले के अधिक व्यापक नमूने भरने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

केरल में नारियल जटा उद्योग

151. श्री अ० क० गोपालन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पाद केन्द्र काम कर रहे है;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि इसके परिणामस्वरूप क्विलोन तथा एल्लप्पी ज़िलों में लाखों परिवारों पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को पुन: मजबूत बनाने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) नारियल जटा बोर्ड के गत सर्वेक्षण के अनुसार केरल में नारियल जटा के लगभग 2081 औद्योगिक केन्द्र है;

(ख) नारियल जटा उत्पाद निर्माताओं के क्षेत्र में कोई भी संकट नहीं है । कताई क्षेत्र में थोड़ा सा स्टाक इकट्ठा हो गया है ।

(ग) क्रियादेशों को पूरा करने के लिए रेल-परिवहन को कठिनाइयां ही तात्कालिक कारण हैं ।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं । स्टाक इकट्ठा होने से यद्यपि कुछ कष्ट हुआ होगा । रेल परिवहन की अपर्याप्त होना वर्तमान राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित है और स्टाकों को भेजने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

केरल में हथकरघा उद्योग

152. श्री अ० क० गोपालन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल के कन्नानूर ज़िले में तथा अन्य भागों में हथकरघा उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दो लाख से अधिक श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं;

(घ) एक वर्ष पहले कन्नानूर ज़िले में इस उद्योग में कुल कितने श्रमिक काम करते थे; और

(ङ) क्या इन श्रमिकों को सहायता करने के लिए सरकार ने कोई योजनायें बनाई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ङ) कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है ।

रेलवे परिचालकवर्ग (रनिंग स्टाफ)

153. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे परिचालक-वर्ग ने रेलवे बोर्ड के समक्ष हाल ही में अपनी मांगों का एक ज्ञापन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या है; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, केवल गार्डों ने ।

(ख) उनकी मुख्य मागें थीं (i) उनके लिए निर्धारित अधिकृत वेतन मान में संशोधन किया जाये ; (ii) मील भत्ते की दर में संशोधन किया जाये; और (iii) पदोन्नति की अधिक अच्छी सरणी हो ।

(ग) इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि—

(i) गार्डों के लिए वही अधिकृत वेतन मान निर्धारित किये गये है जिनके लिए विशेष रूप से जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने सिफारिश की थी ; (ii) अधिकृत वेतन-मान लागू होने से पहले मील भत्ते की जो दरें लागू थीं उनमें 1 अप्रल, 1964 से पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है ; और (iii) अपने संवर्ग में ग्रेड 'सी' से ग्रेड 'बी' और ग्रेड 'बी' से ग्रेड 'ए' में मिलने वाले पदोन्नति के अवसरों के अलावा, गार्ड अपने संवर्ग के बाहर सहायक स्टेशन मास्तर, स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर, यातायात निरीक्षक आदि पदों पर पदोन्नति पाने के हकदार है और वे आगे श्रेणी 2 की सेवा में भी पदोन्नति पा सकते है ; सरकार को इन मामलों में और अधिक उदारता बरतने का कोई औचित्य नहीं दिखायी देता ।

Quarters for Commercial Employees of Railways

154. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of quarters constructed for the commercial employees of the Railways during the last 40 years on the Western and Central Railways;

(b) the number of old quarters on the said Railways which have been converted and changed into modern type quarters;

(c) whether it is a fact that the Class III employees have to pay much higher rent for getting private houses in cities than the average rent charged from them for the quarters, due to shortage of quarters; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken to remove this difficulty ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Quarters are constructed for essential and other staff under the same estimate. While planning construction of quarters, the requirement of staff of all categories and departments are taken into consideration.

(b) 1925 old quarters have been improved by the Central and Western Railways in the past ten years. Information for earlier periods is not readily available.

(c) Yes.

(d) The Railways have stepped up the rate of construction of quarters within the ceiling of funds available under the plan head Staff Quarters.

मैसूर से चामराजनगर के लिये एक्सप्रेस रेलगाड़ी

155. श्री सिद्दय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर जिले में मैसूर से चामराजनगर तक कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा न होने के कारण अधिकतर यात्रियों को सड़क परिवहन का उपयोग करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) यह सही नहीं है कि मैसूर-चामराजनगर खण्ड पर एक्सप्रेस गाड़ी न होने की वजह से उस खण्ड पर अधिकांश यात्री सड़क परिवहन का उपयोग कर रहे है ।

(ख) सवाल नहीं उठता । छोटी शाखा लाइन खण्डों पर एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं चलायी जातीं ।

मैसूर मे रेशम कीट पालन उद्योग का विकास

156. श्री सिद्दय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1964-65 और 1965-66 में अब तक रेशम कीट पालन उद्योग के विकास के लिये मैसूर सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या 1964-65 में राज्य को दी गई राशि का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग): वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने का आधार उनके द्वारा, स्वीकृत योजनाओं पर किये गये खर्च के अनुसार होता है । इसीके अनुसार, मैसूर सरकार द्वारा दिये गये 1964-65 में रेशम कीट पालन उद्योग के विकास पर हुए खर्च सम्बन्धी अस्थायी आंकड़ों के आधार पर, नीचे उल्लिखित वित्तीय सहायता राज्य सरकार को अस्थायी तौर पर उस वर्ष के लिये स्वीकृत की गयी :

अनुदान .	6.10 लाख रु०
ऋण . . .	7.33 लाख रु०
योग	13.43 लाख रु०

यदि कोई समंजन करना हुआ तो वह चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किये गये 1964–65 में वास्तविक खर्च के अनुसार कर दिया जायेगा ।

1965-66 के लिये इस राज्य के लिये स्वीकृत खर्च व केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

खर्च	केन्द्रीय सहायता		
	अनुदान	ऋण	योग
21.78 . .	13.00	4.40	17.40

Import of Cotton

157. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of long fibre cotton imported during 1959-60 to 1964-65 year-wise, and the names of countries from where it has been imported;

(b) the value of cotton cloth exported every year during the above period and the names of countries to which it has been exported;

(c) the estimates of imports of long fibre cotton and exports of cotton cloth for the next three years; and

(d) the nature of incentives or concessions, if any being given for the export of cotton cloth and the amount given during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Production in Factories

158. **Shri Priya Gupta :** Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to constitute Committee for increasing production in factories;

(b) if so, whether it is also proposed to include labour representatives in those Committees; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) There is no proposal to constitute a Committee/Committees for increasing production in factories. However, the problem of maximising production within the existing installed capacity in various industries is being reviewed from time to time and various remedial measures as may be necessary are being taken.

(b) and (c). Do not arise.

बड़ौदा हाउस में आग

159. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में बड़ौदा हाउस में हाल ही में दो बार आग लगी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न होने पायें, इस दृष्टि से क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी, नहीं । इस प्रकार की केवल एक घटना 15-12-1964 को हुई थी ।

(ख) 48 रुपये 40 पैसे ।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को अब मजबूत कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की शरारत न हो । इसके अलावा, आग बुझाने की व्यवस्था, जैसे पानी के बम्बे, आग बुझाने के उपस्कर आदि की संख्या भी बढ़ा दी गयी है ।

रेलवे में सतर्कता संघटन

160. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे पर सतर्कता संगठनों पर अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई है तथा उन्होंने कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) कितने मामले न्यायालयों में अथवा विभागीय जांच पड़ताल में सत्य सिद्ध हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे से भिन्न अन्य विभागों से विशेष रूप से चुने हुए अधिकारी सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का है, जिससे कि रेलवे विभाग के कार्य संचालन में सुधार हो सके ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5070/65।]**

रेलवे भंडारों का नियन्त्रक

161. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मंत्री रेलवे भण्डारों के नियंत्रकों के पदों पर नियुक्ति के बारे में 23 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2557 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित दो अधिकारियों में से एक अधिकारी को 22 सितम्बर, 1965 को अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जबकि उसकी सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष पूरी नहीं हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दो अफसरों में से एक को 55 साल की आयु पूरी होने पर 3 महीने का नोटिस देकर सेवा-निवृत्त कर दिया गया है ।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार यदि सार्वजनिक हित में जरूरी समझा जाय तो किसी अफसर को 55 साल की आयु पूरी होने पर 3 महीने की नोटिस देकर सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त किया जा सकता है । इस मामले में इन्हीं नियमों के अनुसार कार्रवाई की गयी थी ।

Industrial Production

162. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether there has been any special effect on the internal production as a result of the recently imposed ban on the import of certain items; and

(b) if so, the steps being taken to improve the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). It is not clear what ban the Honourable Members have in mind. When the import policy was announced on the 30th June, 1965, a large number of items were banned for import. Further, because

of the tightness in the availability of foreign exchange, it has not yet been possible to permit the import of many items required by actual users also. The full impact of these restrictions on indigenous production has not yet come up to the surface. It is, however, apprehended that indigenous production will meet with difficulties as soon as the raw materials and components in the pipeline dry up. Industrialists, technicians and scientists are being persuaded to actively attempt using indigenous substitutes so as to reduce the pressure on imported raw materials and components.

कपड़ा मिल

163. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए पांच सूती कताई मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी तथा ये मिलें कहां स्थापित किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : यह निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिये 5 कताई मिलें खोली जांय । इन मिलों के स्थानों तथा लागत का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । आवश्यक तकनीकी कर्मचारी भरती किये जा रहे हैं ।

मैसूर में बिजली के सामान का कारखाना

164. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 890 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का सामान बनाने के लिये एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाने के संबंध में मैसूर सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख): मैसूर राज्य सरकार का एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाने का वह सुझाव जिसमें मैसूर राज्य सरकार पश्चिम जर्मनी के सहयोगी, आई० एफ० सी० वाशिंगटन तथा आम जनता के सम्मलित रूप में शेयर होंगे अभी भी विचाराधीन है ।

ग्वालियर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

165. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ग्वालियर के निकट मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों के बारे में की गई जांच का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार पटरी से उतरने की दुर्घटना इस वजह से हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रेल की पटरी पर गिट्टी और इस्पात का नट रख दिया गया था । लेकिन पुलिस की जांच से मालूम हुआ कि यह तोड़-फोड़ का मामला नहीं था ।

(ग) एहतियाती तौर पर निम्नलिखित कार्रवाइयां की गयी हैं :—

(i) यह हिदायत दी गयी है कि जब कभी स्थिति के अनुसार आवश्यक हो, लाइन पर गश्त लगायी जाय, ताकि अपराधियों को रेल पथ पर रुकावट खड़ा करने से रोका जा सके ।

(ii) रेल पथ के आस-पास रहने वाले गांव के लोगों को यह समझाने के लिए कि रेल पथ से छेड़-छाड़ करने के कारण गम्भीर परिणाम होते हैं, जिला/रेलवे पुलिस की सहायता ली गयी है ।

(iii) रेल पथ में छेड़-छाड़ या रुकावट खड़ा न करने के बारे में प्रचार करके स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है और जो इस बारे में सूचना देते हैं उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दिये जाते हैं ।

Raipur Railway Wagon Factory

166. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the progress made in the construction of the Raipur Railway Wagon factory;

(b) the total amount likely to be spent thereon; and

(c) the time by which the work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The overall progress to end of September, 1965 on this Project is 8 per cent.

(b) the estimated cost of the Project is Rs. 637·04 lakhs.

(c) The construction of this workshop is expected to be completed by March, 1968.

रेलवे पटरियों पर विस्फोट

167. श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व दो विस्फोट, एक आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के निकट रेल की पटरी पर तथा दूसरा हावड़ा में दक्षिण-पूर्वी रेलवे के शालीमार यार्ड में हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन घटनाओं की कोई जांच की गई है तथा जांच के परिणामस्वरूप घटना के किन कारणों का पता चला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 29–9–1965 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के शालीमार यार्ड में खड़े एक मालडिब्बों में आग लगने की दुर्घटना हुई। इस मालडिब्बों में आतिशबाज़ी का सामान था। 2–10–1965 को पश्चिम रेलवे के आगरा फोर्ट और ईदगाह स्टेशनों के बीच रेल पथ के निकट एक विस्फोट हुआ।

(ख) जी हां। पुलिस अभी इन दोनों मामलों की जांच-पड़ताल कर रही है।

सीमेंट के कारखाने

168. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए दिये गये लायसेंसों के अनुसार सन्तोषजनक प्रगति न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : सीमेंट के उत्पादन के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति, इन परियोजनाओं द्वारा की गई प्रगति की जांच तथा ऐसी परियोजनाओं जिन पर अमल नहीं किया गया हो जो रद्द करने का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में होता रहता है। चालू वर्ष में 17 परियोजनाओं को अमल में लाने के समय को बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है। तथा 15 परियोजनाओं को प्रगति न होने के कारण रद्द कर दिया गया है।

कानपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

169. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री 8 जून, 1965 को कानपुर के निकट हमीरपुर तथा घाटमपुर के बीच एक गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8–6–1965 को सबेरे लगभग 7 बजकर 41 मिनट पर जब 111 डाउन बांदा-लखनऊ सवारी गाड़ी हमीरपुर रोड और घाटमपुर स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी तो इंजन के आगे के दो बोगी की पहिए पटरों के दाहिने तरफ उतर गये और गाड़ी खड़ी होने से पहले उसी हालत में लगभग एक किलोमीटर तक चलते रहे। जो सबूत मिले उनके आधार पर समिति दुर्घटना का कारण स्थिर नहीं कर सकी और इसलिए किसी रेल कर्मकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।

कम तापमान कार्बनीकरण संयन्त्र (लो टैम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्लांट)

170. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री विद्याचरण शुक्ल :

डा० चन्द्रभान सिंह :

श्री पाराशर :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री चाण्डक :

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

श्री दाजी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्र के बारे में 27

4--45 Lok Sabha/65

अगस्त 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 831 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था को भेजे गये और नमूनों की जांच के परिणाम सरकार को प्राप्त हो गये ह ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : और नमूने लेकर जो परीक्षण किये गये है उनसे भी उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए है।

उर्वरक तथा रासायनिक उपकरणों का निर्माण

171. **श्री श्रीनारायणदास :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक तथा रासायनिक उपकरणों के निर्माण के हेतु एक कारखाना स्थापित करने के लिये चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स टेकनो एक्सपोर्ट से प्राप्त प्रारम्भिक प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तथा (ख) : सरकार द्वारा सुझाव पर अभी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली क्षेत्र में यात्रियों के लिये सुविधायें

172. **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली क्षेत्र में रेलवे यात्रियों के लिये सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है और कब तक उनको क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, नीचे भाग (ख) में बताये गये निर्माण-कार्यों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

(ख) और (ग) :

निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत रु०
सब्जी मंडी—नीची सतह वाले यात्री प्लेटफ़ार्म को ऊंचा करने और उस पर छत डालने के साथ-साथ ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था . . .	2,92,000
गाजियाबाद—द्वीप प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए छतदार स्थान की व्यवस्था .	2,14,000
हजरत निजामुद्दीन—द्वीप प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए छतदार स्थान की व्यवस्था	1,76,000
दिल्ली जं०—यात्री प्लेटफार्म पर छतदार स्थान का विस्तार (चरण II) .	4,34,000

उपर्युक्त निर्माण कार्यों के 1966-67 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

धमन भट्टी के मैल से सीमेंट का उत्पादन

173. **श्री ब० कु० दास :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के उत्पादन के लिए धमन भट्टी के कितने 'मैल' का उपयोग किया गया है;

(ख) कितने सीमेंट कारखाने इस "मैल" को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ग) इसका उपयोग करने से उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली धमन भट्टी की राख का उत्पादन स्लेग सीमेंट के कुल उत्पादन का लगभग आधा होता है। 1964 में स्लैग सीमेंट का उत्पादन लगभग 1.5 लाख मी० टन हुआ था जबकि सितम्बर 1965 तक इसका उत्पादन 3.5 लाख मी० टन हो चुका है।

(ख) निम्नलिखित कारखानों में स्लैग का प्रयोग कच्चे माल के रूप में हो रहा है :–

फर्म का नाम	स्थान	स्लैग सीमेंट की वार्षिक स्थापित क्षमता (मी० टनों में)
1. मैसूर आयरन तथा स्टील लि० . . .	भद्रावती (मैसूर)	18,000
2. एसोशियेटिड सीमेंट कं० लि० . . .	छैबासा (बिहार)	1,72,700
3. ऐसोशिएटिड सीमेंट कं० लि० . . .	जमुल (मध्य प्रदेश)	2,90,000

(ग) जो तीन कारखाने स्लैग सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं उनमें से दो भद्रावती तथा छैबासा के कारखानों में पोर्टलैंड सीमेंट तथा स्लैग सीमेंट दोनों का उत्पादन होता है तथा तीसरे जमुल स्थित कारखाने में जहां केवल स्लग सीमेंट ही बनता है इसी वर्ष उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। अतः इतने कम समय में उत्पादन मूल्य पर इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

रेलवे गाड़ी के लिये परिचालन भत्ता

174. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल इंजन चालकों तथा अन्य परिचालक वर्ग के समान रेलवे गार्डों को परिचालन-भत्ता देने के सम्बन्ध में उनके अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि––

(I) गार्डों और ड्राइवरों तथा दूसरे परिचालन कर्मचारियों के परिचालन-भत्ते की दर उनकी ड्यूटी और उत्तरदायित्व के अनुसार हमेशा अलग-अलग रही है; और

(II) दूसरे वेतन आयोग ने भी अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार प्रकट किया था कि वे इस सुझाव को मानने के लिये तयार नहीं है कि सम्बन्धित कर्मचारियों की ड्यूटी और

उत्तरदायित्व, जो उनके वेतन मान के रूप में परिलक्षित है, का विचार किये बिना उनके भत्ते की दर एक समान रखी जाये; सरकार को इसमें कोई औचित्य दिखायी नहीं देता कि गार्डों के लिए 1-4-64 से लागू परिचालन भत्ते की दर में संशोधन किया जाय। अधिकृत वेतन मांग लागू होने से पहले की तुलना में परिचालन भत्ते की दर में पहले ही काफी बढ़ती की जा चुकी है। साथ ही ड्रायव्हरों को भी गार्डों को दिये जाने वाले परिचालन भत्ते के अनुरूप ही भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है।

पूना-मिरज मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलना

175. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूना-मिरज मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कार्यक्रम को मिरज-कोल्हापुर सेक्शन तक बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस सैक्शन पर माल यातायात का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) मिरज-कोल्हापुर मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार ने भी इसके लिए अनुरोध किया है;

(ख) और (ग): दक्षिण रेलवे ने आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजिनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण कर लिये हैं और इस काम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

Manufacture of Printing Machines

176. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the names of the printing machines which are being manufactured in India at present;

(b) whether Government have formulated any scheme to manufacture those printing machines which are not being manufactured in the country at present; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) Paper Cutting Machines, Treadle Printing Presses, Flat Bed Stop Clylinders, Hand-Operated Wire Stichers and Perforating Machines are being indigenously manufactured at present.

(b) & (c). A Panel for Printing Machinery Industry was set up by Government for considering the measures to be taken for the indigenous development of printing machinery. On the basis of the recommendations of this Panel, a Press Note was issued for the general information of all prospective entrepreneurs about the targets set for the industry, the gaps to be filled and calling for schemes for the manufacture of such equipment. A suggestion was also made to the large users of printing machinery that they could themselves take up its

manufacture. In response thereto, certain schemes have been received and these are under various stages of consideration. The question of undertaking the manufacture of printing machinery in the public sector is also under consideration. The National Industrial Development Corporation has been entrusted with the work of undertaking a demand survey.

Leipzig Fair

177. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Bagri : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of foreign orders received by the private and public sector industries as a result of the Leipzig Fair held in September, 1965 in East Germany ;

(b) the details of those orders ;

(c) the amount of foreign exhange earned as a result of those orders and sale of goods ; and

(d) the steps being taken by Government to foster trade with East Germany ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). Several industries participated in the Leipzig Autumn Fair held in September, 1965. The participation was coordinated by the Leipzig Fair Agency, Bombay who had been given facilities for organising participation in the fair. In view of the fact that participation in the Autumn Fair is organised mostly by private sector industries in trade, the Government do not have the specific details regarding the orders booked or foreign exchange earned as a result of participation. It is, however, understood that orders to the tune of more than Rs. 3 crores were concluded at Leipzig as a result of participation in the fair. The statement giving the details is attached. It is also understood that negotiations were initiated for the import of textiles and engineering goods by G. D. R. from India. These negotiations were continued in Berlin. The final details are, however, not available, though it is hoped that the negotiations must have resulted in final booking of orders.

Items	Amount Rs.
1. Mica and Mica cut readymade pieces	2,500,000·00
2. Complete Automobile Batteries	1,400,000·00
3. Tea, Pepper and Coffee	4,700,000·00
4. Jute, Coir and Coir goods	10,600,000·00
5. Handicrafts only	300,000·00
6. Oil Cakes, Cashewnuts and other nuts	900,000·00
7. Shellac	500,000·00
8. Crushed Bones	1,500,000·00
9. Educational & Biological Specimens-Exhibits bought	400·00
TOTAL	30,500,400·00

(d) The volume of trade between India and G. D. R. which was the order of Rs. 1·2 million in 1953 rose to Rs. 179·62 million in 1964 each way. Necessary steps are being taken to increase the volume of trade. With a view to develop trade between India and G. D. R., trade arrangements are concluded from time to time specifying the nature and volume of goods to be exchanged. These arrangements provide for effecting both commercial and non-commercial Indian rupees, most-favoured nation treatment for merchant ships of both countries, etc. Some of the order factors are participation/organisation in trade fairs and exhibitions, visit of technical experts and businessmen, periodical reviews, for assessment and implementation of the trade agreements, grant of export incentives, trade concessions etc. to boost our exports under the various export promotion schemes etc.

मैसूर में ग्रामोद्योग परियोजना

178. **श्री बासप्पा :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनुरोध पर लघु उद्योग सेवा संस्था, बंगलोर ने मैसूर राज्य में 'ट्रमकुर गब्बि' के ग्रामोद्योग परियोजना क्षेत्र में ग्रामोद्योग परियोजना विस्तार सेवा आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बोकारो कोयला क्षेत्रों में कोयला खानों का विकास

179. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम हजारीबाग की बोकारो-कारगली पट्टी में कोयला खानों के विकास के लिये ब्रिटिश राष्ट्रीय कोयला बोर्ड से बातचीत कर रहा है;

(ख) परियोजना को शुरू करने में संयुक्त सहयोग की क्या संभावना है; और

(ग) क्या ब्रिटिश राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के श्री कैरी के नेतृत्व में नियुक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तावित विकास परियोजना के सम्बन्ध में स्थल पर जाकर किये गये अध्ययन के परिणामस्वरुप कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का विचार है कि राष्ट्रीय कोयला बोर्ड यू० के० के तकनीकी सहयोग से बोकारो क्षेत्र की तीन कोयला खानों को विकसित किया जाय।

(ख) इस सहयोग को पूरा होने की सम्भावना विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने पर निर्भर है।

(ग) मिस्टर करी के नेतृत्व में एक टीम भारत में राष्ट्रीय कोयला बोर्ड की बनाई हुई एक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए भारत आई। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के तकनीकी अधिकारियों से बात चीत करने के फलस्वरूप मूल परियोजना रिपोर्ट में कुछ संशोधन होने के लिए एक मत हुआ था।

नेवेली तापीय बिजलीघर

180. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिंमतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ नेवेली तापीय बिजलीघर के विस्तार के लिए अपेक्षित प्रबलन (रिइन्फोर्समेन्ट) इस्पात, इस्पात के ढांचे तथा वेल्डिंग इलैक्ट्रोड देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संगठन ने तापीय बिजलीघर के विस्तार के लिए परियोजना प्रतिवेदन और कार्यकारी ड्राइंग तयार कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने तथा कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) सोवियत संघ ने क्या सहायता देना स्वीकार किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, महोदय ।

(ख) और (ग) : सोवियत संघ नवम्बर 1965 के अंत से पहले परियोजना रिपोर्ट तथा बाद में कार्यकरण खाके भेजेगी । निगम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के दो माह के अन्दर निर्णय ले लेगी तथा कार्यकरण खाके प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ कर देगी ।

(घ) आशा है कि इस विस्तार के लिए प्लांट तथा उपकरण तथा प्लांट स्थापित और चालू करने के लिये तकनीकी सहायता के लिये लागत का प्रबंध चौथी योजना में सोवियत ऋण के अन्तर्गत किया जायगा ।

कटक-भुवनेश्वर शटल गाड़ी

181. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से प्रभावित होकर कटक-भुवनेश्वर शटल गाड़ी को बन्द करना पड़ा है; और

(ख) क्या यात्रा करने वाली जनता, विशेष रूप से भुवनेश्वर को जाने वाले तथा वहां से वापिस आने वाले बहुत अधिक संख्या वाले सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : कटक-भुवनेश्वर शटल 3-5-1965 से चलायी गयी थी, लेकिन अलाभ प्रद होने के कारण यह 1-10-65 से बन्द कर दी गयी । कटक और भुवनेश्वर खण्ड के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जिनमें सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं, 1-10-65 से 435 अप / 436 डाउन तालचेर पुरी सवारी गाड़ियों में तीसरे दर्जे के दो सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं । यह गाड़ी सवेरे 8 बजकर 15 मिनट पर कटक से छटती है और 9 बजकर 45 मिनट पर भुवनेश्वर पहुंचती है और वापसी में शाम के 5 बजकर 20 मिनट पर भुवनेश्वर से चलकर 6 बजकर 30 मिनट पर कटक पहुंचती है ।

सीमेंट के कारखाने

182. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बासप्पा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेमराज :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में दो-दो सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के लिये भारतीय सीमेंट निगम को लाइसेंस दे दिये गये है; और

(ख) नवीनतम खोजों को ध्यान में रखते हुए सीमेन्ट निगम ने किन अन्य स्थानों पर सीमेन्ट के कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड को जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) के नगालसर में 10 लाख मीट्रीक टन की वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक संयंत्र लगाने तथा आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के यरागून्तला में 200,000 मीट्रीक टन वार्षिक क्षमता का एक दुसरा संयंत्र लगाने के लिये 2 आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ख) कारपोरेशन के पास से मैसूर राज्य के सेडम में एक कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में एक आवदन पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस्ड) औद्योगिक क्षमता का प्रयोग न किया जाना

183. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में प्रत्येक उद्योग में अनुज्ञप्ति क्षमता में से कितनी क्षमता प्रयोग में नहीं लाई गई और प्रत्येक उद्योग के कितने कारखानों द्वारा ऐसा किया गया ;

(ख) अनुज्ञप्ति क्षमता का प्रयोग न किये जाने के क्या मुख्य कारण बताये गये हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : 1964-65 में विभिन्न अनुसूचित उद्योगों के बारे में रद्द किये गये लाइसेंसों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5071/65।]** निर्माण के लिये लाइसेंस दी गई प्रत्येक वस्तु की अप्रयुक्त क्षमता के अलग से कोई आंकडे नहीं रखे गये हैं। अधिकांश मामलों में कारगर कदम न उठाये जाने के कारण लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे । अनुज्ञप्ति धारियों ने इसका प्रमुख कारण रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में आवश्यक साधन जुटा सकने की कठिनाई बताई है ।

पटेल-रोड, दिल्ली पर ऊपर का पुल

184. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री पटेल रोड, दिल्ली पर ऊपर के पुल के सम्बन्ध में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर इस बीच विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दिल्ली नगर निगम से अभी विन्यास-योजना नहीं मिली है। रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल के नक्शे को दिल्ली नगर निगम की सलाह से अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

सेहल रेलवे स्टेशन पर धावा

185. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री बागड़ी :

श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 सितम्बर, 1965 को मुरादाबाद-कानपुर रेल गाड़ी से मुरादाबाद जाने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में सेहल स्टेशन पर धावा किया;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। सही स्थिति यह है कि 29-9-65 को लगभग 50 छात्र, जो 128 डाउन सवारी गाड़ी में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, अगले स्टेशन पर मजिस्ट्रेट द्वारा छापा मारे जाने की आशंका से सेहल रेलवे स्टेशन पर उतर गये। उन्होंने स्टेशन मास्टर के कार्यालय को घेर लिया और यह मांग की कि जब तक उन्हे टिकट जारी नहीं किये जाते, तब तक गाड़ी न चलायी जाये। जब स्टेशन मास्टर ने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और टिकट ट्युब में से कुछ टिकट और 21 रुपये 8 पैसे की नकदी लूट ली। गार्ड, चल टिकट परीक्षक और यात्रियों की सहायता से चार छात्रों को पकड़ लिया गया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सरकारी रेलवे पुलिस, मुरादाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और इसकी छान-बीन की जा रही है। रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सेहल रेलवे स्टेशन पर सरकारी रेलवे पुलिस के दो सिपाही तैनात कर दिये गये है।

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन

186. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री अलीगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर के का लिय से कुछ सरकारी कागजात के पकड़े जाने के सम्बन्ध में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, विशेष पुलिस सिब्बन्दी द्वारा -जांचपड़ताल पूरी की जा चुकी है।

(ख) अलीगढ़ के स्टेशन मास्टर श्री एस० एल० चड्ढा, टूंडला के वेतन क्लर्क श्री कल्याण सिंह और आफिस क्लर्क श्री यू० एस० श्रीवास्तव दुर्विनियोग के दोषी ठहराये गये हैं, जिसे कदाचार माना जाता है। अलीगढ़ स्टेशन मास्टर कार्यालय के हेड क्लर्क श्री टी० एन० शर्मा और पार्सल क्लर्क श्री शिवदयाल में भी कुछ मामलों में कमियां पायी गयी हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई निश्चित आरोप नहीं लगाये गये हैं।

(ग) उत्तर रेल प्रशासन द्वारा विशेष पुलिस सिब्बन्दी की रिपोर्ट सक्षम अनुशासन प्राधिकारी के पास भेजी जा रही है, ताकि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई की जा सके।

पंजाब में इस्पात कारखाना

187. **श्री बागड़ी :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री राम हरख यादव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाना स्थापित करने के स्थान का निर्णय किया जा चुका है ;

(ग) परियोजना का कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) कारखाने की प्रस्तावित क्षमता कितनी है तथा इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न इस्पात सयंन्त्रों का विस्तार

188. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बागडी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, रूरकेला, बोकारो और भद्रावती, इस्पात कारखानों के विस्तारण कार्यक्रम इस समय किस अवस्था में हैं; और

(ख) यदि इन योजनाओं के लिये विदेशों से कोई सहयोग मांगा गया हैं, तो कितनी राशि का ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) :

(i) **दुर्गापुर इस्पात कारखाना :**

धमन भट्टी और कोक भट्टी इकाइयों के 1966 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है। अन्य इकाइयां भी 1966 में चालू हो जाएंगी। वस्तुतः केवल एक इकाई जो 1967 में चालू होगी वह स्केल्प मिल है जिसके जनवरी 1967 तक तैयार हो जाने की संभावना है। विस्तार की विदेशी मुद्रा की लागत 239.78 मिलियन रुपए है और यह यू० के० सरकार द्वारा दिए गए ऋण से पूरी की जा रही है।

(ii) **राउरकेला इस्पात कारखाना :**

कोक भट्टी, उपोत्पाद संयंत्र और धमन भट्टी के अब 1966 के मध्य के लगभग तैयार हो जाने की संभावना है परन्तु कुछ पुनर्बेलन मिलें अप्रैल 1967 तक ही तैयार हो जायेंगी जिस समय तक समस्त विस्तार के पूर्ण हो जाने की संभावना है। विस्तार की विदेशी मुद्रा की लागत 575 मिलियन रुपए है और इसकी पूर्ति पश्चिमी जर्मनी की सरकार द्वारा दिए गए ऋण से की जा रही है।

(iii) **बोकारो :**

बोकारो इस्पात कारखाने को अब चौथी योजना की प्रायोजना समझा जाता है। प्रायोजना प्रतिवेदन के अब किसी दिन भी सोवियत संघ से प्राप्त हो जाने की संभावना है। स्थल पर भूमि को तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। श्रमिकों और कर्मचारियों के रहने के लिए कुछ मकान भी तैयार किये जा चुके हैं।

(iv) **भद्रावती :**

प्रायोजना के 1967-68 में पूर्ण होने की संभावना है। रूपान्तरण पर विदेशी मुद्रा की लागत 113.8 मिलियन रुपए आने का अनुमान है और इसकी पूर्ति आस्ट्रिया और पश्चिमी जर्मनी की सरकारों द्वारा दिए गए ऋण से की जाएगी।

रेलवे योजनायें

189. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने तिसरी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने के लिये कौन-कौन सी रेलवे योजनायें प्रस्तुत की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : मैसूर सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण की सिफारिश की थी :—

हसन-मंगलूर

हुबली-कारवार

कोट्टूर-हरिहर

बेंगलूर-सेलम

मैसूर-विराजपेट्टे-तेल्लिचेरि

गडग-रायचुरु

इनमें से हसन-मंगलूर और बेंगलूर-सेलम रेलवे लाइनों को बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है और निर्माण-कार्य आगे बढ़ रहा है। दूसरी लाइनों को रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

190. श्री लिंग रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मंगलौर रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : हसन-मंगलूर मुख्य लाइन में हसन-सकलेशपुर रीच पर वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है। घाट खण्ड के लिए टेंडर मंगाने और ठेका देने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मंगलूर से बन्दरगाह स्थल तक 14 मील के मिले-जुले आमान वाले रेल-सम्पर्क पर, एक वर्ष से पहले निर्माण-कार्य शुरू हुआ था। इस पर अब तक लगभग 40 प्रतिशत काम हो गया है। अब तक इस पर लगभग 173 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में विशेष मिश्रित इस्पात सयंत्र

191. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में एक विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना खोले जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर; और

(ग) क्या कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोला जायेगा।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में मिश्रित इस्पात का उत्पादन करने के लिए चार लाइसेंस दिए गए हैं।

(ख) दो कारखाने कानपुर में और एक एक बरेली और सीतापुर में स्थापित करने का विचार है।

(ग) जी, नहीं।

रेलवे में अस्थायी सिविल इंजीनियर तथा यातायात अधिकारी

192. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में अस्थायी सिविल इंजीनियरों तथा अस्थायी यातायात पदाधिकारियों (परिवहन तथा वाणिज्यिक) की खण्डवार कुल संख्या क्या है ;

(ख) वे कितने समय से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) सरकार उनको नियमित राजपत्रित सेवाओं में स्थायी बनाने तथा उचित पदावली में रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : एक बयान नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-5072/65।]**

रेलवे अधिकारी

193. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में 31 मार्च, 1965 को, जी० एम०, सी० पी० ओ०, डिप्टी सी० पी० ओ० तथा डी० एस० के तथा रेलवे बोर्ड में डिप्टी डायरेक्टर (इस्टैब्लिशमेंट), ज्वायंट डायरेक्टर (इस्टब्लिशमेंट), डायरेक्टर इस्टब्लिशमेंट, एडिशनल मेम्बर (स्टाफ) तथा मेम्बर (स्टाफ) के कुल कितने पद थे ;

(ख) क्या इन पदों पर नियुक्ति निश्चित रूप से चुनाव (सलैक्शन) द्वारा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो चुनाव कौन अधिकारी करते हैं तथा चुनाव का आधार क्या है तथा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 31-3-1965 को भारतीय रेलों पर जनरल मैनेजरों, मुख्य कार्मिक अफसरों, उप मुख्य कार्मिक अफसरों, मण्डल अधीक्षकों और उप निदेशक (सिब्बन्दी), संयुक्त निदेशक (सिब्बन्दी), निदेशक (सिब्बन्दी), अपर सदस्य (कर्मचारी वर्ग) और सदस्य (कर्मचारी वर्ग) की सामान्य प्रशासी जगहों की कुल संख्या 78 थी।

(ख) और (ग) : जनरल मैनेजरों और अपर सदस्य (कर्मचारी वर्ग) की जगहें रेलों के उन वरिष्ठ अफसरों द्वारा भरी जाती हैं जो इस तरह की नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। अफसरों का चुनाव रेलवे बोर्ड द्वारा उनके सेवा रिकार्ड, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। इन जगहों के लिए अफसरों का चुनाव रेल मंत्री और मंत्री मण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से किया जाता है। रेलवे बोर्ड के सदस्य (कर्मचारी वर्ग) की नियुक्ति मंत्री मण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से रेल मंत्री द्वारा जनरल मैनेजरों में से की जाती है।

मुख्य कार्मिक अफसरों, उप मुख्य कार्मिक अफसरों और मण्डल अधीक्षकों की जगहें उन अफसरों में से भरी जाती हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड उनके सेवा रिकार्ड, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और इन जगहों के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर योग्य समझता है। उप निदेशक (सिब्बन्दी) की जगहें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा और रेलों के उपयुक्त अफसरों में से भरी जाती हैं। संयुक्त निदेशक (सिब्बन्दी) और निदेशक (सिब्बन्दी) की जगहें रेलों के उन अफसरों में से भरी जाती हैं जो इन जगहों के लिए योग्य समझे जाते हैं। मुख्य कार्मिक अफसरों, उप मुख्य कार्मिक अफसरों, मण्डल अधीक्षकों, उप निदेशक (सिब्बन्दी) संयुक्त निदेशक (सिब्बन्दी) और निदेशक (सिब्बन्दी) की जगहें रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मंत्री के अनुमोदन से भरी जाती हैं।

जंगली जानवरों का निर्यात

194. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जंगली जानवरों (मृत अथवा जीवित), बन्दरों तथा विशेष किस्म के पक्षियों का विभिन्न देशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाने की संभाव्यताओं के सम्बन्ध में जांच की है,

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार का विस्तार करने की क्या संभावनायें हैं,

(ग) 1963, 1964 और 1965 में अब तक बन्दरों और अन्य जंगली जानवरों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई तथा किन देशों में इनकी मुख्य रूप से मांग है, और

(घ) क्या सरकार ने वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये भारत के घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पालने के लिये राज्य सरकारों से सहयोग मांगा है और इस सम्बन्ध में उनकी ओर से कितना सहयोग मिला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1964 में नियुक्त किये गये एक अध्ययन वर्ग को अन्य बातों के साथ यह जांच करने का काम भी सौंपा गया था कि जंगली जानवरों/पक्षियों का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। वर्ग का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है और इस लिये यह बताना संभव नहीं है कि इस व्यापार को बढ़ाने की क्या सम्भावना है।

(ग) बन्दरों और अन्य जंगली जानवरों के निर्यात से प्राप्त हुआ मूल्य इस प्रकार है :—

	1963	1964	1965 (जुलाई तक)
	(हजार रु० में)	(हजार रु० में)	(हजार रु० में)
बन्दर . . .	3652	2457	981
अन्य जंगली जानवर . .	148	87	90

बन्दरों का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन और कनाड़ा को केवल चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये करने की अनुमति दी जाती है। अन्य जंगली जानवरों के ऊपर जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें केवल चीतों और हाथियों के आंकड़े शामिल हैं क्योंकि अन्य जंगली जानवरों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। इनकी ब्रिटन, सिंगापुर, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में खास तौर से मांग है।

(घ) इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं। इसके लिय केवल जंगली जानवरों के संरक्षण और व्यवस्था सम्बन्धी स्थानीय कानूनों (और उनके अनुसार बनाये नियमों) का इस प्रकार से विकास किया गया है कि उनका मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों का संरक्षण करना तथा वाणिज्यिक महत्व के जानवरों की वृद्धि को प्रोत्साहन देना रहा है। भारत के घने जंगलों में कृत्रिम विधियों द्वारा इन जानवरों को उत्पन्न तथा पालन करने के लिये अब तक कोई बड़े कदम नहीं उठाये गये हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी कुछ जंगली जानवरों को कृत्रिम विधियों द्वारा उत्पन्न करने की कुछ पायलट योजनाओं का भारत के कुछ चिड़ियाघरों में आयोजन किया जा रहा है।

काजू का निर्यात

195. **श्री अ० शं० आल्वा :**

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय देशों में, विशेषत: इटली में, काजू के निर्यात को धक्का पहुंचा है क्योंकि विभिन्न किस्म को गिरी को, जिनकी वहां अधिक जानकारी नहीं है, गलती से भारतीय काजू समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस गलत धारणा को दूर करने तथा इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। कुल मिला कर यूरोपीय देशों को निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। अप्रैल-जुलाई 1965 की अवधि में 1964 की इसी अवधि की तुलना में इटली को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट हुई है। इटली बादाम का एक प्रमुख उत्पादक तथा निर्यातक है और टांजानिया के साथ काजू के विषय में उसका सहयोग है। इसलिये वहां एक शक्तिशाली बादाम प्रेमी क्षेत्र है जो कि उस देश में काजू की गिरी के आयात का विरोध करता है। तरजीह वाले साधन से वह काजू खरीदता है। विभिन्न प्रकार की अलोकप्रिय गिरियों को गलती से भारतीय काजू समझे जाने के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है।

पश्चिमी यूरोप के देशों को काजू की गिरी का निर्यात बढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य पूरा करने के लिये सितम्बर 1964 में ब्रुसेल्स में काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद का एक विदेशी कार्यालय खोला गया है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये यह विदेशी कार्यालय सभी प्रचारात्मक तथा अन्य उपाय कर रहा है।

Labourers in Steel Plants

196. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) the total number of labourers working under the expansion scheme of Bhilai, Rourkela and Durgapur steel plants ;

(b) the number of labourers out of them who are working from the very beginning and the number of those who have not yet completed two years of service; and

(c) the number of those labourers who will be retained permanently in these plants ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश का वैमानिक सर्वेक्षण

197. श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 896 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जसपुर नगर क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का वैमानिक सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हवाई सर्वेक्षण योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में कोयले तथा लोहे के निक्षेप

198. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में लोहगढ़ के आसपास के क्षेत्र का कोयले तथा लोहे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : भारतीय भौमिकी विभाग के नरसिंघपुर जिले के मोहपानीगोटीओरिया में अन्वेषण प्रगति पर है। अन्वेषण के परिणाम पूर्ण होने पर प्राप्त होंगे।

कच्चे लोहे की पट्टियां तथा रन्ध्र (लैन्टीकल) इस जिले में प्राप्त होते हैं। कच्चे लोहे के ऐसे सर्वोत्तम रन्ध्र चिन्ह सक्कर नदी तथा छिंदवाड़ा नरसिंघपुर सड़क के बीच वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। हैमाटाइट कच्चा लोहा नरसिंघपुर-लखनादों सडक और तेंदुखेरा के पास उमरखानी के स्थान पर मील-पत्थर 11/31 के पास प्राप्त हुआ है।

रेलवे डाक्टर

199. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक्टरों से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं कि उनको सभी प्रकार से केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के समान ही समझा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

फल परिष्करण उद्योग

200. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत उपकरणों और तकनीशियनों की सहायता से निर्यात के लिये फल परिष्करण उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां। प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है इस योजना का विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है।

तिरूर में ऊपरी पुल

201. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **रेलवे** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार अब तिरूर (कोजीकोड जिला) में एक ऊपरी पुल के निर्माण पर होने वाले व्यय का अपना हिस्सा देने के लिये तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस निर्माण-कार्य के अनुमानित खर्च की मंजूरी 1-9-1965 को दे दी गयी है और यह काम शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

पंजाब में अखबारी कागज का कारखाना

202. **श्री दलजीत सिंह :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1422 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नंगल में अखबारी कागज़ का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नंगल में बिजली के भारी सामान का कारखाना

203. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांसफार्मर और केपेसिटर बनाने के लिये नंगल बांध में बिजली का भारी सामान बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकारने पंजाब सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगा था क्या वह अब प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आशय पत्र दे दिया गया है; और

(ग) कारखाना कब तक चालू हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : नंगल (पंजाब) में ट्रांसफार्मर तथा केपेसिटर्स बनाने के लिये एक एकक स्थापित करने की पंजाब सरकार की एक योजना के बारे में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि राज्य सरकार को सहयोग के लिये पत्र व्यवहार करने और विदेशी मुद्रा के व्यय का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक अस्थायी अनुमति दे दी जाय।

भारत सरकार ने भारी विद्युत् उपकरणों की सम्भावित मांग के बारे में वर्तमान तथा भावी क्षमता की जांच करने के लिये एक समिति नियत कर दी है। इस समिति के सुझाव शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उपरोक्त समिति के सुझाव प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायेगा।

पंजाब में आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय

204. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में आयात तथा निर्यात के संयुक्त अथवा उपमुख्य नियंत्रक का कार्यालय खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है। वर्तमान आपत्काल में किफायत के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनके कारण इस मामले में देर होने की संभावना है।

उत्पादिता वर्ष

205. **श्रीमती मैमुना सुल्तान :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उत्पादिता वर्ष 1966 के कार्यक्रम का प्रतिरक्षा की और अधिक रुझान दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां, परिवर्धित कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख कार्य क्षत्रों जैसे रक्षा उत्पादन, छीजन में कमी तथा रक्षा

5—45 L.S./65

उत्पादन और उसकी देखरेख में लगे मजदूरों के विकास जिसमें गोष्ठियों और प्रशिक्षण कोर्सों में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों के संगठन पर विशेष बल दिया जाएगा।

Electric Locomotive for Howrah-Kalka Mail

206. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an electric locomotive has been pressed into service for hauling Howrah-Kalka Mail with effect from the 1st October, 1965; and

(b) if so the cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, since 1-10-1965 Kalka-Howrah Mail is being hauled by electric locomotives between Asansol and Mughalsarai.

(b) The landed cost of the locomotive is about Rs. 10 lakhs.

उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखा विभाग

207. **श्री बूटा सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखाविभाग के कुछ कर्मचारियों के अनानुपातिक धन तथा कदाचार के मामलों के बारे में 26 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस विभाग द्वारा पूरी की गई जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनानुपातिक धन प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) विशेष पुलिस सिब्बन्दी द्वारा की गयी जांच के फलस्वरूप उत्तर रेलवे मुख्यालय के निर्माण लेखा विभाग के एक क्लर्क को रेल सेवा (आचरण) नियम 1956 के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है जिसके लिए विभागीय कार्रवाई कर्मचारी के बीमारी की छुट्टी से वापस आने पर की जायेगी। पिछले प्रश्न के उत्तर में जिन दूसरे कर्मचारियों का उल्लेख किया गया था, उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(ख) अनानुपातिक धन होने के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है।

उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क

208. **श्री गुलशन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे लेखा विभाग में प्रथम श्रेणी के कुल कितने क्लर्क हैं जिनको 1957 में, पुराने सी० आर० ए० के दिनांक 4-8-1931 के पत्र संख्या 93 सी/आर/ए/ई/30 में स्थायी बना दिया गया था;

(ख) क्या 1957 में उनको जो वरिष्ठता दी गई थी वह 1961 में वापस ले ली गई और कनिष्ठ कर्मचारियों को, जिन्होंने इस पद पर काम भी नहीं किया है, उनसे वरिष्ठ बना दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 206.

(ख) और (ग) : केवल तीन कर्मचारियों के मामले में ऐसा किया गया। इसका कारण यह है कि ग्रेड बढ़ाने से सम्बन्धित आदेश को (जो मार्च, 1957 में जारी किया गया) 1-4-1956 से

लागू करने के फलस्वरूप ये तीन कर्मचारी, जिन्होंने अप्रैल, 1956 में हुई अपडिक्स II ए परीक्षा में अहता प्राप्त की थी और जो क्लर्क ग्रेड के रूप में 1-4-1956 के बाद बनायी गयी आम खाली जगहों पर स्थायी किये गये थे, आगे चलकर उन सभी कर्मचारियों से कनिष्ठ माने गये, जिन्होंने 1-4-1956 से पहले उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी और जो पिछली तारीख अर्थात् 1-4-1956 से बनायी गयी बढ़े ग्रेड वाली खाली जगहों पर स्थायी किये गय थ ।

Hand Grenades Found at Jhansi Railway Station

209. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two hand grenades were found in an army bag at the Jhansi Railway Station on the 30th September, 1965;

(b) if so, the place of manufacture of those hand grenades;

(c) whether any investigation was conducted in the matter; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, on 22-9-65 and not on 30-9-65.

(b) Indian made.

(c) Station House Officer, Government Railway Police, Jhansi and local military authorities conducted investigations.

(d) The case is still under investigation.

मैसूर राज्य को आवंटित तकुवे "स्पिडल"

210. **डा० सरोजिनी महिषी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसूर राज्य को कितने तकुवे आवंटित किये गये हैं तथा क्या इन तकुवों के लाइसेंस दे दिए गए हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के कुछ अभ्यर्थियों को लाइसेंस इस कारण नहीं दिये गये कि कोटा समाप्त हो गया था जबकि अन्य राज्यों में बहुत से तकुवे बेकार पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या बेकार पड़े हुए ये तकुवे उन राज्यों को पुन: वितरित किये जायेंगे, जहां के कितने ही अभ्यर्थी इनका प्रयोग करने के लिये उत्सुक हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

तकुवों का आवंटन चतुर्थ योजना अवधि के लिये किया गया है इसलिये किसी एक राज्य के लिए इनके आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता । सम्भवत: माननीया सदस्या का आशय सूती वस्त्रों के तकुवों से है जिनका आवटंन तृतीय योजना अवधि में मैसूर राज्य के लिए किया गया है । तृतीय योजना अवधि में मैसूर राज्य को 1,50,000 तकुवों का आवंटन किया गया था और राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार समस्त आवंटन के लाइसेंस विभिन्न पार्टियों को दे दिए गए हैं । विभिन्न राज्यों को किए गये तकुवों के कुल मूल आवटंन का थोड़ा सा भाग जो कि लाइसेंस देने के लिये शेष रहता है, 5 या 6 राज्यों में वितरित किया जायगा । ये राज्य 31-3-1966 से पूर्व इस क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसलिये तकुवों की थोड़ी सी क्षमता जो लाइसेंस देने के लिये शेष पड़ी है उसे अन्य राज्यों को देने का बिना लाइसेंस के कोई प्रस्ताव नहीं है । सम्बन्धित तथ्यों, जैसे कि प्रत्येक राज्य की सूत की आवश्यकता, औद्योगिक विकास आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को तकुवों का आवटंन किया गया था । यह सामान्य नीति रही है कि

उन्हीं राज्यों में इन आवंटनों का उपयोग किया जाना चाहिये जिनके लिये ये किए गए हैं । यदि एक लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उससे मुक्त हुए तकुवों की स्थापना उसी राज्य में करने के लिये उनका पुन: आवंटन किया जाता है ।

बंगाल तथा बिहार की कोयला पट्टी का विद्युतीकरण

211. **श्री हेडा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल तथा बिहार क्षेत्रों की कोयला पट्टी का विद्युतीकरण करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : बंगाल और बिहार के कोयला-पट्टी क्षेत्रों में जिन खण्डों पर बिजली गाड़ियां चलाने का कार्यक्रम बनाया गया था वहां काम पूरा हो गया है । इन खण्डों के नाम नीचे दिये गये है :—

1. अंडाल-गोमो, जिनमें ये शाखा लाइनें भी शामिल हैं :—धनबाद–तेतुलमारी–कुसुण्डा और प्रधानखंता–पाथरडिह ।
2. अनारा–रुकनी–भीजूडिह–जामाडोबा धुलाई कारखाना ।
3. रामकनाली–चौरासी ।
4. दामोदर–राधानगर ।

कलकत्ता और मुगलसराय के बीच के मुख्य मार्ग, जिससे इन खंडों का यातायात होता है, का भी बिजलीकरण हो गया है ।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

212. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा श्रीलंका की सरकारें तथा व्यापारी संयुक्त रूप से ब्रिटेन में चाय की विक्री को बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अभियान की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और उसमें सरकार का कितना योग होगा;

(ग) क्या अन्य देशों में भी सरकार द्वारा ऐसे अभियान चलाये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो कहां ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां । भारत तथा लंका की सरकारों और ब्रिटेन में चाय व्यापार समिति ने "अधिक चाय पियो" आन्दोलन का संगठन किया है ।

(ख) इस आन्दोलन द्वारा चाय को और अधिक फेशनेबिल, उत्तेजक, आधुनिक और आवश्यक पेय के रूप में प्रचारित करने का यत्न किया जाता है जिससे और अधिक जनसमुदाय चाय को उसके अन्य प्रतिस्पर्धी पेयों की अपेक्षा पीना पसन्द करें । इस आन्दोलन पर प्रतिवर्ष 6,00,000 पौण्ड खर्च होंगे जिसमें स 1,87,5000 पौंड भारत सरकार देगी ।

(ग) और (घ) : जी हां । अमेरिका, कनाड़ा, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया और फ्रांस में भी ऐसे ही आन्दोलन चलाय जा रहे हैं ।

Production of Non-Ferrous Metals

213. **Shri Madhu Limaye :** **Shri P. C. Barooah :**
Shri Yeshpal Singh : **Shrimati Vimla Devi :**

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any steps to increase the production of non-ferrous metals so that the defence production work may not be impeded ; and

(b) if so, the steps being taken in this regard ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Yes, sir. With a view to increasing the production of aluminium, copper, lead and zinc, following steps have been taken for the expansion of the existing capacity for the production of these metals :—

Aluminium : The present capacity for production of aluminium *viz.* 67,500 tonnes will increase to 1,13,000 tonnes by 1966 with the completion of the projects under implementation. Two new projects *viz.*, the Koyna Aluminium Project (25,000 tonnes capacity) and Korba Aluminium Project (1,00,000 tonnes capacity) are being undertaken in the public sector. A new company is being formed for this purpose.

Approval has been given for expansion of two existing smelters in the private sector and also for the putting up for a new smelter. With the implementation of these projects during the Fourth Plan period the total capacity for aluminium is expected to exceed 3,00,000 tonnes.

Copper : (i) *At Khetri* (Rajasthan) : The Khetri Copper Mines are being developed to produce 21,000 tonnes of Copper per annum with technical and financial assistance from France and Finland.

(ii) *At Rakha* (Bihar) : The deposits are being investigated with a view to establishing a plant capable of producing 20,000—30,000 metric tons of copper per annum. This scheme has been posed for Soviet assistance.

(iii) *At Agnigundala* (Andhra Pradesh) : The investigation is in progress.

Zinc : A project for setting up a Zinc smelter with Polish assistance for producing 30,000 tonnes of zinc per annum from imported zinc concentrates at Visakhapatnam is under consideration. Another Zinc smelter based on imported concentrates is being constructed in the private sector at Alwaye (Kerala). The smelter is licensed for a capacity of 20,000 tonnes of Zinc metal, capable of being expanded to 60,000 tonnes, in two stages.

Zinc & Lead : The Government have taken over the undertaking of the Metal Corporation of India Limited by an Ordinance, namely, The Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Ordinance, 1965 promulgated by the President on 22nd October, 1965 with a view to achieve the rapid development of the lead and Zinc deposits in Zawara area which was till then held in lease by the Company.

Dead Body at Jaunpur Rly. Station

214. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Brij Raj Singh : Shri Vishwa Nath Pandey : Shri Gokaran Prasad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the night of 24th September, 1965, a dead body of a boy was found at Jaunpur Station in a passenger train returning from Sultanpur ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Government Railway Police, Varanasi have registered a case u/s 302 I.P.C. and investigation is in progress.

भद्रावती में मिश्रित इस्पात का कारखाना

216. श्री काजरोलकर :
श्री बासप्पा :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम जर्मनी की देमाग नामक इस्पात फर्म के सहयोग से भद्रावती में दूसरे विद्युत्-चालित कच्चा लोहा संयंत्र में मिश्रित इस्पात संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब चालू किया जायेगा और किन शर्तों पर ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : सरकार ने मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती, को कच्चे लोहे की क्षमता को 1,20,000 टन वार्षिक तक बढाने के लिये अनुमति दे दी है। कारखाने के लिये विदेशी मुद्रा की लागत मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० द्वारा क्रेडिटनस्टाल्ट के साथ किए गए करार से पूरी हो जायेगी। संयंत्र और उपकरण पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स देमाग और ऐग द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। ऐसी संभावना है कि विस्तार कार्यक्रम 1968 तक पूरा हो जाएगा।

सूडान के साथ व्यापार करार

217. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री रा० बरुआ :
श्री गोकरन प्रसाद : श्री योगेन्द्र झा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सूडान के साथ एक व्यापार करार के सम्बन्ध में बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है और यदि करार तय हो गया है, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) वार्ता के परिणामस्वरूप, भारत और सूडान के मध्य एक व्यापार करार पर 22 अक्तूबर, 1965 को हस्ताक्षर किये गये। इसकी एक प्रति (मूल अंग्रेजी में) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5073/65।]**

हाल के कुछ वर्षों में दोनों देशों के मध्य लगभग 15 करोड़ रु० का दोनों ओर से व्यापार हुआ है। आशा है कि इस करार के परिणामस्वरूप दोनों देशों के मध्य लगभग 20 करोड़ रु० के स्तर का लगभग सन्तुलित व्यापार होगा और इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ रु० की और अधिक बिक्री और खरीद की दोनों देशों के मध्य होने की सम्भावना है।

दोनों देशों के मध्य यह तय भी हुआ है कि वे औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना और प्राविधिक ज्ञान और विशेषज्ञों का विनिमय करने में सहयोग करेंगे।

Thefts at Delhi Railway Station

218. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 15th October, 1965, a gang of thieves which had been committing thefts at Delhi Railway Station was unearthed ;

(b) if so, whether the persons arrested are railway employees; and

(c) if so, their particulars and the details of articles recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). No such gang of thieves was unearthed on 15th October, 1965 at Delhi Main Railway Station. But according to Government Railway Police, 4 persons were arrested by the Delhi (Daryaganj) Police u/s 411 I.P.C. on 15-10-65 and one of the accused confessed that he had committed some thefts on Railways. Subsequent investigation, however revealed that nothing incriminating was recovered relating to railway stores.

Unloading of Banana Consignments at Delhi Railway Station

219. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the banana merchants have urged that their banana consignments should be unloaded at the Delhi Railway station and not at Tuglakabad ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The incoming banana loads were dealt with at Tuglakabad instead of at New Delhi temporarily from 10-9-65 to 20-10-65 on account of congestion in the Delhi area consequent upon the heavy emergent moves recently. This arrangement was brought into effect with the consent of the trade through the Fruit & Vegetable Merchants Union, Subzimandi (Delhi), on whose representation banana wagons are being received at New Delhi from 21-10-1965, as previously.

केरल में अल्युमिनियम का कारखाना

220. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अल्वाये में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अल्युमिनियम का कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मैसर्स जम्मू काश्मीर उद्योग प्राईवेट लि० कलकत्ता को एक अभिप्राय-पत्र स्वीकार किया गया था ताकि वे केरल राज्य में 30,000 मीटरी टन प्रति वर्ष क्षमता वाला एक नया एल्युमिनियम प्रद्रावक तथा 15,000 मीटरी टन क्षमता के एल्युमिनियम रचना की सुविधा की स्थापना कर सके ।

(ख) प्लांट की लागत का अस्थाई अनुमान 19.3 करोड़ रु० है ।

अटारी रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर

221. **श्री रा० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना की अमृतसर की ओर बढ़ने की तैयारी के बारे में सरकार को सबसे पहले अमृतसर के निकटवर्ती अटारी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन ने उसे इस कार्य के लिये पुरस्कृत किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Railway Uniforms

222. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway employees are supplied uniforms at Government expenses on all the Railways;

(b) if so, the various categories of employees who are supplied with such uniforms;

(c) the interval and the scale of uniforms which are supplied to them, category-wise; and

(d) the annual expenditure incurred on the supply of such uniforms ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Generally categories of staff who come into contact with the public and who have to be easily identified by the public/ Railway servants are supplied uniforms.

(c) These vary depending on the degree of contact with the public and duties as also the climatic conditions. Broadly, the scale of issue of garments is as under :

Places with both Summer & Winter :

Winter.	One set for two years.
Summer	2 to 4 sets per year.

Places with summer only :

Winter	Nil
Summer	3 to 6 sets per year.

Places with winter only :

Winter	One set each year.
Summer	Nil

(d) Information is being collected and will be laid in the Table of the House.

Stopping of Trains at outer Signal of Gorakhpur Station

223. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which and the number of times for which Gorakhpur bound trains from Anandnagar on the North Eastern Railway had to stop at the outer signal during the month of October, 1965 ; and

(b) the reasons for which they halted there ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Out of 248 trains received at Gorakhpur from Anandnagar side during October, 1965, only 22 trains were detained outside signals on the following dates due to reception and despatch of other trains and interlocking defects :—

1-10-65	2 trains.
2-10-65	1 train.
5-10-65	2 trains.
6-10-65	1 train.
7-10-65	2 trains.
11-10-65	1 train.
13-10-65	2 trains.
15-10-65	2 trains.
17-10-65	1 train.
18-10-65	1 train.
20-10-65	2 trains.
21-10-65	1 train.
25-10-65	1 train.
27-10-65	1 train.
29-10-65	1 train.
30-10-65	1 train.
TOTAL	22 trains.

Out of the above noted 22 trains, 13 trains arrived Gorakhpur right time.

रेलवे के हेड क्लर्कों के वेतन-क्रम

224. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय रेलों के हैड क्लर्कों के लिये, चीफ क्लर्कों वाला 335–525 रुपए (ए० एस०) का वेतन-क्रम न देकर 210–380 रुपये (ए० एस०) का वेतन-क्रम घोषित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वेतन-क्रम में यह परिवर्तन करने से पहले कर्मचारी संघ से राय लेने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली में उत्तर रेलवे के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति

225. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी पिछले (एक) पन्द्रह वर्षों, (दो) दस वर्षों और (तीन) पांच वर्षों से दिल्ली में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि इन अधिकारियों को इतने अधिक समय तक किसी एक विशेष स्थान पर लगातार नहीं रखना चाहिये ताकि वे अपना अनुचित प्रभाव न बढ़ा सकें; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों की संख्या को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) (i) कोई नहीं।

(ii) 14।

(iii) 20।

(ख) और (ग) : सरकार की नीति यह है कि साधारणतया अफसरों को एक जगह काफी लम्बी अवधि के लिए न रखा जाये। प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक तबादले होते रहते हैं। उपर्युक्त भाग (क) में बताये गये 34 अफसरों में से 17 प्रशासकीय अफसर है, जिन्हें दिल्ली में रखना पड़ता है क्योंकि प्रशासकीय पद केवल दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में हैं। शेष 17 अफसर प्राय: प्रधान कार्यालय या मण्डल कार्यालय में एक पद से दूसरे पद पर और प्रधान कार्यालय से मण्डल कार्यालय में और मण्डल कार्यालय से प्रधान कार्यालय में स्थानान्तरित किये गये है। कुछ थोड़े मामलों में विशेष प्रकार के काम के कारण अफसरों को लम्बी अवधि के लिये उसी पद पर रखना पड़ता है।

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

226. **श्री मलाइछामी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965–66 में हथकरघा वस्तुओं के निर्यात से हुई आय 1964–65 में हुई आय से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघा वस्तुओं का सारा जमा स्टाक समाप्त हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 1965–66 (अप्रैल से अगस्त) में हथकरघा वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 6.47 करोड़ रु० रहा जबकि 1964–65 की इसी अवधि में यह 4.74 करोड़ रु० रहा था। 1964–65 (अप्रैल 1964 से मार्च 1965 तक) हथकरघा वस्तुओं के निर्यात का कुल योग 15.04 करोड़ रु० रहा था।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और महाराष्ट्र में अब भी हथकरघा वस्त्रों का कुछ स्टाक जमा है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों का रोका जाना तथा पटसन, चाय आदि का जप्त किया जाना

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, I call the attention of Minister of Transport to the following matter of urgent public importance and I request him to make a statement thereon :

"Impounding of Indian ships and confiscation of Indian jute, tea etc. worth 5·35 crores of rupees by Pakistan and reaction of Government of India thereto".

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मुझे एक वक्तव्य देना है परन्तु यह ग्यारह पृष्ठों का एक वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इसे सभा पटल पर रखने को तैयार हैं? इसे परिचालित किया जायेगा और फिर मैं सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा।

श्री राज बहादुर : मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5075/65।**]

एक माननीय सदस्य : इसे आज ही परिचालित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसे आज परिचालित नहीं किया जा सकता। यदि माननीय सदस्य संतुष्ट हों तो मैं यह सुझाव दूँगा कि वे इस वक्तव्य को पढ़े और फिर मैं उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दुँगा।

If the hon. members want, they may look into the statement today itself and I will allow an opportunity today.

Shri Nath Pai (Rajapur) : It can be taken up on Monday.

Mr. Speaker : Then we will discuss it on Monday.

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलानें वाली सूचनाओं के बारे में प्रश्न

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES QUERRY

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker.........

Mr. Speaker : I have kept the notice given by the hon. Member with me. Let the Prime Minister make a statement first. If he does not deal this matter in his statement, then I will take it up later on.

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to draw your attention to the point that you will adjourn the House after the Prime Minister has made a statement. Let me speak for a while. If I speak in English, you will allow me to speak. I will take only one minute.

In so far as Indo-Pak conflict is concerned, the Prime Minister could, per force, achieve some success but he proved a failure in many matters. We have met here for two days but this aspect has not been referred to here. You will allow him an apportunity to make a statement. After all, what for do we come here ? May be that I may be having a lone voice but I may also be allowed to speak something regarding his failure so that the nation can make some improvement. If you are feeling inconvenient, I may resume my seat. I have submitted notices regarding Calling Attention and Adjournment.

We have got a special approach towards Indo-Pak conflict and this problem can be solved according to this view. Either both the countries will merge into one confederation or there would be war. The war took twenty-three days. But the Government proved a failure in this regard. Now the position is that the Government becomes alert only when some calamity befalls the country. Some opportunity should be given to enable us to raise these points. It should be allowed just now. Today evening, the Prime Minister would make his statement and then you would adjourn the House.

Mr. Speaker : I cannot allow the discussion just now. I am bound by the decision already made by me. Dr. Lohia has said nothing new so as to alter my decision. In fact, Dr. Lohia should not have raised the matter in this way. I dont allow the other members also to do that. The plea made by him is wrong. I dont allow only such person who speak in English ; I allow every member to speak irrespective of the fact whether he speaks in Hindi or English. Do I allow only such persons who speak in English ? The hon. member, Dr. Lohia has given a notice regarding the territory occupied by Pakistan after the Ceasefire.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Prime Minister has given an assurance not to hand over Haji Pir Pass. This fact cannot be denied. I have put up an adjournment motion in this regard. Then there is the question of Uri-Punchh Buldge.

Mr. Speaker : We are reading in the newspapers that there are so many violations of Cease-fire. All these cannot be discussed separately here. The Prime Minister is making a statement today and if the points raised by the hon. Member are not covered in this statement, I would consider the notice of the adjournment motion. The statement may cover Haji Pir also. The hon. members may wait for the Prime Minister's statement.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्री (श्री सन्जीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1258 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) एस० ओ० 1656 जो दिनांक 29 मई, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 5 जून, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 793 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 794 जो दिनांक 5 जून, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) एस० ओ० 1861 जो दिनांक 12 जून, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(छः) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 24 जुलाई, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1011 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4643/65।]**

(2) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1398 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5059/65।]**

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3147 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5060/65।]**

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (किस्म, नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 जो दिनांक 30 जुलाई, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2658 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5067(ए)/65।]**

[श्री मनुभाई शाह]

(दो) पटसल टाट तथा पटसन बोरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 जो दिनांक 24 नवम्बर, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4097 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5061/65।]**

(तीन) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1964 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4398 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5068/65।]**

(चार) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 मार्च, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 772 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5080/65।]**

(पांच) पी० वी० सी० चमड़े के कपड़े का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1325 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5078/65।]**

(छः) अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1346 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5067/65।]**

(सात) पटसन टोटे तथा पटसन के बोरों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 27 अप्रेल, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1424 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5079/65।]**

(आठ) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 15 जून, 1965 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1892 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5077/65।]**

(नौ) अभ्रक का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 30 जून, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2140 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5062/65।]**

(दस) कौंध बत्तियों, टार्च (फ्लेश लाइटों) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 26 जुलाई, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2345 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5063/65।]**

(2) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दियासलाई उद्योग को संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1963)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 16 (1)—टी ए टार/64 दिनांक 14 सितम्बर, 1965।

(तीन) उपरोक्त मद (एक) और (दो) के दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6081/65।**]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 8 नवम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

रेलवे (सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक, 1965।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1965 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

करारोपण विधियां (संशोधन और विविध उप-बंध) विधेयक, 1965।

(2) 1965–66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—

भारत का धातु निगम (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1965।

दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1965।

(4) पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर सोमवार, 8 नवम्बर, 1965 को 3 बजे म० प० आगे चर्चा।

(5) सिन्धु जल संधि, 1960 के अन्तर्गत भुगतान तथा पानी के सम्भरण पर सिंचाई और विद्युत मंत्री के प्रस्ताव पर बुधवार 10 नवम्बर, 1965 को प्रश्नोत्तर के बाद चर्चा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, आपको पता ही है कि देश में खाद्यान्न के अभाव तथा अकाल की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाने वाली तथा स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी सूचनायें दी गई हैं। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी रखा गया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इसके लिये समय दें।

दूसरी बात यह है कि मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी गेहूं की सपलाई के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि हम इस पी० एल० 480 के विषय पर चर्चा करें। हमें सड़ा हुआ गेहूं नहीं चाहिये जबकि वह पाकिस्तान को सैब्र जेट तथा पेटन टैंक दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी सूचित किया गया है कि पी० एल० 480 के बारे में श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा नियमित रूप में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है और उसे उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसपर अगली बार चर्चा होगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister had given an assurance to the effect that he would be bringing a legislation regarding the persons working in "Bidi" industry. May I know when it is likely to be introduced. It is very necessary as those workers would be provided with some facilities through this Bill.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या माननीय मंत्री अपनी रूस यात्रा के सम्बन्ध में अगले सप्ताह कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह निर्णय किया है और सभा ने उसका अनुमोदन किया है कि हर हफ्ते हम अतिमत-दिन-वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । माननीय मंत्री को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : During the Budget session, you had given an assurance to the House that there would be a discussion regarding fire which broke out in Heavy Engineering Factory, Ranchi. We have since received Justice Mukherji's Report. I would like that a discussion might be arranged on this subject.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी इसी सत्र में चर्चा की जाय क्योंकि आगामी आय-व्ययक सत्र में यह चर्चा नहीं हो सकेगी।

दूसरी बात यह है कि पिछले सत्र के दौरान आपने सभा को यह आश्वासन दिया था कि आप इस बात की जांच करेंगे कि एक पत्र को दिल्ली सेंट्रल जेल से लोक सभा तक पहुंचने में छः दिन क्यों लगे । यदि कोई जांच की गई है, तो उसके परिणामों से इस सभा को अवगत कराया जाये ।

तीसरे यह कि लोक-सभा की बैठकों के लिये जो नया समय रखा गया था, वह बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। क्या अब भी सभा की बैठकों के लिये वही समय रखा जायेगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सत्र में उन सभी विधेयकों को पारित करेगी जिनका उल्लेख इस सत्र में पारित किये जाने वाली विधेयकों की सूची में किया गया है।

मुझे पता लगा है कि इस सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा अपील याचिका के लिये विशेष अनुमति मांगे जाने के बारे में लोक सभा के सचिव के नाम उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में क्या स्थिति है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या युद्ध-विराम के निरन्तर उल्लंघन से तथा सुरक्षा परिषद के संकल्प को लागू करने से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में कोई चर्चा रखी जायेगी ?

दूसरी बात यह है कि सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पानी की सप्लाई के बारे में चर्चा के लिये नियत किया गया समय अपर्याप्त है। यह समय बढ़ाया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore): I would like that a discussion on India's foreign policy may also take place during this session.

Shri Yashpal Singh : The name of the hon. Member who has moved the motion regarding backward classes has been omitted. His name may also be included. The time for discussion on this motion may also be increased.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : No obituary reference has been made regarding the sad demise of Shri Kiraye Mushar who was elected from Bihar in 1953 ; the hon. ex-Member expired on 18th August, 1965.

Secondly, the first question in the Question list for oral Answers, for 10th is in relation to a statement made by a person who is neither connected with the Government nor with this House. How can a question be put regarding the statements made by such persons..........

Mr. Speaker : How is the Minister of Parliamentary Affairs expected to answer this ?

Shri Madhu Limaye : Then, you may please answer this. It is regarding procedure. Otherwise you may tell when this question can be raised.

Shri Rameshwaranand (Karnad) **:** I have submitted one adjournment motion and one short notice Question regarding the sub-committee appointed by the Hon. Home Minister in connection with demand for Punjabi Suba. I do not know whether it will be discussed or not.

Secondly, I would request you not to address me as Mr. Swamiji.

Mr. Speaker : It is nice that you have drawn my attention towardsit.

श्री रंगा (चित्तूर) **:** मेरा सुझाव है कि अगले सप्ताह या उस के पश्चात् जब सम्भव हो सके सूखे की स्थिति पर विचार किया जाये। पूरे देश में स्थिति बहुत खराब है। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है। इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) **:** मैं चाहती हूं कि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। प्रधान मंत्री प्रतिपक्ष के नेताओं से विचार विमर्श कर सकते है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) **:** सब से पहले पाकिस्तान के आक्रमण से सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुए प्रभाव पर चर्चा होनी चाहिये। दूसरे विदेश नीति पर भी चर्चा होनी चाहिये। तीसरे पिछड़े वर्गों के बारे में आयोग की रिपोर्ट पर भी चर्चा करना आवश्यक है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) **:** मैं श्री रंगा की बात का समर्थन करती हूं कि सूखे की स्थिति पर चर्चा की जाये।

श्री नाथ पाई : पिछले प्रत्येक सत्र में विदेश नीति पर चर्चा होती रही है। इस समय इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। हमारी नीति में अब परिवर्तन की भी आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस चर्चा के लिये अवसर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस समय केवल संक्षिप्त रूप से सुझाव देने चाहियें। दूसरी बात यह है कि जब एक बात की मांग कर दी गई है तो उसे फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्री मधु लिमये ने प्रश्न सूची में शामिल किये गये एक प्रश्न के बारे में कहा है। यह काम संसद् कार्य मंत्री का नहीं है। सभा की बैठक समवेत होने के समय के बारे में मैंने निर्णय किया है कि यह 11 बजे म० पू० से 5 बजे म० प० तक होगा।

Shri Satya Narayan Sinha : Mr. Speaker, Sir it was only during the last session that no discussion on foreign affairs could take place because of special circumstances. It is only beginning of this session. We would see that it may be taken up during this session. Shri Mathur has also said some thing about a no-day-yet-named motion. Similar is the case with motion regarding Indus Waters.

6—45 Lok Sabha/65

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सरकार का प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह सरकार का प्रस्ताव है। Four hours have been allotted for this.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (होशियारपुर) : इसके लिये अधिक समय दिया जाये।

Mr. Speaker : I will give five hours.

Shri Satya Narayan Sinha : If the House wants seven hours could be given. The hon. Minister of Planning is making a statement on fourth Plan and the Prime Minister will be making a statement at 1600 hrs. today on violations of ceasefire.

आपातकाल की दृष्टि से योजना के पुनर्मूल्यांकन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: REAPPRAISAL OF THE PLAN IN THE LIGHT OF THE EMERGENCY

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का मैंने संसद् में अपने 17 अगस्त, 1965 के वक्तव्य में ज़िक्र किया था। मैंने उस समय बताया था कि योजना आयोग ने वित्त मंत्रालय से सलाह लेकर चौथी योजना के लिए उपलब्ध साधनों का ताज़ा अनुमान लगाया है। इन अनुमानों के आधार पर और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा चौथी योजना के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों को तैयार करने तथा साधनों से संबंधित नीति के बारे सलाह देने के लिए गठित उप-समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारार्थ "चौथी पंचवर्षीय योजना—साधन, व्यय-व्यवस्था और कार्यक्रम" पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन की प्रतियां माननीय सदस्यों को गत सत्र में उपलब्ध की जा चुकी हैं।

इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 5 और 6 सितम्बर, 1965 की 22वीं बैठक में विचार किया गया था। परिषद् ने निश्चय किया कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समस्त आकार 19,000 करोड़ रुपये निवेश का होना चाहिए और वर्तमान व्यय-व्यवस्था 2,500 करोड़ रुपये की होनी चाहिए। इसमें से सरकारी क्षेत्र की व्यय-व्यवस्था 14,500 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र की व्यय-व्यवस्था 7,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए। परिषद् ने इस बात पर भी विचार किया कि 5 अगस्त, 1965 से हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा हमला किये जाने के कारण एक नई स्थिति पैदा हो गई है और हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम देश की सुरक्षा को मज़बत करें। राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्यों ने कहा कि आपात्कालीन स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि, योजना आयोग ने परिषद् को चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाय। अतः प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय विकास के अध्यक्ष के रूप में यह अधिकार दिया गया कि वे आपात्कालीन स्थिति का सामना करने और देश की सुरक्षा एवं दीर्घकालीन हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार योजना को पुनर्निर्धारित, परिवर्तित और संशोधित कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत संकल्प की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5754(ए)/65।]**

योजना आयोग इस समय विभिन्न अध्ययन करने में लगा हुआ है, ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना की विस्तृत परियोजनाओं और कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तनों का निश्चय किया जा सके और यथासम्भव देश में विकास के उत्पादक साधनों से रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति पुनर्निश्चित् की जा सके। इन अध्ययनों को पूरा करने में अभी कुछ समय लगेगा। आपात्कालीन स्थिति के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सम्भावित विदेशी सहायता किस प्रकार तथा कितनी मिलेगी, इस संबंध में भी अनिश्चितता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आयात प्रतिस्थापना और निर्यात

प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए अपनाये जाने वाले उपायों को उच्चतर प्राथमिकता दी जाय। योजना में इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो और अर्थ-व्यवस्था को मज़बूत करने तथा निरन्तर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास हो। जब कि चौथी योजना के विभिन्न पहलुओं पर ये विस्तृत अध्ययन चल रहे हैं और अभी कुछ समय और चलते रहेंगे, यह आवश्यक हो गया है कि चौथी योजना के पहले वर्ष 1966-67 की सालाना योजना तैयार की जाय ताकि इसमें शामिल किये जाने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में देरी न हो। 1966-67 की सालाना योजना में वर्तमान स्थिति को आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। अतः इसका चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ वह सम्बन्ध नहीं होगा जो सामान्य स्थिति में होना चाहिए था और न ही इसका आकार-प्रकार चौथी योजना के विस्तार का पूर्वनिश्चय होगा। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि अन्तरिक और बाह्य साधनों के प्रतिबन्धों, चालू योजनाओं को पूरा करने, अधिकतम सम्भव स्तर तक कृषि उत्पादन बढ़ाने, जल्दी लाभ देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देने, आर्थिक विकास के लिए अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मज़बूत करने, परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज़ करने, औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित क्षमताओं का उपयोग करने, सिंचाई और बिजली को ध्यान में रखते हुए अपनी 1966-67 की सालाना योजनाएं तैयार करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि नये निर्माण कार्यों पर न्यूनतम व्यय किया जाय और वर्तमान संस्थाओं और सुविधाओं का अधिक विस्तृत उपयोग किया जाय। नवम्बर-दिसम्बर 1965 के दौरान क्रमिक बैठकों की व्यवस्था की गई है, जिनमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ भी इसी प्रकार की बैठकों का कार्यक्रम बनाया गया है।

इसी प्रकार, चालू वर्ष के बारे में भी राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि वे नागरिक सुरक्षा सहित रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने और आयात प्रतिस्थापना तथा निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा बचाने को ध्यान में रखते हुए योजना में समायोजन करें। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जो समायोजन करें उनकी सूचना दें और इन सूचनाओं की इन्तज़ारी की जा रही है।

श्री रंगा (चित्तूर) : वित्त मंत्री ने जो सुझाव दिया था कि राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय विभाग अपने खर्च में 10 प्रतिशत की मितव्ययता करें उस के बारे में योजना आयोग तथा सरकार क्या कर रही है?

श्री ब० रा० भगत : यह बात इस वर्ष के लिये है अगले वर्ष भी इस बारे में कार्यवाही की जायेगी।

कार्य यंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चालीसवा प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से, जो 4 नवम्बर 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से, जो 4 नवम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted*

केरल के सम्बन्ध में उद्घोषणा को लागू रखे जाने के बारे में संकल्प—जारी
RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF KERALA—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हाथी द्वारा 3 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1965 से छ: मास की अग्रेतर अवधि के लिये लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है ।"

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस उदघोषणा के लागू होने से केरल के लोगों को राहत मिलेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मुझे उन से यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ । एक प्रजातन्त्र में यह बात ठीक मालूम नहीं पड़ती । मंत्री महोदय भी यदि इस पर फिर से सोचें तो वह समझ जायेंगे कि उनका इस प्रकार कहना ठीक नहीं था । यह बात संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है । एक जिम्मेदार व्यक्ति को यह बातें नहीं कहनी चाहिये । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध कि वह इस प्रश्न बात पर एकान्त में ठन्डे दिमाग से विचार करें । 1959 में वहां पर एक बहुत ही असंसदीय बात की गई थी । एक संवैधानिक सरकार को समाप्त कर दिया गया था । इस प्रकार की कार्यवाही से लोगों का संसदीय प्रणाली से विश्वास उठ जाता है । वहां पर पिछले निर्वाचन के समय बहुत अधिक संख्या में लोग बन्दी बना लिये गये थे । यह काम संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है । यही बात देश के बड़े बड़े विधि विशेषज्ञों ने कही है ।

अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात् भी प्रशासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । केरल में भी वही स्थिति चल रही है । इस बारे में सुधार करने की बातें हम भी सुनते रहते हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया गया । इस प्रशासनिक व्यवस्था पर मंत्री महोदय या राज्यपाल का कोई प्रभाव नहीं होता । इस बारे में मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं ।

केरल के बारे में सलाहकार समिति ने केरल जल परिवहन निगम के 510 मज़दूरों की छंटनी के बारे चर्चा की थी । इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार हुआ था । माननीय मंत्री को याद होगा कि केरल सरकार के सलाहकार ने वचन दिया कि उन 510 मज़दूरों के बारे में अवश्य कुछ किया जायेगा परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ । इस बारे में कांग्रेस के मंत्रियों ने भी आश्वासन दिये थे । उस के पश्चात् राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया । सभी आश्वासन पूरे नहीं किये गये । इस बारे में मज़दूर उच्च-न्यायालय में मामला उठाया । उसने भी मज़दूरों के पक्ष में निर्णय दिया है । न्यायालय ने कहा है कि छंटनी वरिष्टता के आधार पर होनी चाहिये । इन बेचारे लोगों को बिना रोजगार के बड़ी कठिनाई हो रही है । यह तो केवल एक उदाहरण है ।

दूसरी बात विद्यालयों में पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में है । एक लोकप्रिय प्रजातन्त्रीय सरकार के अधीन ऐसी बात नहीं हो सकती । अब ऐसे ऐसे खराब निर्णय किये जा रहे हैं । श्री चागला ने एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि से एक भेंट में कहा है कि ऐसी बातें केवल पुलिस राज्य में ही हो सकती हैं ।

केरल में पुलिस ने भी बहुत गड़बड़ की हुई है । अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । वहां पर केरल विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी समर्थकों का प्रचार होता है । यह भी कहा जाता है कि उप-कुलपति का भी इस में हाथ है । मैं चाहता हूं कि इन विषयों पर विचार किया जाये ।

केरल में निर्वाचन के लिये अभी से तैयारी होनी चाहिये। वहां पर बन्दी बनाये गये सभी मार्क्सवादी नेताओं को रिहा कर दिया जाना चाहिये। उस के पश्चात वहां चुनाव कराये जायें।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : यह खेद की बात है कि केरल में संविधान के आपातकालीन उपबन्धों को लागू करना पड़ा है। प्रतिपक्ष वालों की आलोचना का कोई आधार नहीं है। वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि और कोई चारा ही नहीं था। आजकल तो विदेशी आक्रमण से विशेष रूप से ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसा कहने का कोई आधार नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने हितों की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति का शासन लागू कराया है। कहा गया है कि केरल में प्रजातन्त्र का उपहास किया गया है। हमें समझना चाहिये कि प्रत्येक समस्या के दो पहलु होते हैं। माननीय सदस्यों को समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। केरल में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि राष्ट्रपति का राज जारी रखना बहुत आवश्यक है। श्री रंगा ने कहा है कि केरल में स्विट्ज़रलैंड जैसी सरकार बनाई जाये। इस तरह की सरकार के सफल होने की वहां बहुत कम आशा है। वहां पर पहले ही मिली जुली सरकार आदि का प्रयोग किया जा चुका है। वहां पर लोगों ने ऐसी सरकारों को पसन्द नहीं किया था। मैं नहीं समझी की अब इस प्रकार के सुझाव क्यों दिये जा रहे हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही ऐसी उद्घोषणा करते हैं। यह रिपोर्ट संविधान के अनुसार भेजी गई है। यह बात ठीक है कि अब परिस्थितियां विभिन्न है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं हो सकता कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से आज ऐसे हालात हैं कि हमें समूचे देश के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देनी है।

आजकल सभी चुनाव, जैसे पंचायत के चुनाव, नगरपालिकाओं के चुनाव, स्थगित किये जा रहे है। ऐसी स्थिति में ऐसी उद्घोषणा को और लागू रखना आवश्यक है। प्रतिपक्ष वाले तो विरोध करने के कारण से ही विरोध कर रहे है। केरल में ऐसी उद्घोषणा के लागू करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। यह ठीक है वहां के कुछ लोग इस को पसन्द नहीं करते होंगे, परन्तु यह विवशता में करना पड़ा है।

गृह-कार्य मन्त्रालय केरल में सुधार सम्बन्धी कार्यों पर निगाह रखता है। राज्य के विकास के बारे में कार्यवाही हो रही है। एक बोर्ड की स्थापना की गई है जो विकास के सम्बन्ध में कार्यों का पुनरीक्षण करता है। यह ठीक है कि कुछ त्रुटियां रह गई हैं परन्तु उन्हें दूर करने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय मंत्री ने कहा है सलाहकार समिति को एक छोटी संसद् कह सकते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह समिति राज्य की प्रगति तथा विकास कार्य के बारे में मन्त्रणा देगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। कई माननीय सदस्यों ने रिपोर्ट में व्याकरण सम्बन्धी गलतियों की बात की है। ऐसी छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केरल के लोगों ने पाकिस्तान के आक्रमण के समय देशभक्ति का परिचय दिया है। वे शायद आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के शासन का समर्थन करते है। देश में बहुत से क्षेत्र पहले भी केन्द्रीय शासन के अधीन हैं। वहां के लोग किसी प्रकार की राज्य सरकार नहीं चाहते। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति के शासन में केरल बहुत प्रगति करेगा।

श्री सेझियान (पेरम्बलुर) : हर एक बात को दो पहलु होते हैं। शासक दल किसी चीज को अपने पहलु से देखता है और प्रतिपक्षी दल अपने पहलु से। दोनों के हित एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते। ऐसी स्थिति में बात का सही अनुमान लगाने के लिये हमें इसका निर्णय जनता की राय पर छोड़ देना चाहिये। यही स्थिति केरल में है। जब तक वहां पर चुनाव नहीं कराये जायेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि वहां की जनता की क्या राय है, वह क्या चाहती है। हमें पता है केरल के राज्यपाल श्री जैन पक्के कांग्रेसी हैं। सरकार ने सारी बात उनपर छोड़ दी है। वह तो कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस दल की हित की बात कहेंगे ही। परन्तु इतना ही नहीं उनको केवल वर्तमान स्थिति के बारे

[श्री सेसियान]

में ही अपना मत प्रकट करना चाहिये परन्तु उन्होंने एक ज्योतिषी का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। वह कहते हैं कि यदि केरल में चुनाव कराये गये तो वही स्थिति होगी जो पिछले चुनावों में हुई थी अर्थात् किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होगा। यदि वह केरल के बारे में भविष्य वाणी कर सकते हैं तो और राज्यों के बारे में भी कर सकते हैं और सभी राज्यों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है; श्री जैन की राय ले लेनी चाहिये कि चुनाव का क्या नतीजा निकलेगा।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

राजनैतिक क्षेत्र में ज्योतिष का कोई स्थान नहीं है।

यह कहना कि केरल में राष्ट्रपति के शासन के सिवाय और कोई चारा नहीं है, दूसरे शब्दों में लोक तन्त्र की पराजय को स्वीकार करना है। लोकतन्त्र के प्रवाह को रोकना किसी का काम नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई दल किसी को भी यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह इस देश में लोकतन्त्र के प्रवाह को रोके। वहां चनाव के पश्चात और मंत्रिमंडल बन जाने के पश्चात् यदि कोई सदस्य या दल उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाता और वह मंत्रिमंडल विफल हो जाता तब ही राष्ट्रपति के शासन की नौबत आती उससे पहले नहीं।

यदि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उन सब को बार बार प्रयोग में लाया जाये। राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और पुलिस को विभिन्न शक्तियां संविधान के अन्तर्गत दी गई हैं। यदि हर एक अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करने लगे तो इसका तो कोई अन्त ही नहीं होगा।

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा बहुमत प्राप्त करने की संभावना नहीं है। संसदीय लोक तन्त्र में स्थायी बहुमत अथवा स्थायी अल्पमत जैसी कोई चीज़ नहीं है। यदि ऐसी बात हो तो लोकतन्त्र में विभिन्न राजनीतिक दल काम ही नहीं कर सकते। हो सकता है आज का सत्ताधारी दल कल का प्रतिपक्षी दल हो जाये और आज का प्रतिपक्षी दल कल का सत्ताधारी दल बन जाये।

इन्गलैंड में द्वितीय महायुद्ध के बाद के चुनाव में ऐसा ही हुआ। युद्ध काल में कंजर्वेटिव पार्टी बड़े ज़ोरों पर थी परन्तु वह युद्ध के बाद जो चुनाव हुआ उसमें हार गई।

केरल में राष्ट्रपति का शासन 10 सितम्बर, 1964 को लागू किया गया था और मार्च, 1965 में उसकी अवधि 6 महीने के लिये और बढ़ाई गई। अब 6 महीने की और अवधि बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल के सदस्य केरल में राष्ट्रपति के शासन की वर्ष गांठ बड़ी शान से मना सकते हैं चाहे दूसरे शब्दों में यह लोकतन्त्र की बर्सी ही क्यों न हो।

श्री हाथी ने संसदीय समिति की बड़ी प्रशंसा की। एक छोटी सी समिति विधान मंडल का स्थान किसी भी हालत में नहीं ले सकती है। यदि ऐसा हो तो सारे राज्यों में विधान मंडलों की क्या आवश्यकता है। वहां पर भी ऐसी समितियां बनाई जा सकती हैं।

वहां पर चुनाव कराने के संबंध में आपातकालीन स्थिति की दलील दी जाती है। परन्तु देश की आपात स्थिति और केरल की आपात स्थिति में अन्तर है। यदि पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति की दलील दी जाती है तो हम मानते हैं और सरकार एक निश्चित समय के लिये चुनाओं को स्थगित कर सकती है। परन्तु राज्यपाल ने तो यह वक्तव्य दिया है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इन तर्कों पर मुझे घोर अपत्ति है। लोकतन्त्रीय संस्थाओं में ज्योतिष विद्या का कोई स्थान नहीं है।

श्री प० गो० मेनन (मकन्दपुरम) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प में कोई राजनीतिक तत्व नहीं लाना चाहता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है...... अब गणपूर्ति है। श्री मेनन अपना भाषण जारी रखें।

श्री प० गो० मेनन : केरल के राज्यपाल ने जो कुछ कहा है वह इस बात पर आधारित है कि यदि चुनाव के बाद भी कोई स्थायी सरकार न बन पाई तो अब चुनाव कराना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति कोई पहली बार उत्पन्न नहीं हुई है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Chairman, Sir, their is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है...... अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री प० गो० मेनन : संविधान के लागू होने के बाद से अब तक लगभग नौ दस बार विभिन्न राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का शासन लाग किया गया है और ऐसा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। तो क्या अब केरल के राज्यपाल को कोई नया तरीका अपनाना था? देखने की बात यह है कि क्या राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से दी है अथवा नहीं। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करके यह रिपोर्ट दी है।

मैं नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति जो केरल के हालात को जानता हो यह कहेगा कि राज्यपाल का अनुमान गलत है।

सरकार की आलोचना करने और राज्यपाल की आलोचना करने की दृष्टि से भले ही कोई सदस्य कोई कुछ भी कह दे। मेरे केरल से आने वाले माननीय मित्र जानते हैं कि यदि चुनाव कराये गये तो वही स्थिति उत्पन्न हो जायगी जो इस वर्ष चुनाओं के बाद हुई थी।

अब प्रश्न यह है कि क्या आपात की स्थिति में केरल में चुनाव कराने चाहिये। केरल में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने राज्यपाल को बताया कि आपात के कारण जिला पालघाट के स्थानीय चनावों को स्थागित कर देना चाहिये। क्या ऐसी स्थिति में केरल विधान सभा के चुनाव कराना वांछनीय है। वामपन्थी साम्यवादी दल के नेता एक श्री नामूदरिपाद है जो चुनाव चाहते हैं, जो कहते हैं कि भारत ने चीनको कुछ प्रदश दे देना चाहिये जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिये।

मेरा यह कहना नहीं है कि हमारे लिये राष्ट्रपति का शासन बहुत अच्छा है, या चुनाओं को अनियमित समय के लिये स्थगित कर देना चाहिये। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए राष्ट्रपति के शासन को वहां जारी रखना चाहिये। वहां के राज्यपाल ने वहां की स्थिति के बारे में निष्पक्ष राय दी है और यदि वह हमको बुरी लगती है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है अपितु वहां के हालात का दोष है। श्री जैन के नेतृत्व में ही केरल सरकार केरल के मामले को वित्त आयोग के सामने रखा और वित्त आयोग ने बहुत न्यायिक फैसला दिया है। उन्हीं के काल में वेतन आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया था और उसे क्रियान्वित किया गया था और 8 से 10 करोड़ रु० तक अतिरिक्त पैसा सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के रूप में दिया जाता है।

[श्री प० गो० मेनन]

केरल की खाद्य स्थिति बहुत खराब है। परन्तु यदि भारत सरकार इसके लिये कोई कार्यवाही नहीं करती तो इसमें श्री जैन का क्या दोष है। केरल में जो कठिनाइयां देखने में आ रही है उनका कारण यह है कि वहां के लोगों मे निराशा फैल गई है। जब तक सरकार वहां के लोगों की समस्याओं को हल नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं बनेगा।

जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह ने मुझे एक पत्र में लिखा है, कि मै केरल मे जहां भी गया बेरोजगारी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। वहां पर कोई उद्योग नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं में वहां पर सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग चालू नहीं किये गये हैं। 1964 में और पिछले वर्षों में वहां पर बिजली बन्द हो जाने से 4 महीने तक कारखाने बन्द रहे। क्या यही हमारी योजना है? श्री हाथी से मेरा निवेदन है कि केरल की जनता के साथ न्याय किया जाये ताकि इस प्रकार की स्थितियों को पुनः होने से रोका जा सके।

Dr. Ram Monohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Chairman, Sir, The Resolution before the House should be rejected. The cruel rule of Congress is going on in Kerala. There no one has got the freedom to say anything. The Legislative Assembly has been dissolved. The opposition here unnecessarily criticising the poor Governor who is not only a tool but a creature of the Government. In Kerala in fact there is the rule of the Prime Minister and the Home Minister only.

In the last elections in Kerala the Leftists Communists secured most of the seats.

I cannot approve of the character of that party. They do not focuss their attention of India or the world at large, but they are sharply critical of America and they worship China. But the Congress party is also a victim of that disease. In spite of all these things, I say the Legislative Assembly should be called. Give it the opportunity to decide whether Government can be formed in Kerala or not. This is not the duty of the Governor or for the matter of that of the Prime Minister or the Home Minister. Under the democratic set up, only the Legislative Assembly of that State has the right to decide this.

Elections should be held in Kerala and opportunity should be given to the Legislative Assembly to form the Government. That is the only solution to rectify all the defects. If one Assembly is not able to form the Government allow the second and if that is not able allow the third and if ultimately that is also not able then you form the Government.

Our Prime Minister and the Home Minister are sitting on very high places, but they are having motive of revenge which does not behave a man in a high place. Mr. Gopalan and his wife are being separately. What does it show, it not the revengeful motive ?

The Ruling Party is discriminating. It does not treat equally with ally their political parties. It regards Sanyukta Socialist Party as a Rebel party and that is why no representative from this party has been taken in the Kerala Consultative Committee while this party is having 14 elected Members.

Professor Ranga spoke of forming a joint Government on the Swiss lines. I do not agree with this. Unless there are clashes of ideas we cannot have a definite policy.

If the Prime Minister gives reply to my points only then you think that the Government is being run on discussion and debate. But they will keep mum. Once Prime Minister tried to reply to my point and he got himself involved and the Ruling party then decided not to get involved in that manner.

This is not the democratic or the Socialistic Government. It is the Government of flatterers and backbiters.

The Prime Minister was about to go to calcutta in the meantime his leg got sprained and he did not go.

Article 352 of the constitution, concerning the state of emergency and Article 356 concerning the failure of the Government of a state, have been made overlapping. The report of the Governor is not very important.

Shri Bade has said that elections should not be held during emergency. It is not known for how long this state of emergency will continue. The words "imminent danger" occurring in Article 352 give wide powers to the Government. If the party continues to command majority in Lok Sabha, all the legislative assemblies in the country could be dissolved as has been done in the case of Kerala. I wish that the words 'imminent danger' should be defined.

Something has been said about fisheries in Kerala. I have received a letter in Malayalam in which it has been stated that the polluted water of Gwalior Rayons causes the death of fish in the river. The water should be taken to Arabic Ocean side.

Only two litres of kerosene is supplied to every family in Kerala. In Uttar Pradesh more kerosene is given in cities, which are electrified and less kerosene is given to the villagers.

The Congress party is proud of the fact that no party can defeat it. It is a fact that Swatantra Party or Jan Sangh cannot defeat it. Only a party which combines economic revolution and nationalism can defeat the Congress.

I wish that the legislatture elected in Kerala should be convened and democracy should be restored there. Otherwise grave consequences might follow.

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : चर्चा के दौरान कई प्रश्न उठाये गये हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री नि० चं० चटर्जी ने यह प्रश्न उठाया है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यह उपबन्ध तभी लागू किया जा सकता है जब कोई मंत्री मण्डल हो और वह कार्य नहीं कर सकता हो तथा संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार चलाई नहीं जा सकती हो, परन्तु इसका दूसरा उपबन्ध भी है । यदि उद्घोषणा को छः मास के बाद जारी रखना हो तो दोनों सदनों को इसका अनसमर्थन करना होगा ।

[श्री हाथी]

पहली उद्घोषणा के बाद सभा को विघटित कर दिया गया था। दूसरी उद्घोषणा के समय वहां कोई मंत्री-परिषद नहीं थी। इसलिए यह कहने का प्रश्न ही नहीं उठता कि दूसरी उद्घोषणा जारी करने के समय मंत्रि-मण्डल काम नहीं कर रहा था।

श्री रंगा ने स्विटज़रलैंड की भान्ति सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रश्न उठाया है। वह एक ऐसा प्रयोग है जो केवल तभी किया जा सकता है जब यह मालूम हो जाये कि यह सफल होगा। हमने एक मिली जुली सरकार का प्रयोग किया था जो कि असफल हो गया था। मैं श्री वासुदेवन नायर के साथ सहमत हूं कि प्रजातंत्रीय प्रकार की सरकार होनी चाहिये। केवल वर्तमान परिस्थितियों में ही इस प्रकार का पग उठाया गया है।

मैंने यह कहा था कि राज्यपाल द्वारा जिस प्रकार प्रशासन चलाया जा रहा है, उससे लोग संतुष्ट हुये हैं।

मैं एक बात के लिए श्री रंगा का आभारी हूं। कम से कम उन्होंने सलाहकार समिति के काम की सराहना की है। हम स्विटज़रलैंड की तरह की सरकार के सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे। यदि वर्तमान प्रणाली किसी विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है तो हम उसे केवल उस क्षेत्र के लिए परिवर्तित नहीं कर सकते।

यह कहना गलत है कि कांग्रेस पाकिस्तानी हमले के समय देश द्वारा किये गये काम का लाभ उठाना चाहती है। यह श्रेय सारे राष्ट्र का है। केवल कांग्रेस दल नहीं बल्कि सारा राष्ट्र एक हो गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना उत्तर सोमवार को जारी रख सकते हैं। अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा।

भारतीय तारयंत्र (संशोधन) विधेयक

(धारा 5 का संशोधन)

INDIAN TELEGRAPHS (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 5)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(Amendment of articles 1, 2, 3, 4 etc.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा 3 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करनेवाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, the other day, I was saying that the Bill brought by Mr. Prakash Vir Shastri is worth considering and it should, therefore, be circulated for eliciting public opinion thereon. The time has now come when we should consider whether the federal system has served the interests of our country.

Reorganisation of states on the basis of language and community has created dissentions, fissiparous tendencies and provincialism. What has happened in the South on the question of language is very painful. If there had been no division of states on linguistic basis, there would have been more than one language in each state and nothing of this kind would have happened. Similarly the Nagaland Affairs are also unfortunate. One is unable to understand as to why the name "Nagaland" has been associated with that State ; how the word "cease-fire" has been used in connection with Nagaland Affairs and why Shri Phizo who is a British citizen has been invited for talks. The federal system is responsible for all these disputes which are now going on in the name of language and community. The federal system is adopted when two or more different States form a federation but there was no such case in India. Even Mahatma Gandhi was opposed to this system.

I would, threfore, impress upon the Minister not to oppcse this Bill and let it be circulated for eliciting public opinion thereon.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, यह विधेयक न केवल मिथ्या धारणा पर ही आधारित है परन्तु शरारतपूर्ण भी है और इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि भारत की संवैधानिक तथा राजनैतिक बुराईयां "भारत के मूल प्रान्तों को राज्यों में परिवर्तित करने के कारण हैं"। भारत में सदैव अल्पसंख्यांक रहे हैं, इस में सदैव कई संस्कृतियां फल ी फूलती रही है ैर इस में हमेशा एक बहुतत्ववादी समाज रहा है। अतः भारत के सम्बन्ध में विखण्डन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने बताया कि ऐसा तथाकथित फूट डालने वाली प्रवृत्तियों से गम्भीर तथा चिन्ताजनक समस्यायें पैदा हो गई हैं। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ऐ ी कौनसी समस्यायें हैं जो अब पैदा हो गई है और जो पहले उत्पन्न नहीं हुई थी जब कई वर्ष पूर्व भारत में भाषायी आधार पर राज्यों की सीमायें निर्धारित की गई थीं। क्या पंजाबी सूबा तथा विदर्भ की मांगों से यह गम्भीर चिंता उत्पन्न हो गई है? इससे आगे प्रस्तावक महोदय कहते हैं कि इससे भारत के प्रति निष्ठा तथा एक राज्य के प्रति निष्ठा में विरोध उत्पन्न हो गया है। संघीय ढांचे का एक आवश्यक सिद्धांन्त यह है कि दो अथवा तीन राज्य मिलकर अपने कुछ स्थायी

[श्री कपूर सिंह]

तथा सम्मिलित उद्देश्यों पूर्ति के लिये एक नियंत्रण निकाय के अन्तर्गत अपना एक संघ बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह निष्ठा का विभाजन है अथवा एकीकरण? प्रस्तावक महोदय आगे कहते हैं कि संघीय ढांचे से हमारी एकता को खतरा है क्योंकि भारत संघ में जितने राज्य हैं उनमें भारत से अलग होकर, एक पूर्ण राज्य बनने की अभिलाषा उत्पन्न हो सकती है। यदि इन सभी बातों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाये तो यह सब बातें काल्पनिक हैं और यह हमारे देश की राजनैतिक वास्तविकताओं की स्थिति के बिल्कुल विरुद्ध हैं।

विधेयक का उद्देश्य छिपे हुए रूप में एकाधिकारवाद बल्कि पूर्ण फासिस्टवाद और व्यक्तिवाद स्थापित करना है जैसा कि विधेयक के खण्ड 2 से स्पष्ट है। खण्ड 2 में वह कहते हैं :

"इण्डिया अर्थात भारत एक संगठित एकक होगा जो प्रशासन के सभी अनुभागों में सहकार की पूर्ण तथा निर्बाध शक्तियों के साथ साथ सम्पूर्ण तथा अविभक्त प्रभुता का उपयोग कर सकेगा।"

यह कहना गलत है कि भारत के प्रति निष्ठा की प्रथम शर्त यह है कि यहां एकात्मक सरकार हो और संघीय इकाइयां खत्म कर दी जायें। यह विधेयक दो निष्कर्षों पर आधारित है। एक यह कि संघीय ढांचे से खर्चा बहुत अधिक होता है दूसरा यह कि इस से फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतः लोगों में देश के प्रति अविभक्त निष्ठा लाने के लिये संघात्मक ढांचे को समाप्त कर के एकात्म ढांचे को अपनाया जाना चाहिये। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक खर्चे के आधार पर मूल संवैधानिक परिवर्तन करना उचित है और क्या संसदीय कानूनों से लोगों के मनों पर नियंत्रण किया जा सकता है? विधेयक के पक्ष में दिये गये तर्क बिल्कुल नहीं जचते हैं।

अन्त में, इस विधेयक का उद्देश्य भारत की अखण्डता तथा एकता के लिये एक ऐसा सहारा ढूंढना है जो सहारा फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति को रस्सों से प्राप्त होता है। अतः इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

यदि हम देश में वास्तविक रूप से ग्रामों में ऐसे गणतंत्र स्थापित करना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हों तो इस विधेयक को पारित कर के हम अपने इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जब कभी भी भारत एक बड़ा देश रहा है तब यहां एकात्मक प्रकार की ही सरकार रही है। हमें समूचे देश को एक समझना चाहिये और राज्यों की अप्राकृतिक सीमाओं को समाप्त कर देना चाहिये। इससे देश की एकता को बल मिलेगा और हमें प्रान्तीयता से उत्पन्न होने वाली उन सभी बुराइयां से भी छुटकारा मिल जायेगा जिनका आज हमें सामना करना पड रहा है। समूचा देश एक है और हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन्हें इकट्ठा कर के देश के सभी लोगों की भलाई के लिये जुटाना चाहिये। तभी हम इसे एक देश और एक राष्ट्र के रूप में महसूस कर सकेंगे। जब भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना की गई थी तब भी मैंने इसका विरोध किया था और जिन्होंने तब इसका समर्थन किया था, वह भी अब महसूस करने लगे हैं कि यह उनकी एक भूल थी। मुझे पूर्ण आशा है कि इस विधेयक को स्वीकार कर के देश में जो अप्राकृतिक सीमायें निश्चित कर रखी हैं उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr. Deputy Speaker, I stand here to give full support to the Bill brought by shri Prakash Vir Shastri as this Bill is going to meet the need of the day.

If we look at the history of our Constitution we will find that before partition the conception was that except two or three subjects, all other subjects should be

dealt with by the State Governments but immediately after the partition the necessity of a strong centre was felt and in view of this strong feeling more powers were given to the Centre.

By reorganising States on liguistic basis, we have ourselves created a knotty problem. There can be linguistic States but it is not necessary that Governments should also be formed on the basis of linguistic States and this is the bone of contention.

The State Governments are only functioning in the name of land reforms but that time is not far off when this work will be completed and nothing will remain to be done in regard to this matter also. In view of all these things the States are going to become obsolete soon.

Today there are so many political parties in the field in our Country. It is not a healthy practice. The proposed measure will do away with all these parties and there will be only two political parties.

At present the State Governments are tools in the hands of the ruling party at the Centre. The ruling party exploits them to maintain itself in power. The leaders of the opposition parties are appointed as ambassadors and governors & and thus the parties are weakened. The ruling has been playing this game so far.

Therefore, I urge upon the Government atleast to agree to the Bill in principle and later on it may be implemented.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा था कि किसी भी लोक तन्त्रीय देश में पुनः विचार करने की आवश्यकता होती है। हमारे संविधान हो बने आज 15 वर्ष हो गये हैं और इस समय तक काफी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं।

अब तक जो संविधान के संशोधन पास किये गये हैं वे कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही पास किये गये हैं। अपने संविधान मे हमने कुछ बातें अमरीका के संविधान से कुछ ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। जिस प्रकार अमरीका में राष्ट्रपति को उसकी 4 साल की अवधि की समाप्ति से पहले नहीं हटाया जा सकता इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों के संबंध में विधान बनाने पर हमे विचार करना चाहिये क्योंकि इससे वे अपनी नीतियों को अच्छी (तरह) क्रियान्वित कर सकेंगे और अविश्वास प्रस्ताव का चक्कर भी समाप्त हो जायेगा।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार केवल 20,000 रु० या इससे अधिक के मामले के लिये उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकती है परन्तु, जहां किसी को मृत्य दण्ड मिला हो उसके लिये अपील नहीं की जा सकती है। यह चीज हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में नहीं आई। अब बहुत सी इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। इसी प्रकार मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री को भी अपील करता हूं कि वे सभी ऐसे व्यक्तियों की एक बैठक बुलायें जो संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। और सारे संविधान में एक बार ही संशोधन कर लिये जाये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Bill before the House. Shri Kapur Singh wanted to argue something which in itself in illogical. It is wrong to say that by the name Union of India independent States have been created. Today there are different laws in the different States in our Country on a particular point. If we want to maintain the Unity in our Country then we must adopt the unitary form of Government. Unless this is done we connot put an end to the parochical mentality and the narrowmindedness of the people. All the aspects of the unitary form of Government cannot be decided now in two hours. The spirit of this Bill is very good and its study is very essential. This Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon.

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड उत्तर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्रीने जिस पवित्र भावना से इस विधयक को प्रस्तुत किया है मैं उसकी सराहना करती हूं। श्री शास्त्री की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस विधयक में सुझाये गये उपायों से देश की अखंडता और एकता और मज़बत हो जायेगी। हमारे संविधानमें संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार दोनों की बातें हैं। इसमें दोनों बातों का ख्याल रखा गया है कि शक्तियों के विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीय सरकार कमजोर न होने पाये और साथ साथ यह भी आवश्यक है कि राज्यों को अधिक शक्तियां दी जायें। लोकतन्त्रात्मक नियमों के अनुसार शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। परन्तु आपात के समय में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिये मैं नहीं समझता की वर्तमान संविधान में इस आधार पर कोई संशोधन करने की आवश्यकता है।

हमारी सरकार संघात्मक सरकार है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में अखंडता नहीं है या एकता नहीं है। मैं उन्हें एक कहावत याद दिलाना चाहती हूं : एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। सारी सृष्टि इसपर आधारित है। क्या उनका यह अर्थ है कि एकात्मक सरकार में अनेकता की बात नहीं होगी? इन सब बातों के होते हुए देश में एकता है। हम चाहते हैं कि हमारे राज्य अधिक से अधिक स्वायत्तशाली हों। हमारे संविधान में तीन सूचियां हैं और यदि समवर्ती विषय पर कोई झगड़ा है तो उसमें केन्द्र की मर्जी चलेगी। राष्ट्रपति को आपात की शक्तियां दी गई हैं। इसलिये मैं नहीं समझती कि कोई संशोधन करने की आवश्यकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्व का है। ऐसे विषय पर जो हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है इस थोड़े से समय में पूरे विचार व्यक्त नहीं किये जा सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस को लोकमत जानने के लिये परिचालित करे। एक साधारण विधेयक की तरह इसको ठुकराना सरकार के लिये अच्छा नहीं है। इस विधेयक ने इसे सभा में अधिकांश सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। यदि इस विधेयक पर खुले आम चर्चा हो जाये तो कोई हरजा नहीं होगा।

जिस समय हमने संविधान बनाया था हम यह आशा करते थे कि देश की अखंडता को इससे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। परन्तु अब देखने में आ रहा है कि देश में विघटनकारी प्रवृत्तियां जनम ले रही हैं। राज्यों के अधिकारों अथवा प्रादेशिक दावों अथवा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के नाम पर हम देश की अखंडता को खतरे में नही डाल सकते हैं। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री महाजन ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों के लिये इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती कि दिल्ली को फिर से स्वायत्तशाली राज्य बनाया जाये।

हमारे देश में संघवाद के संबंध में बड़ी गलत धारण है। जब राज्य सरकार किसी ज़िम्मेदारी से टलना चाहती है तो वह कहती है कि केन्द्रीय सरकार सहायता नही देती और जब केन्द्रीय सरकार टलना चाहती है तो वह कहती है कि यह राज्य सरकार का काम है। इस प्रकार दोनों

सरकारें टलती रहती हैं। इसलिये मैं फिर अनुरोध करता हूं कि सरकार कम से कम इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित कर दें।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : किसी भी संविधान के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिल्कुल दोष रहित है। अंग्रेज भारत का विभाजन चाहते थे और इसी लिये उन्होंने देश को कई भागों में बांटा हुआ था। उनकी नीति विभाजन और शासन करने की थी। अब हालात बदल गये हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम चल रहा है। चीन और पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है। 17 वर्ष पहले कोई भी इन बातों को नहीं सोच सकता था। इन सब बातों पर एक राज्य के पहलू से विचार नहीं किया जा सकता। गांधी जी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई थी कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा। या देश का इस तरीके से विकास होगा। श्री कपूर सिंह ने कुछ बाते कही हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या पंजाब भाखड़ा बांध की सारी बिजली का उपभोग कर सकता है। इन सब बातों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है। 18 बार हमारे संविधान में संशोधन किये गये हैं। क्योंकि इसकी आवश्यकता है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इस देश में मजबूत सरकार केवल जनता के सहयोग से ही बनाई जा सकती हैं, उनपर कोई चीज लादने से कुछ नही हो सकता हैं यदि हम यह समझते हैं कि कि एकात्मता संविधान बना कर एसा किया जा सकता है तो यह हमारी भूल है। हम अपनी परम्पराओं नहीं ठुकरा सकते। सरकारने गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाने का प्रयत्न किया था। परन्तु उसका क्या परिणाम निकला? बहुत खूनखराबी हुई और सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा। अब पंजाब का मामला हमारे सामने है और यह बात स्पष्ट है कि पंजाब के लोगों पर एसे ही कोई चीज लादी नहीं जा सकती है। हमारी तो उलटा यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों से शक्ति हड़प करती जा रही है।

वास्तव में अनेक राज्य अब यह महसूस कर रहे हैं कि वे केवल नगरपालिकाओं के बराबर ही रह गई हैं।

उच्च शिक्षा केन्द्र का उत्तरदायित्व है। पंजाब को छोड़कर बाकी सबके सब राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है। वे सब कांग्रेसी सरकारें है और केन्द्र में भी तो कांग्रेस की ही सरकार है। अत: मेरे विचार में दल के स्तर पर भी इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। इस मामले में केन्द्रीय सरकार को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में इस पर विवाद करना भी ठीक नही। मेरे विचार में इस तरह के मामलों पर बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। मेरा अन्त में यही निवेदन है कि आज की स्थिति में इस विषय पर विवाद आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैं एक भ्रांति दूर करना चाहता हूं। यह गलत है कि बहुत से राज्यों ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का विरोध किया है। वास्तविकता यह है कि सब ने ही इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री वासुदेवन नायर : मैंने तो उच्च शिक्षा के बारे में केन्द्र के उत्तरदायित्व की बात की थी।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक पर हुए विवाद को बड़े ध्यान से सुना है। इस विषय पर दिये गये सभी तर्कों को ध्यान से सुना है। यह कहा गया है कि हम अपने संविधान के रूप को बदल डाले जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। 1962 में चीन का हमला हुआ और 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इन दोनों हमलों ने एक बात सिद्ध की थी यह 47 करोड़ लोगों का देश, विभिन्न भाषाओं को बोलता हुआ अलग अलग रीति रिवाजों को मानता हुआ, एक व्यक्ति की तरह

[श्री जगन्नाथ राव]

खड़ा होकर अपनी रक्षा कर सकता है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, परन्तु समय आने पर हम सब से पहले भारतीय है।

आज की स्थिति को देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि अभी उपयुक्त समय नहीं है कि संविधान में इस तरह के परिवर्तन किये जाय। इसके लिए हमें देश के संविधान के इतिहास के पृष्ट खोलते होंगे। यह संघराज इस देश में सब से पहले भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में लाया गया। 1919 में देश में एकात्मता सरकार थी। 1935 में प्रथम बार प्रान्तों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था। एकात्मक सरकार की प्रणाली से देश का प्रशासन चलाना सम्भव नहीं था। 1947 तक देश में इसी तरह की प्रणाली चलती रही। आज की दशा में यह बात विचारणीय है कि क्या राज्य सरकारों से उनके अधिकार ले लेने सम्भव और वांछनीय है। इस मामले पर संविधान सभा में बहुत सविस्तर विचार हुवा था। इस सिध्दांन्त को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। यह कहना कि राज्य अथवा प्रान्तों की सरकारों का प्रशासन वैज्ञानिक ढंग से नहीं चल रहे। मुख्यतः ये प्रशासनिक इकाइयों का आधार भाषा बनाया गया था। हमने पिछले 12 वर्षों में इस दिशा में कोई असफलता प्राप्त नहीं की है। यदि हमने आवश्यकता समझा तो हम देश के हित में संशोधन संसद में लाया जा सकता है। संविधान 155 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्त करता है। अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को आपात में राज्यपाल के अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत संसद को भी विशेष स्थिति में राज्यों में हस्तक्षेप करने के अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत संसद राज्यों के लिये विधान भी बना सकती है, जब तक कि वहां आपात है।

इसी प्रकार संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से यह परिणाम निकलता है कि यद्यपि भारत राज्यों का संघ है। परन्तु भारत का संघीय पहलू बहुत सबल नहीं है। हमने जिस संविधान का चुनाव अपने लिए किया है उसका रूप एकात्मक ही है: अतः इस संदर्भ में यह कह देना कि देश में फूट की प्रवृत्तियां है और उन्हें रोका नहीं जा रहा, ठीक नहीं कहा जा सकता। इस तर्क में कोई सार नहीं है। हमने 15 वर्षों तक इस संविधान का पालन किया है। इसको और अधिक समय तक आजमाया जाना चाहिए। हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि फूट की प्रवृत्तियां संविधान के संघीय स्वरूप के कारण उत्पन्न हुई है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो स्पष्ट ही है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It appears from the reply that has been just given by the Minister that Government have not given required consideration to the Bill. Most of the members who have participated in the Debate on this Bill, have supported this. I want to State once again that I have brought this Bill due to certain incidents taking place in this country. For example the question of merger of Goa. Our rulers have not decided any thing for or against it.

Today the time have come when we should consider this problem regarding the unity of the country. How best we can stop the different disputes that we find in the different states of the Union. This was political blunder to have States on linguistic basis. This has become a great danger to the country's unity. Now if we take any decision regarding Punjab on the basis of languge, then it will be a great blunder.

It is really a pity that people in Punjab are busy preparing a memorndum regarding Panjabi Suba, while the attention of all of us should have concentrated on the issue of safe-guarding our borders. I would urge that Government should at least circulate this Bill for public opinion. In this way Government

should know the public mind. If Government will not have any seriousness they will have to repent in the long run. At least the Bill can be circulated for the public opinion.

श्री जगन्नाथ राव : मुझे यह भी स्वीकार नहीं कि विधेयक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।/*The bill was, by leave, withdrwn*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

कुछ माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के रूप सदन कुछ मिनिटों के लिए स्थगित किया जाय ।

Mr. Speaker : I adjouran the House for ten minutes. We will meet after ten minutes.

इसके पश्चात् लोक-सभा 4 बज कर 22 मिनिट तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Twenty-two Minutes past Sixteen of the Clock.

लोक-सभा 4 बज कर 22 मिनिट पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled at Twenty-two minutes past Sixteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

भारत पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: INDO-PAKISTAN RELATIONS

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैंने 24 सितम्बर, 1965 को इस सदन में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने 23 सितम्बर 1965 को 3.30 पर हुए युद्ध विराम के बारे में सभी तथ्य बताये थे। मैं उनके बारे में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। अखबारों में सब बातें आ गयी हैं। मैं केवल उन बातों को सदन के समक्ष रखूंगा जिनको अभी हल नहीं किया गया है।

युद्ध विराम अभी तक प्रभाव शाली नहीं सिद्ध हो सका। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तानी सेनायें लगातार उन चौकियों तथा क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयत्न कर रही है जिन पर युद्ध विराम होने के समय उनका कब्जा नहीं था। पाकिस्तान के इन आक्रमणों के कारण उन क्षेत्रों में, जिनमें हमारी सेनायें पाकिस्तानी सेनाओं का सामना कर रही है अशान्ति की स्थिति में है। युद्ध विराम लागू होने के बाद हमारे जिस राज्य क्षेत्र पर धोखे से कब्जा किया गया है उसे हमारी सेना ले लेगी। युद्धविराम इसमें कोई बाधा नहीं बनेगा। उल्लंघन होने पर हमारे लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई और ढंग ही नहीं, जिसे अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार से ही हम स्थिति का सामना कर सकते है। ऐसा करके ही पाकिस्तानी इरादों को नकारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार की हमारी प्रतिक्षात्मक कार्यवाही को युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

7—45 Lok Sabha/65

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

वैसे हम सुरक्षा परिषद का ध्यान नियमित रूप से पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम उल्लंघनों की ओर दिला रहे हैं। इन प्रकार के उल्लंघनों की कुल संख्या लगभग एक हजार है। जब तक कि युद्ध विराम प्रभावी रूप से लागू नहीं सशस्त्र सेनाओं को वापस बुलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इस दिशा में सब से अधिक महत्व की बात यह है कि हमें किस तरह यह विश्वास दिलाया जायेगा कि पाकिस्तान 5 अगस्त 1965 वाले घुसपैठ करने के ढंगों को नहीं अपनायेगा। हमें इस बात पर भी जोर देना होगा, क्योंकि हमें सूचना मिल रही है कि पाकिस्तानी अधिकृत काश्मीर में तथा आदिम जाति क्षेत्रों में और घुसपैठ करने की जोर शोर से तैयारी हो रही है। हम यह भी आशा करते हैं कि महासचिव तुरन्त ही पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में और घुसपैठ करने की तैयारी सम्बन्धी जांच करें।

मैं इस समय यह कहे बिना नहीं रह सकता कि संसार बड़े संकट से बच सकता है यदि किसी स्थान पर कोई आक्रमण नहीं हो। यह बात घोषित करने के लिये निष्कर्ष प्रमाण किया जाना चाहिए कि आक्रान्ता कौन है। हाल के संघर्ष में कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से यह देख सकता है कि आक्रमण पाकिस्तानने किया है। राष्ट्रीय संघ के मुख्य पर्यवेक्षक ने यह निर्णय निष्पक्ष रूप से दे दिया है सुरक्षा परिषद ने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उस दिन भारत की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पाकिस्तान ने भारी संख्या में घुसपैठिये भेजने आरम्भ कर दिये थे और स्पष्ट है कि उसने आक्रमण किया है। अतः मेरा कहना यह है कि इस दिशा में एक स्पष्ट निर्णय दिये जाने की आवश्यकता है। जिस संगठन पर संसार भर में शान्ति बनाये रखने का उत्तरदायित्व है, उसे इस मामले पर स्पष्ट और निष्पक्ष निर्णय देने के लिये सदैव रहना चाहिए। स्थिति यह है कि पाकिस्तान न तो युद्ध विराम ही चाहता है और न ही वह कार्यवाही ही करना चाहता है जो कि सुरक्षा परिषद युद्ध विराम के बाद उससे करने की अपेक्षा करती है। जिसे कि उसने अपने प्रस्ताव में निर्धारित किया है। मतलब यह कि सभी सशस्त्र सैनिकों को जिनमें घुसपैठ करने वाले भी शामिल है तुरन्त वापिस बुलाये जाय।

पाकिस्तान ने युद्ध विराम बड़े दुःख से संकोच करते हुए स्वीकार किया है। परन्तु यदि पाकिस्तान इस वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त करना चाहता है तो उसे युद्ध विराम समझौते का आदर करना चाहिए। उसे दिन प्रतिदिन युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसे तुरन्त हमारे क्षेत्र से अपनी सशस्त्र सेनाओं को वापिस बुला लेना चाहिए, जहां कि अब पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। तो हम भी अपनी सेनाओं को वापिस बुला लेंगे। परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक और है, वह यह कि पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दोबारा जो तैयारी कर रहा है, उसे भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में अनियमित भर्ती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त करने के प्रयास भी छोड़ देने चाहिए। जो माल और जहाज उसने अवैध रूप से कब्जे में किये है उसे मुक्त कर देने चाहिए। वह चीन के साथ जो अपने कपट सम्बन्ध स्थापित किए है उसे भी छोड़ देना चाहिए। चीन के साथ उसके समझौतों का आधार सामान्य भारत दुश्मनी है। पाकिस्तान को पहले सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने के बाद ही हम आपस में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बात चीत कर सकते हैं।

एक बार पाकिस्तान इमानदारी से शान्ति का रास्ता अपनायें, तो भारत के लोग और भारत सरकार पूरी तरह उसका सम्मान करेगी। परन्तु खेद की बात यह है कि पाकिस्तान के इरादों के बारे में जितने भी सबूत हमारे पास है, उससे यह ही लगता है कि उसके इरादों में कोई तबदीली नहीं आई है। वह शान्ति के मुकाबले में युद्ध को प्राथमिकता देता है। ऐसी परिस्थिति में हमें दो दृष्टियों से मामले पर विचार करना होगा। एक तो हमें यह सोचना होगा कि हमें निरन्तर सावधान रहना होगा। हमें अपने अन्दर घृणा की भावना नहीं बढ़ानी और नही हमे अपनी मूलभूत नीति को ही छोड़ना है। हमें धर्मनिरपेक्षता भी कायम रखनी है, आर्थिक विकास को ढीला नहीं करना और अपने राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर धमकी का

मुकाबला करने के लिए भी तत्पर रहना है। पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को हम एक सभ्य समाज द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार चलाना चाहते है। पाकिस्तान ने संगीनों के बल पर पाकिस्तान ने हमारे उच्च आयोग की तलाशी लेकर सारे कूटनीतिक शिष्टाचारों को तोड़ा है। हमने बदले की कोई कार्यवाही नहीं की। केवल इतना ही किया कि हमनें अपने उच्च-आयुक्त को वापिस बला लिया है और निकट भविष्य में हमारा उसे वहाँ वापिस भेजने का कोई इरादा नहीं है।

भुगतान करने के बारे में काफी कहा सुनी हुई है सभा सिन्ध जल सन्धि के अन्तर्गत हमारे द्वारा देय राशि के भुगतान के प्रश्न पर चर्चा करने वाली है। हम उन वचन बंधनों से पीछे नहीं हटना चाहते हैं जोकि हमने सत्यनिष्ठा से किये हैं चाहे उनका सम्बन्ध सिन्धु जल सन्धि से है अथवा कच्छ सम्बन्धी समझौते से। जबकि हम ताकत का मुकाबला ताकत से करने के लिये सदा तैयार है, हम अपने वचनों का बराबर पालन करते रहेंगे। हम इस बात के लिये पूर्णरूपेण सजग हैं कि पाकिस्तान तथा इसका मित्र चीन मिलकर किसी ऐसे समय, जो वह उपयुक्त समझेंगे हमारे विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय कर सकते हैं, अतः हमें किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिये हमेशा सतर्क रहना है। हम अपने प्रतिरक्षात्मक प्रयत्न से यथा-सम्भव अत्यधिक हद तक और यथा सम्भव बहुत ही थोड़े समय में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण विभाग इस मुख्य उद्देश्य से खोला गया है ताकि देश में उन मदों की उत्पादन क्षमता स्थापित की जा सके जो हमारी प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक हैं और जिनके लिये हमें आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने नये प्रतिरक्षा ऋणों तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड योजना पर पर्याप्त रूप से विचार कर लिया है जिनको अब लागू कर दिया गया है और तथा हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न किया है और वह समस्त प्रोत्साहन दिया गया जोकि दिया जा सकता था। इन योजनाओं से राष्ट्र की प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों में महत्वपूण योग मिलेगा। आशा है कि लोग इन योजनाओं को अपना उचित योगदान देंगे।

हम पाकिस्तान के साथ शान्ति से रहना चाहते हैं। हमने शान्ति के रास्ते को छोड़ने के लिये न पहले कभी कोई पहल की है और न ही भविष्य में हम ऐसा करेंगे। हम पाकिस्तान के किसी राज्य-क्षेत्र को अपने देश में नहीं मिलाना चाहते हैं। परन्तु शान्ति की पुनः स्थापित तथा भविष्य में इसका परिरक्षण तभी किया जा सकता है जब पाकिस्तान अकारण आक्रमण करने के तूफानी रास्ते को छोड़ नहीं देता है। हम किसी आकांक्षा की आराधना नहीं कर सकते हैं। चूँकि पुनः आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है अतः हमें सदा सतर्क और तैयार रहना चाहिये।

सारी स्थिति को देखते हुए यह कहना ही पड़ता है कि अगस्त में जो कुछ हुआ वह पुनः भी हो सकता है। हमें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जागरूक रहना होगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं का नैतिक बल पूरी तरह कायम है। उन्होंने अपने साथियों को मातृभूमि के लिए मरते अपनी आखों से देखा है। मैंने उन्हें बताया कि देश आपका बहुत आभारी है। देश के लोग इस खतरे का मुकाबला करने को तत्पर है। मुझे पता है कि देश भी और यह सदन भी राष्ट्र के किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक सम्भव बलिदान देने को तत्पर है।

श्री रंगा : (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर मैं और मेरा दल प्रधान मंत्री द्वारा आज के वक्तव्य में उल्लिखित रवैये के लिये उनका समर्थन करता हूं।

सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे हमारा मन क्षोभ से भर गया है और आश्चर्य तो इस बात का है कि वहां किसी ने भी इस

[श्री रंगा]

रवैये पर आपत्ति नहीं उठाई। इससे हमें चिन्ता हुई है। मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान युद्ध में यदि सारे सदन ने अपूर्व एकता का परिचय दिया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यहां के लोकतंत्र में कोई त्रुटि है और हम सदा ही आंख मूंद कर सरकार की प्रत्येक कार्यवाही का समर्थन करते हैं क्योंकि कल और आज प्रातः की कार्यवाही से ही स्पष्ट है कि सरकार की किसी भी गलत कार्यवाही के लिये उसकी कितनी बड़ी आलोचना होती है। परन्तु क्योंकि हम इस युद्ध में सरकार की कार्यवाही न्यायोचित और ठीक समझते है इसी लिये हम सरकार का पूरा पूरा समर्थन करते हैं। और जिस किसी ने भी रत्ती भर देशभक्ति की भावना है सरकार का समर्थन किये बिना नहीं रह सकता।

खेद है कि पाकिस्तान ने हमारे युद्ध न करने के प्रस्ताव को ही अस्वीकार कर दिया परन्तु हम पर आक्रमण भी किया।

हमें खशी है कि पहले चागला और बाद में श्री स्वर्ण सिंह ने भारत का पक्ष बहुत ही उचित और सुयोग्यतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है और प्रधान मंत्री ने जिस योगदान की हम से अपेक्षा की है, हम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अपनी ओर से पूरा पूरा सहयोग देने का वचन देते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने हमारी स्थिति को विश्व के समक्ष स्पष्ट कर दिया है। यह सदन के नेता की ही नहीं अपितु समस्त राष्ट्र की आवाज है। साथ ही मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपने इसी रवैये पर दृढ़ रहें और यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि 5 अगस्त की रेखा का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और यदि कोई रेखा है तो वह स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ही होगी।

जहां तक जनता के समर्थन का संबंध है, सरकार इस बारे में पूर्णतया निश्चिन्त रहे। सारी जनता उनके साथ है परन्तु हमें अपने प्रयासों में ढील नहीं बरतनी चाहिए और नही जो समर्थन हमें अब मिल रहा है उसे अपने आप ही मिलने वाला समझना चाहिए। हमें प्रतीत ऐसा हुआ है कि पिछले दिनों सरकार समस्त जनता के समर्थन का प्रयोग नहीं कर पाई है यह त्रुटियां हमें चीनी आक्रमण के समय दिखाई दी थीं और भय है कि कहीं अब भी त्रुटि की भावना में हम अपने प्रयासों में ढीले न पड़ जायें हमें मिल बैठ कर ऐसे ठोस उपायों पर विचार करना चाहिये ताकि युद्ध प्रयत्नों में समुचे राष्ट्र में सहयोग की भावना जगायी जा सके।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Sir, we are one with the Prime Minister in what he has said today. In fact the whole nation is behind him for the stand he has taken in regard to the present conflict. From his statement of today, some doubts have arisen and we should have an opportunity to discuss them here. It is a matter of great regret that Pakistan has always spurred our hand of friendship and her representative in the U. N. indulged in slander against us and thus they have betrayed the creed to which they belong and in these circumstances our delegation rightly staged a walk out. But we find that now when we should be firm with them, still we habitually show some leniance towards them as has been demonstrated by prompt payment of our instalment towards Indus Waters Treaty. We are pained at this. In fact, Pakistan is not a deserving recipient of our large heartedness, as has been evident from the inhuman treatment meted out to the officers and staff of our High Commission there.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से हमारी राष्ट्रीय विचारधारा, दृढ़ संकल्प और एक उद्देश्य का पता चलता है और सारा राष्ट्र देश में उत्पन्न संघटन के लिय उनका आभारी है। हम राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय विकास की पुनीत शपथ लेते हैं और हर बलिदान के लिये हम तैयार हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : इस में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि सारा राष्ट्र प्रधान मंत्री तथा उनकी नीति का पूरा समर्थन करता। परन्तु उनके वक्तव्य में एक बात का वर्णन नहीं किया गया कि हमें अपने घरेलू मोर्चे की ओर अधिक ध्यान देना है। हमें अन्न की कमी, ऊंचे मूल्यों, उत्पादन, चोर बाज़ारी, विदेशी मुद्रा में बचत आदि मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना है क्योंकि यही प्रतिरक्षा की रीढ़ है।

श्री त्रिबिद कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं भी सभा की सर्वसम्मत आवाज़ में अपनी आवाज मिला कर यही कहना चाहता हूं कि हम सब प्रधान मंत्री के साथ हैं और उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब हम युद्ध विराम के निरंतर उल्लंघन सहन नहीं करेंगे। हमें उन बड़ी शक्तियों पर यही बात स्पष्ट कर देनी चाहिये थी जो संदिग्ध रुप से पाकिस्तान की पीठ ठोंक रहे हैं और हम पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। और यह कि हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे। मैं भी श्री गुप्त के साथ निवेदन करूंगा कि हमें घरेलू मोर्चे पर अधिक ज़ोर देना होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : I would have congratulated the Prime Minister had he not ordered our troops not to occupy the cities of Lahore and Sialkot. I would also like the House to discuss this matter.

The Prime Minister should also clearly state the areas now in our possession and Pakistan. The question of withdrawal to 5th August position should also be made clear. I want to know whether the Prime Minister is still holding fast to his attitude regarding non-withdrawal of our troops from Haji Pir and Uri-Poonch sectors. I may state that there will be no peace and amity between the two countries as long as cease fire lines exist between them. We should finally uphold the slogan not to yield even an inch of our territory.

Shri Maurya (Aligarh) : The statement of the Prime Minister raisess certain issues which need elucidation. First, the territory occupied by Pakistan after the cease-fire and secondly, will the Kashmir question be reopened in the coming talks ?

Pakistan, which has been born in hatred and ill-will would not understand the language of Friendship and amity. Whereas, I was neither surprised nor shocked to hear about Pakistani behaviour in the U. N., I was surprised on the way she was allowed to use undignified and abusive language. We should lay emphasis on strengthening our defences, production of food grains, etc. We might have to go in for Atom bomb in view of Chinese menace. The Prime Minister should be assured of the country's whole hearted and unstinted support but the need is to properly mobilise it for maximum benefit.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The awakening which was manifest in the public was mobilised much later and even now, when the unity and awakening is all-time high, if the Prime Minister or his Government now drifts, the blame will lie entirely on them.

I want to convey these feelings of the public to him that instead of saying that we would withdraw from Lahore and Sialkot sectors only after Pakistan had withdrawn from Chhamb and Akhnoor, he should declare that we would not withdraw from anywhere unless and until Pakistan withdraws from the whole of Kashmir. We need not indulge in such flimsy threats as leaving the U. N. etc. but if that August body will continue to try with this problem, we will quit and this will mean the end of them. Regarding withdrawal to pre-5th August positions, we may agree only to pre-5th August, 1947 position.

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं अब आज्ञा चाहूंगा क्योंकि मुझे राज्य सभा में एक वक्तव्य देना है। मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके समर्थन के लिये आभारी हूं और जो अन्य बातें उन्होंने कहीं हैं उन्हें ध्यान में रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक सोमवार, 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 8 नवम्बर, 1965/17 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, November 8, 1965/Kartika 17, 1887 (Saka).

GIPN—45 Lok Sabha/65—S4—5-8-66—600